अप्रैल 2004

मूल्य : सात रुपये

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का परिप्रेक्ष्य

पूर्वोत्तर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था

ग्रामीण विपणन

इतिहास के आईने में रोटी

मधुमेह : कारण और इलाज

देश के ग्रामीण इलाकों में विद्युतीकरण

एक लाख गांवों और एक करोड़ घरों के तेजी से विद्युतीकरण की एक योजना हाल ही में शुरू की गई है। इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 20 फरवरी, 2004 को स्वीकृत किया गया जिससे विभिन्न प्रविधियों के इस्तेमाल से ग्रामीण इलाकों में उन गांवों व परिवारों के बिजलीकरण के लिए, जहां बिजली की सुविधा नहीं है, बिजली की आपूर्ति की जा सके। इस योजना पर 6,000 करोड़ रुपये व्यय होंगे, जिसका 40 प्रतिशत सब्सिडी और शेष ऋण होगा, जो वित्तीय संस्थाओं द्वारा मुहैया कराया जाएगा। राज्य में सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाएं, सहकारी समितियां, गैर–सरकारी संगठन, फ्रेंचाइजी या पंचायतें, निजी उद्यमी इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

गतिशील ग्रामीण विद्युतीकरण, कुटीर ज्योति और प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी अंश जैसी मौजूदा योजनाओं का नई योजना में विलय करने की परिकल्पना की गई है, जिसका नाम होगा– "एक लाख गांवों और एक करोड़ घरों का विद्युतीकरण"। यह योजना विद्युत वित्त निगम/ग्रामीण विद्युतीकरण/नाबार्ड/इरेडा तथा अन्य दूसरी वित्तीय संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। ये संस्थाएं योजना के परिचालन के लिए प्रशासनिक ढांचा भी मुहैया कराएंगी और सब्सिडी की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं को की जाएगी। योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक मानिटरिंग समिति गठित की जाएगी, जो अन्य कार्यों के अलावा योजना को मानीटर करने के साथ–साथ इसे क्रियान्वित करने के लिए नीतिगत दिशानिर्देश भी तैयार करेगी।

प्राथमिक विद्यालयों के लिए स्थानीय सहायता जुटाने का कार्यक्रम

सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए स्थानीय सहायता जुटाने के वास्ते एक कार्यक्रम **प्लस** शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र के लिए स्थानीय समुदाय से स्वैच्छिक सहायता की अपेक्षा की गई है। मानव संसाधन विकासमंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखे एक पत्र में कहा है कि इस कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष कम से कम एक प्रतिशत सरकारी/अर्धसरकारी प्राथमिक विद्यालयों को शामिल किया जाएगा और 2010 तक 10 प्रतिशत विद्यालयों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्लस नामक इस कार्यक्रम के तहत कोई भी सरकारी/अर्धसरकारी व्यक्ति या संगठन प्राथमिक विद्यालयों विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए चलाए जा रहे विद्यालयों में सुधार के लिए योगदान दे सकते हैं। कार्यक्रम के तहत इन विद्यालयों को सहायता देने वाले व्यक्ति या संगठनों को उनके अंशदान का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है, यह जानने का अधिकार होगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए छह नई परियोजनाएं

शहरी विकास तथा गरीबी उपशमन मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लिए 5.40 करोड़ रुपये मूल्य की छह नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं जलापूर्ति को सुदृढ़ करने, राज्य कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर के निर्माण, कृत्रिम जल निकासी प्रणाली और नगरीय सड़कों के सुधार से संबंधित हैं। इस वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक मौजूदा परियोजनाओं के लिए 31.15 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। इन राज्यों के लिए निकट भविष्य में 13 और परियोजनाओं को मंजूरी दी जाने की संभावना है। वर्ष 2002–03 में 129.21 करोड़ रुपये की लागत की नई परियोजनाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और सिक्किम के लिए मंजूर की गई थीं और उस वर्ष के लिए 76 करोड़ रुपये का संपूर्ण प्रावधान जारी कर दिया गया था।

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की
प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 50 ● अंक : 6

चैत्र–वैशाख 1926

अप्रैल 2004

प्रधान संपादक
महादेव पकरासी

सहायक संपादक
ललिता खुराना

उप संपादक
जयसिंह

संपादकीय पत्र–व्यवहार
संपादक, **कुरुक्षेत्र**
कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110011
दूरभाष : 23015014,
फैक्स : 011–23015014
तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : dpd@sh.nic.in dpd@pub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
डी.एन. गांधी

व्यापार व्यवस्थापक
जगदीश प्रसाद

आवरण
राहुल शर्मा

सज्जा
अजय भंडारी

आवरण रेखाचित्र : शिवानी

मूल्य एक प्रति : सात रुपये
वार्षिक शुल्क : 70 रुपये
द्विवार्षिक : 135 रुपये
त्रिवार्षिक : 190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)
पड़ोसी देशों में : 500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में : 700 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

लेख

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का परिप्रेक्ष्य — सुबह सिंह यादव — 6
- ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ऋण : उपादेयता और वसूली निष्पादकता — डा. नरेंद्र पाल सिंह — 11
- ग्रामीण विपणन : समस्याएं और संभावनाएं — आर. बी. एल. गर्ग — 16
- राजस्थान : अर्थव्यवस्था की चुनौती और संभावनाएं — डा. ओ.पी. शर्मा — 18
- पूर्वोत्तर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था एक नजर में — डा. विजय सिंह राघव — 20
- हरियाणा : ग्रामीण महिलाओं और बच्चों की स्थिति — डा. महिपाल — 28
- भारतीय जड़ी–बूटियों में श्रेष्ठ गुग्गुल — रत्नेश कुमार राव — 30
- जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण और कोचिंग की योजना — — 32
- इतिहास के आईने में रोटी — कैलाश जैन — 34

साहित्य

- जीवन के रंग अनेक (कहानी) — डा. सविता मिश्रा — 35
- सफर (लघुकथा) — मनु स्वामी — 37
- दो कविताएं — डा. रीता हजेला, विक्रम 'श्लील' — 38

सफलता की कहानी

- 'राज राजेश्वरी योजना' गरीब महिलाओं का सहारा — पी. आर. त्रिवेदी — 39
- लघु उदभवन सिंचाई योजना के सार्थक परिणाम — डा. बृजनाथ सिंह — 40

स्वास्थ्य

- मधुमेह : भ्रांतियां, कारण और इलाज — डा. राजेंद्र कुमार कनौजिया — 41
- भोजन से पीलिया का इलाज — इरा सिंह — 44
- सफरनामा केसर का — — 45

पुस्तक चर्चा

- विविधताओं और संभावनाओं से भरपूर उत्तरांचल — 47
- उत्तरांचल में महिलाओं के लिए उद्यम परियोजनाएं — 48

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में ए.के. दुग्गल, सहायक विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

मत–सम्मत

प्रश्नोत्तरी भी शुरू करें

मैं विगत एक वर्ष से मासिक पत्रिका *कुरुक्षेत्र* का नियमित पाठक हूं और यह मेरा पहला पत्र है।

कुरुक्षेत्र का प्रत्येक अंक संग्रहणीय होता है और हर बार नई जानकारी प्राप्त होती है। *कुरुक्षेत्र* में प्रकाशित विशेष 'लेख', 'साहित्य (कहानी, कविता)', 'स्वास्थ्य चर्चा' एवं 'पुस्तक चर्चा' में हर बार नई–नई जानकारी प्राप्त होती है। फरवरी 2004 का अंक भी बहुत अच्छा लगा।

कुरुक्षेत्र में *शब्द पहेली* या *प्रश्नोत्तरी* भी शुरू करनी चाहिए। इससे प्रतियोगियों को काफी लाभ होगा एवं ज्ञान में वृद्धि होगी।

कमलेश्वर साहू
मैत्री नगर (सुंदर नगर), रायपुर, (छत्तीसगढ़) 492013

सशक्त दस्तावेज

चूंकि दूरस्थ ग्रामीण अंचल में पदस्थ हूं इसलिए यहां तक *कुरुक्षेत्र* पत्रिका नहीं आ पाती है। दीर्घकाल उपरांत, यात्रा के दौरान पत्रिका दिखी तो खरीद ली। पढ़ने के बाद प्रशंसापत्र लिखे बिना न रह सका। वस्तुतः पत्रिका ग्राम्य विकास व कृषि/पर्यावरण/ग्राम्य रोजगार का सशक्त दस्तावेज है। आप इस पत्रिका के माध्यम से देश की आंतरिक प्रगति की दिशा में स्तुत्य कार्य संपादित कर रहे हैं। कृषि आधारित विज्ञान व नवीन तकनीकी का आप अच्छी तरह से खुलासा कर रहे हैं, यह संतोषजनक है।

लेखों की शोधात्मकता देखकर अंतर्मन प्रसन्न हो उठा। गौ–संरक्षण के लिए भी व्यापक अभियान छेड़िए। कविताओं के लिए एक पृष्ठ और बढ़ा दें, तो क्या कहने! अभिवंदन–अभिनंदन व साधुवाद सहित।

प्रो. शरद नारायण खरे
विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर इतिहास शासकीय महिला महाविद्यालय, मंडला (म.प्र.) 481661

शुक्रिया *कुरुक्षेत्र*

कुरुक्षेत्र के फरवरी 2004 अंक से ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कुरुक्षेत्र की भूमि पर सत्य और धर्म की स्थापना की लड़ाई हुई, और होना वही था सत्य की जीत, देर से ही सही कुरुक्षेत्र में ही भगवान श्रीकृष्ण ने मानव को 'गीता' के माध्यम से कर्म का महान संदेश दिया जो हमेशा प्रासंगिक रहेगा और कर्म की महत्ता हमेशा बनी रहेगी। ठीक उसी तरह *कुरुक्षेत्र* पत्रिका भी सत्य की लड़ाई यूं लड़ रही है कि यह भारत के गांव–गांव में सरकारी ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी पहुंचा रही है जिससे ग्रामीण वास्तविक सत्य (हक) को पा सकें। यहीं पर *कुरुक्षेत्र* यह भी संदेश देती है कि हमें सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, गांव का भाग्य संवारने के लिए कर्म करना ही होगा। भाग्य के भरोसे कुछ विशेष नहीं होने वाला। 'मां की सीख' कविता मन को स्पर्श कर गई। 'सीख' लघुकथा सबक है कि हम जैसा आचरण करेंगे, बच्चे उसी का अनुसरण करेंगे; अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। इसलिए हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे बच्चों पर कुसंस्कार पड़े। मैं कुरुक्षेत्र की तहेदिल से शुक्रगुजार हूं कि वो मुझमें ज्ञानवृद्धि कर रही है। साथ ही भारत के गांवों की उन्नति के लिए अपना महान योगदान कर रही है, इस बात का मुझे परम संतोष है। *कुरुक्षेत्र* स्थल से गीता (भगवद्गीता) जुड़ी है और पत्रिका *कुरुक्षेत्र* से गीता (गीतांशी) भी जुड़ी रहेगी।

गीता थापा 'गीतांशी'
डाडामंडी, उत्तरांचल

सच्चाई को उजागर करती कहानी

कुरुक्षेत्र का फरवरी अंक का आवरण पृष्ठ देखकर ही अहसास हो गया था कि हमारा ग्रामीण कृषक भाई भी समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। सच में, 2020 तक अगर भारत को विकसित राष्ट्र के सपने साकार करने हैं तो कृषि ही तो वह क्षेत्र है जो हमारी प्रगति की रीढ़ साबित होगा और पत्रिका में जिस तरह कृषि क्षेत्र की समस्याओं व संभावनाओं को उजागर किया गया है, निश्चय ही सराहनीय है। किसान सुपर बाजार का जिक्र करके आपने उन कृषकों के लिए एक नया सोपान स्थापित किया है जो इन सब बातों से अब तक महरूम थे। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जैसी कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2025 तक हमें खाद्य उत्पादन को 1990 की तुलना में 80 प्रतिशत बढ़ाना होगा, क्या यह संभव है? द्रुत गति से बढ़ती जनसंख्या से समस्याओं का अंबार आ खड़ा होता है। सरकार को उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु कृषक को अत्याधुनिक तकनीकें मुहैया करने के प्रयास तो करने ही होंगे तथा शीघ्र जनसंख्या वृद्धि पर विराम लगाने के कठोर प्रयास भी करने चाहिए। इसके लिए राजनैतिक दलों को अपने संकीर्ण स्वार्थों की तिलांजलि देनी ही होगी। अश्वगंधा की खेती के बारे में जानकारी देने के लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन इतनी लाभदायी योजनाओं से हमें अब तक वंचित क्यूं रखा गया था?

कहानी 'समाधान' समकालीन परिदृश्य की तल्ख सच्चाइयों को उजागर करती प्रतीत हुई। जार्ज बुश ने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मनमानी को दर्शाया है जिसे सभी ने देखा, समझा व महसूस किया जिसे कहानीकार ने बड़ी ही संजीदगी से समझाने का प्रयास किया है लेकिन सच तो यह भी है कि जार्ज बुश का प्रतीक तो आज राष्ट्र, राज्य, शहर, कस्बा, गांव, परिवार तक में मौजूद है और लगता है कि इस संसार में सिर्फ और सिर्फ दो वर्ग हैं – एक ज्यादती करने वाला और दूसरा चुपचाप जंगल कानून को सहने वाला। काश! लोकतांत्रिक युग में भी सभी को लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त होते।

मिथिलेश कुमार
जिला भागलपुर (बिहार)

काका कलाम का सपना

कुरुक्षेत्र के फरवरी 2004 अंक में राष्ट्रपति (बच्चों के काका कलाम) का राष्ट्र के नाम संदेश पढ़ा जो उन्होंने गणतंत्र दिवस पर दिया था। उनका कथन कि हम भारत के उत्थान में क्या योगदान दे सकते हैं? इस पर सोचना चाहिए और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अंशदान देना चाहिए। सचमुच हमें, धर्म, जाति, वर्गभेद को मिटाकर सिर्फ ईश्वर (जोकि एक है) की संतान बनना चाहिए और भारतीयता की पहचान अक्षुण्ण रखनी चाहिए। हर व्यक्ति यहां का एक भारत है, उसके मन में भारत होना चाहिए। हमें यदि राष्ट्र को उन्नति के चरम पर ले जाना है तो लड़कियों के जन्म पर अपराधबोध से नहीं ग्रसित हो जाना चाहिए क्योंकि वे अभिशाप नहीं वे भी हरेक क्षेत्र में सफलता अर्जित कर रही हैं। हमें लड़कियों के हक को नहीं छीनना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे अबला की छवि धूमिलकर सबला का अस्तित्व पल्लवित कर सकें। पुरुषों को नारियों को हीन या दोयम दर्जे का कतई नहीं समझना चाहिए। यदि हम उपर्युक्त बातों का अनुसरण करेंगे तो सचमुच भारत उदय होगा और 2020 तक भारत विश्व शिखर पर पहुंचेगा तथा यहां के प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान होगी। *कुरुक्षेत्र* भी अपनी महती भूमिका का सत्यनिष्ठा से पालन कर रही है और सरकार की ग्राम उत्थान की योजनाओं का प्रसार कर रही है जिससे जड़ से ही भारत मजबूत बन सके। स्वरोजगार पर अधिक जानकारी दें। साहित्य के अंतर्गत इस बार वेदप्रकाश अमिताभ की कहानी 'समाधान' प्रशंसनीय है। डा. राजेंद्र कुमार कनौजिया की चार कविताएं तो लिखा था पर छपी तीन ही थीं। ऐसी त्रुटिया न होने दें अन्यथा पत्रिका की साख पर बट्टा लगेगा। डा. नीना कनौजिया के लेख 'सही दिशा' के लिए उन्हें शुक्रिया।

अंश
विवेकानंद नगर, सुल्तानपुर (उ.प्र.)

कामयाबी की कामना

ग्रामीण विकास को समर्पित लोकप्रिय पत्रिका *कुरुक्षेत्र* का फरवरी अंक बेहद पसंद आया। पत्रिका में प्रकाशित, लेख, कहानी एवं कविताएं ज्ञानवर्धक और रोचक लगीं। इतने अच्छे संपादकीय के लिए साधुवाद। पत्रिका अपने मिशन में कामयाब रहे, यही कामना है।

सत्येन कुमार राय
सिविल कोर्ट, नजारत शाखा, भागलपुर, (बिहार)

जानकारी का भंडार

कुरुक्षेत्र जनवरी 2004 का अंक पढ़ा जो ज्ञानवर्धन के साथ रोजगार संबंधी कई जानकारियों का भंडार है। ग्रामीण विकास को समर्पित पत्रिका होने के साथ–साथ ग्रामीण युवक–युवतियों को रोजगार आरंभ करने के पूर्व की तैयारियां अवश्य ही लाभ पहुंचाएंगी क्योंकि लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही दिशा–निर्देशन की जरूरत होती है। सही दिशा–निर्देशन में लक्ष्य अवश्य ही हासिल किया जा सकता है, जो आपकी पत्रिका ने किया है। इसके लिए आपको धन्यवाद!

भूधर चंद्र वर्मा
अधिवक्ता, बरहाइच (उ.प्र.)

स्वरोजगार पर और अधिक जानकारी दें

कुरुक्षेत्र लोकप्रिय पत्रिका का पता मुझे मेरे दोस्त ने दिया। मैं स्वरोजगार के विषय में अपने मित्र से अक्सर बातें किया करता था, एक दिन मेरे मित्र ने *कुरुक्षेत्र* जनवरी 2004 अंक लाकर दिया। उसे मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तब से मैं पत्रिका का नियमित और जिज्ञासु पाठक बन गया हूं। मुझे हर नए अंक का बेसब्री से इंतजार रहता है।

जनवरी अंक में संपादकीय, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना : आवश्यकता व प्रगति, उद्योग व्यवसाय प्रारंभ करने के पूर्व की तैयारियां, ग्रामीण रोजगार प्रबंधन, सफलता की कहानी, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना ने दिखाई आत्मनिर्भरता की राह और अंतिम कवर पर कलैंडर बहुत अच्छा लगा।

फरवरी अंक में 'किसान सुपर बाजार, किसान के द्वार', कहानी समाधान, लघुकथा, कविताएं, सही दिशा, पुस्तक चर्चा – शब्द संवाद : एक समीक्षा, संपादकीय – यह सारे लेख बहुत अच्छे लगे और जानकारी से भरे थे।

मैं ग्रामीण परिवेश से जुड़ा होने के कारण स्वरोजगार पर ज्यादा ध्यान देता हूं और भविष्य में स्वरोजगार करना चाहता हूं। आपसे विनम्र निवेदन है कि भारत के ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए स्वरोजगार पर अधिक से अधिक तथा अच्छी एवं संपूर्ण जानकारी प्रकाशित करने की कृपा करें। आगामी अंकों में मैं स्वरोजगार पर अधिक जानकारी चाहता हूं।

राकेश कुमार 'सागर'
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

बहुत कुछ करना है

कुरुक्षेत्र का जनवरी 2004 का अंक नए वर्ष का आगाज नई संभावनाओं के साथ कराता है। नए वर्ष में पदार्पण पर एक आम भारतीय को अपने देश में जिन संभावनाओं की तलाश होगी उसी विषय "रोजगार" पर केंद्रित यह अंक एक नई राह दिखाएगा। अपने लक्ष्यों को भेदते लेख, साहित्य और स्वास्थ्य–चर्चा थोड़े में बहुत कुछ कह एक संपूर्ण पत्रिका के रूप में संवाद और सृजन को प्रश्रय दे रहे हैं। यही एक अंक नहीं बल्कि न जाने *कुरुक्षेत्र* के कितने अंक किरणों के रूप में विकासरूपी सूरज से आ मिले हैं।

लेकिन इन्हीं "सुखाभाषी" क्षणों में एक बात मन को संशकित किए रहती है कि ऐसे प्रयासों की आवश्यकता जिस रणभूमि में है, जिन रणबांकुरों को इसकी जरूरत है, वहीं इसकी पहुंच नहीं है। अपने अनुभव के आधार पर मैं यह दावा कर सकता हूं कि आज यह पत्रिका शहरों के बुकस्टालों में प्रतियोगी छात्रों की किताबी भीड़ में या शोध छात्र के लेखा आंकड़ों में ही शोभा बढ़ा रही है। शायद ही कोई ग्रामीण जानता हो कि ऐसी पत्रिका भी छपती है, (खासकर उत्तर भारत में) पढ़ने की बात तो दूर रही। इसे वे ही पढ़ते हैं जो बाद में गांव लौटते ही नहीं, लौटते भी हैं तो उदासीनता हाथ लिए।

क्या इन्हीं तक पहुंच इसका उद्देश्य है? क्या इतने मात्र से हमारा गांव विकास कर जाएगा? क्या कारण है कि अभी तक आपको, हम सबको अपने प्रयासों का अपेक्षित प्रतिफल नहीं मिला? यहां तो आपके प्रयासों की सार्थकता पर ही प्रश्नचिन्ह लग रहा है। हर अंक में जो बड़ी–बड़ी बातें, दावे करते तेजी से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं अगर हम उसे दिल्ली से बाहर और कुर्सी से उतरकर

जमीन पर देखेंगे तो आत्मग्लानि होगी। क्योंकि हमें बुनियादी क्षेत्रों में ही बहुत कुछ करना है जैसे *कुरुक्षेत्र की* गंतव्य तक पहुंच।

इस बारे में मेरे कुछ सुझाव हैं – ऐसी पत्रिकाएं पंचायतों को नियमित और अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाएं, जिससे यह अपनी वास्तविक रणभूमि में पहुंच सकें और अपने उद्देश्यों के लिए लड़ सकें। नियमित लेखों के साथ–साथ ऐसे लेखों को स्थान दिया जाए जो पंचायतीराज की पेचीदगियों, उसके उद्देश्यों, लक्ष्यों से परिचित कराएं और गांव के नेतृत्व और आम जनता के कुछ वैचारिक आयाम प्रस्तुत कर सकें।

श्याम जी श्रीवास्तव
ग्राम मिउरा, इलाहाबाद (उ.प्र.)

भाषा सरल और तथ्यपरक हो

कुरुक्षेत्र का जनवरी, 2004 का अंक मिला। इस वक्त जबकि समाचार–पत्र और पत्रिकाएं गांव और किसानों की खबरों को भूलकर ग्लैमर पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, *कुरुक्षेत्र* का महायज्ञ जारी है। लेकिन इसके लेखों की भाषा थोड़ी सरल और तथ्यपरक हो तो आम लोग इसका बेहतर फायदा उठा सकेंगे। जैसे जनवरी, 2004 अंक में 'ग्रामीण रोजगार प्रबंधन' और 'उद्योग व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व की तैयारियां' शीर्षक के लेख इतने सतही हैं कि इनसे आम पाठक को तो कोई जानकारी मिलने से रही। 'स्वास्थ्य चर्चा' और ग्रामीण परिवेश वाली कहानियां तो मानो *कुरुक्षेत्र* की आत्मा बन गई हैं। किसानों के लिए जारी योजनाओं के फार्म इत्यादि भी आप पत्रिका में दें तो शायद ये बहूपयोगी हो जाएगी।

अजय शर्मा
आकाश भारती, पाटपड़गंज, दिल्ली

वाह री कुरुक्षेत्र!

हमने मार्च का अंक पढ़ा बहुत ही मनमोहक, ज्ञानवर्धक लगा और इसको पढ़ने में हमने काफी रूचि ली। यह पत्रिका अपने में गागर में सागर लेकर आती है और इसमें कृषि के बारे में काफी अच्छी जानकारी प्राप्त की।

डा. अभिषेक
सहायक अध्यापक, नगर पंचायत श्वेता
सराय–जौनपुर, (उ.प्र.)

सरकारी विभागों के पते भी दें

मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूं और *कुरुक्षेत्र* का पाठक हूं इसके सभी लेख बेहद अच्छे व प्रेरणादायी होते हैं और इस पत्रिका से हमारी अनेक जिज्ञासाएं शांत होती हैं।

मैं ग्रामीण परिवेश का हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी इस पत्रिका में विभिन्न मंत्रालयों, गैरसरकारी संस्थाओं के पते भी दें जिससे गांव का असहाय गरीब, सतायी महिलाएं विभिन्न समस्याओं को पोस्टकार्ड के माध्यम से अपनी शिकायत उचित स्तर तक पहुंचा सकें। महोदय, सरकार अपने विभागों, आयोगों, पर इतना धन खर्च करती है पर देश के 70 प्रतिशत निवासियों (ग्रामीणों) को यह भी नहीं पता कि वह उक्त मंत्रालयों में अपनी बात कैसे पहुंचाएं। अगर आप *कुरुक्षेत्र* में थोड़ी–सी जगह देकर पत्र व्यवहार के पते दें तो भारत के गरीब गांव के निवासी महिला–पुरुष अपनी शिकायत मंत्रालयों या आयोगों को भेज सकेंगे।

अनिल कुमार
27, कंचन शुम्लानाल, सजोरी, इलाहाबाद

सदस्यता कूपन

मैं/हम **कुरुक्षेत्र** का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/ चाहती हूं/ चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 70 रुपये, दो वर्ष के लिए 135 रुपये, तीन वर्ष के लिए 190 रुपये का

(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक ..... दिनांक ..... संलग्न है।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....

पता .....

.....

पिन .....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक, प्रकाशन विभाग,

पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066

*कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर **निदेशक, प्रकाशन विभाग** को नई दिल्ली में देय हो।*

संपादकीय

'विश्व के एक तिहाई गरीब भारत में हैं।' हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी अपनी नई रिपोर्ट 'भारत द्वारा सुधार प्रक्रिया को जारी रखना और निर्धनता में कमी लाना' में यह जानकारी देते हुए कहा गया है कि भारत बेशक कृषि प्रधान देश है मगर देश में सर्वाधिक गरीब किसान और मजदूर हैं। भारत में कुल गरीबों में से आधे से अधिक गरीब बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत के निर्धनों की आमदनी ही कम नहीं है बल्कि बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा तथा आधारिक संरचनाओं जैसी गुणवत्तासंपन्न सार्वजनिक सेवाओं तक भी उनकी समुचित पहुंच नहीं है। भ्रष्टाचार को गरीबी बढ़ने का एक प्रमुख कारण बताते हुए विश्व बैंक का कहना है कि भारत में गरीब लोग भ्रष्टाचार के इतने आदी हो चुके हैं कि सरकार द्वारा उनके लिए चलाई जा रही लाभप्रद योजनाओं के लाभ उन तक न पहुंचने के खिलाफ भी वे आवाज नहीं उठा पाते। विश्व बैंक ने भारत को अपनी नीति बदलने की सलाह देते हुए कहा है कि भारत को निर्धनता कम करने और अपनी जनसंख्या की आमदनी बढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर देना चाहिए। यही नहीं निवेश वातावरण में सुधार के साथ–साथ कृषि क्षेत्र में कुशलता लाकर उत्पादन बढ़ाना होगा और ग्रामीण विकास पर अत्याधिक ध्यान देना होगा।

रिपोर्ट के ये अंश ग्रामीण भारत की तस्वीर सामने रखने में सक्षम हैं। देश के गरीब तबके तक ऋण सुविधाओं के लाभ नहीं पहुंच पा रहे जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य गरीब किसानों तथा मजदूरों को ऋण सुविधाएं मुहैया कराना था। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महाजन और साहूकार ऊंची ब्याजदर पर गलत तरीके से उधार देने का कार्य कर रहे हैं। गांवों में गरीब लोगों को कम ब्याजदर पर ऋण सुविधा प्रदान की जानी चाहिए जिससे वे खाद, उर्वरक, बीज और कृषि औजार खरीदने में सक्षम हो सकें। आज बैंकों का उद्देश्य लाभ कमाना हो गया है जिसके लिए नई–नई ऋण योजनाएं बाजार में उतारी जा रही हैं। परिणास्वरूप बैंकों द्वारा पिछले वर्षों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ऋणों के वितरण की स्थिति आशानुरूप नहीं हो पाई। कृषि क्षेत्र में मात्र 15 प्रतिशत लक्ष्य ही पूरे हो पाए जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सुखद स्थिति नहीं कही जा सकती। कृषि क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में लगभग 25 प्रतिशत का हिस्सा रहता है। अतः कृषि के विकास के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

ग्रामीण बैंकों के जनक डा. युनूस के अनुसार "बिना अनुशासन के ऋण दान के अलावा और कुछ नहीं है।" आज बैंक जिस चुनौती से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं, वह है ऋण जोखिम। ऋण जोखिम कम से कम हो, इसी के मद्देनजर लेखक ने 'बैंक ऋण की उपादेयता और वसूली निष्पादकता' लेख में अपने सुझाव दिए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बदलते परिदृश्य में बैंकों को अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाने की महती आवश्यकता है। बैंकों को अलग–अलग क्षेत्रों की जरूरत के मुताबिक अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाना होगा। वैसे तो भारतीय बैंकिंग का रुझान कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों और लघु तथा कुटीर उद्योगों की तरफ पहले से ही है किंतु इस दिशा में और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। साथ ही यह भी जरूरी है कि बैंकों की उदार ऋणनीति का लाभ समाज के निम्न वर्गों तक पहुंचे। आज का सच यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए बैंकों द्वारा ऋण की सुविधा न के बराबर है जिस बारे में तर्क यह दिया जाता है कि इस वर्ग से ऋणवसूली एक गंभीर समस्या है किंतु इसका विकल्प सरकार और बैंकों को मिलकर तलाशना होगा ताकि जरूरतमंद व्यक्ति तक ऋण का अपेक्षित लाभ पहुंच सके।

ग्रामीण विपणन के मार्ग में कई बाधाएं हैं। सड़कों का पर्याप्त विकास तथा समुचित विद्युत सुविधाओं की उपलब्धता इस दिशा में महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। साथ ही, अधिकांश कंपनियां अपना विपणन कार्यक्रम शहरी दिमाग से निर्धारित करती हैं जिस वजह से वे अभी तक ग्रामीण उपभोक्ताओं तक ठीक से नहीं पहुंच पाई हैं। इसीलिए ग्रामीण उपभोक्ता का विश्वास जीतने के लिए उपयुक्त भाषा और उचित रणनीति की आवश्यकता है। ग्रामीण विपणन से जुड़ी समस्याओं की चर्चा के साथ–साथ उनका समाधान ढूंढ़ने का प्रयास किया है लेखक ने इस विषय पर इस अंक में शामिल अपने लेख में।

इस अंक में पूर्वोत्तर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का लेखाजोखा भी दिया गया है। लेख में इस क्षेत्र की जनांकिकीय तस्वीर, रेल–सड़क परिवहन, कृषि, बागवानी तथा फलोत्पादन, पर्यटन स्थल, खनिज संपदा, लघु तथा कुटीर उद्योगों की चर्चा की गई है। लेखक ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में सुधार की भावी नीति के लिए अपने कुछ सुझाव भी दिए हैं। 'रोजगार' के अंतर्गत भारतीय जड़ी–बूटियों में श्रेष्ठ मानी जाने वाली 'गुग्गुल' के उत्पादन के बारे में जानकारी दी गई है। 'योजना परिचय' के तहत जनजातीय क्षेत्रों में 'व्यावसायिक प्रशिक्षण' और 'कोचिंग योजना' के बारे में बताया गया है। 'स्वास्थ्य–चर्चा' में मधुमेह रोग के कारणों की चर्चा है। साथ ही, इस रोग के बारे में प्रचलित भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया गया है।

'इतिहास के आईने में रोटी' एक रोचक लेख है जिसमें रोटी जैसी अहम वस्तु की यात्रा का संक्षिप्त परिचय है। सफलता की एक कहानी में मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में लघु उद्भवन सिंचाई योजना से किसानों को पहुंचे लाभ का जिक्र है तो दूसरी कहानी में राज राजेश्वरी योजना के द्वारा राजस्थान की एक गरीब महिला के अंधकारमय जीवन में प्रकाश लाने की गाथा है। इस अंक में 'कहानी' 'कविता' और 'पुस्तक चर्चा' के नियमित स्तंभ आपको कैसे लगे, बताना भूलिएगा नहीं। हम आप से तो कह रहे हैं भूलिएगा नहीं और हम खुद कुछ भूल रहे हैं! हमने आपको नवसंवत् की शुभकामनाएं तो अब तक दी ही नहीं। 21 मार्च को चैत्र माह के शुरू होने के साथ ही पंचांग के अनुसार नवसंवत् 2061 आरंभ हो गया। सभी पाठकों को हार्दिक शुभकामनाएं!

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का परिप्रेक्ष्य

☞ सुबह सिंह यादव

गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्तूबर, 1975 को देश में पांच ग्रामीण बैंकों की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश के अंतर्गत की गई। आज देश में 196 बैंक हैं जिनकी करीब 14,390 शाखाएं हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रमुख उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों, कारीगरों और लघु उद्यमियों को ऋण तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग एवं अन्य उत्पादक कार्यकलापों का विकास किया जा सके।

भारतीय अर्थव्यवस्था में, जो प्रमुखतः कृषि की प्रधानता से अभिहित है, ग्रामीण साख की पर्याप्तता एवं समय पर उपलब्धता सर्वोपरि आवश्यकता के रूप में स्थापित हो चुकी है। राष्ट्रीयकरण के बाद वाणिज्यिक बैंकों ने इस कार्य को हाथ में लिया, लेकिन उनके अग्रणी बैंक दृष्टिकोण के बावजूद भी इस दिशा में कोई ठोस परिणाम प्राप्त नहीं हो सके क्योंकि एक ओर तो ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी शाखाएं सीमित संख्या में थीं दूसरी ओर खास प्रदायकता की लागत अधिक आ रही थी। यही नहीं सहकारी क्षेत्र भी व्यावसायिक दृष्टिकोण के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में साख अंतराल को पाटने के कार्य में सफल नहीं हो पाया तथा क्रमशः पर्याप्त साधन संग्रहण की असमर्थता, साख को मॉनीटर करने में प्रबंधकीय कमजोरी तथा अप्रभावी पर्यवेक्षण क्षमता का शिकार बन गया। इसका परिणाम यह हुआ कि वे अपनी कोष स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए ऊपर के स्तरों से जो पुनर्वित्त लिया करते थे, उसको खपाने की क्षमता भी कमजोर हो गई (वैसे ही इनकी कोष स्थिति बहुत कमजोर थी)।

इस संबंध में भारत सरकार का आकलन था कि जब तक दृष्टिकोणीय तथा परिचालनगत लोकाचार स्वभाव/प्रकृति (Ethos) के आधार पर नई संस्थाओं की स्थापना नहीं की जाती है जो इन मानदंडों के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से बिल्कुल भिन्न हैं, तब तक सार्वजनिक बैंकिंग प्रणाली का कार्य करने का वर्तमान तरीका और अधिक गहन होता चला जाएगा। इसी कारण से 7 जुलाई, 1975 से एम. नरसिम्हन की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया गया कि एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो सहकारिताओं की तरह स्थानीय भावनाओं तथा ग्रामीण समस्याओं की जानकारी एवं वाणिज्यिक बैंकों जैसी व्यवसाय संगठन की मात्रा, साधन संग्रहण की क्षमता, केंद्रीय मुद्रा बाजार में पहुंच तथा आधुनिकृत दृष्टिकोण का सम्मिश्रण रखती हो। कार्यदल ने इस बात पर जोर दिया कि नवीन संस्था इस क्षेत्र में कार्य कर रही अन्य संस्थाओं को पूरक सहायता प्रदान करेगी तथा उनके कार्यों एवं अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करेगी।

भारत सरकार ने कार्यदल की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्तूबर, 1975 को देश में पांच ग्रामीण बैंकों की स्थापना की। इन बैंकों की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश के अंतर्गत की गई। बाद में इसके स्थान पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 लागू किया गया।

23 जून, 1977 को प्रो. एम.एल. दांतवाला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यप्रणाली की समीक्षा का दायित्व सौंपा गया। इस समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा संबंधी रिपोर्ट फरवरी 1978 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संगठन और कार्यों में संशोधन करके इसकी संरचना को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए ताकि यह ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर सकें।

क्रेफिकार्ड समिति (1979) ने भी ग्रामीण साख को सुदृढ़ करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के महत्व को पहचाना तथा बताया कि आधारभूत स्तर पर कार्यरत बहु एजेंसी प्रणाली के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अभिवृद्धित महत्वपूर्ण भूमिका है।

खुसरो समिति (1989) ने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यप्रणाली को महत्व दिया। समिति का कहना था कि स्वीकार्य रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने बैंकिंग सेवाओं को दूरदराज क्षेत्रों में ले जाने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।

इसके बाद भारत सरकार द्वारा नियुक्त केलकर समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के उद्देश्यों की पुनः समीक्षा की तथा अपनी सिफारिश में प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजी आधार को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने का सुझाव दिया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के उद्देश्य

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रमुख उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों, खेतीहर मजदूरों, कारीगरों और लघु उद्यमियों को ऋण तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करना है ताकि

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग एवं अन्य उत्पादक कार्यकलापों का विकास किया जा सके।

- ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास एवं समाज के अपेक्षाकृत कमजोर, विशेषकर छोटे एवं सीमांत किसानों, ग्रामीण दस्तकारों, भूमिहीन खेती मजदूरों, स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों, लघु एवं खुदरा व्यापारियों को उनकी उत्पादन एवं विपणन संबंधी आवश्यकताओं के लिए ऋण उपलब्ध कराना।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्यक्षेत्र के कर्मचारी नियुक्त करना (जहां तक संभव हो) ताकि ये जनसामान्य की आवश्यकताओं, क्षेत्र की समस्याओं एवं वास्तविकताओं से परिचित हों एवं ग्रामीण दृष्टिकोण रखने वाले बन सकें। इसके पीछे मूल भावना यह थी कि ये कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को अपनत्व की भावना से समस्याओं को सुलझाने में सहयोग प्रदान कर सकें।
- सुलभ एवं आसान पद्धतियों से ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना तथा
- ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधाओं की कमी को दूर करना।

संरचना एवं विशेषताएं

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक सामान्य वाणिज्यिक बैंक से कई प्रकार की विभिन्नता लिए हुए है। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूंजी एक करोड़ रुपये होती है। इसकी निर्गमित और चुकता पूंजी 25 लाख रुपये होती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शेयरपूंजी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा संबंधित ग्रामीण बैंक का अंश क्रमशः 50:35:15 होता है। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अध्यक्ष की नियुक्ति प्रायोजक बैंक की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। बैंक में निदेशकों की संख्या 9 से 15 होती है। निदेशकों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं प्रायोजक बैंक के प्रतिनिधि होते हैं।

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यक्षेत्र किसी राज्य में एक या अधिक जिलों वाले विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित होता है जबकि व्यापारिक बैंकों के संदर्भ में इस तरह की कोई बाध्यता नहीं होती। व्यापारिक बैंकों का शाखा विस्तार संपूर्ण राज्य, पूरे देश और यहां तक कि विदेशों में भी होता है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने कार्यक्षेत्र को विशेषकर लघु एवं सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों, छोटे जमाकर्ताओं और व्यापार तथा उत्पादक कार्यकलापों में लगे हुए कम साधन वाले व्यक्तियों को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करते हैं जबकि वाणिज्यिक बैंकों का दायरा बहुत व्यापक होता है।
- इन बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दरें किसी भी विशिष्ट राज्य की सहकारी संस्थाओं की प्रचलित दर से अधिक नहीं होंगी।
- ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों का वेतनमान केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार और समान स्तर के स्थानीय प्राधिकारियों के वेतनमान तथा उस बैंक के कार्यक्षेत्र में उनकी अपनी स्थिति पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाता है जबकि वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों का वेतनमान भारतीय बैंक संघ की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा अलग आधार पर निर्धारित किया जाता है।

बाद में 1995 में उदारीकरण प्रक्रिया के चलते तथा उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद उपर्युक्त क्रम में बिंदु 3 एवं 4 का अब कोई महत्व नहीं रह गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और प्रायोजक बैंकों की ओर से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कई प्रकार की रियायतें और सब्सिडी प्रदान की जाती हैं ताकि ये बैंक अपना कार्य प्रभावपूर्ण ढंग से कर सकें। भारतीय रिजर्व बैंक ग्रामीण बैंकों को 4.5 प्रतिशत का नगद प्रारक्षित अनुपात और 25 प्रतिशत का सांविधिक तरलता निधि अनुपात रखने की अनुमति प्रदान करता है। नाबार्ड और प्रायोजक बैंकों द्वारा इन्हें रियायती दर पर पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए नीति निर्धारण, उनके परिचालनों का पर्यवेक्षण, पुनर्वित्त प्रदान करना तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित सभी मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार से संपर्क स्थापित करने के पूरे दायित्व का निर्वहन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा किया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रगति

दो अक्तूबर, 1975 में स्थापना से लेकर आज तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या एवं शाखाओं में भारी विस्तार हुआ है। वर्तमान में 26 राज्यों में 196 बैंक हैं तथा इनकी शाखाओं की संख्या 14,390 है। 31 मार्च, 2000 तथा 31 मार्च, 2001 को शाखाओं की संख्या ज्यों की त्यों 14,311 ही रही।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्य निष्पादकता

बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के आरंभ होने के बाद से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यप्रणाली में दूरगामी परिवर्तन आए हैं। इन परिवर्तनों से उनके आधार स्तर में सुधार आने के परिणामस्वरूप उनकी कार्य निष्पादकता में भी गुणात्मक तथा मात्रात्मक सुधार आए हैं।इन बैंकों के संबंध में किए गए नीतिगत उपायों, नामतः घाटे में चल रही शाखाओं को बेहतर व्यावसायिक स्थलों पर ले जाने की अनुमति और घाटे में चल रही शाखाओं को, शाखाओं के सेवाक्षेत्र की वित्तीय कार्य निष्पादकता को गड़बड़ाए बिना, सेटेलाइट, मोबाइल कार्यालयों में बदल देने का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय कार्य निष्पादकता पर अच्छा प्रभाव पड़ा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्य निष्पादकता का महत्वपूर्ण प्रमाण उनके आधार स्तर में हुए सुधारों में परिलक्षित होता है। विगत 3 वर्षों के दौरान (2001–02) में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सकल प्रारक्षित निधियों में 100 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है। उनके निवेशों, जमाओं, ऋण और बकाया अग्रिमों में 33 से 38 प्रतिशत तक की तथा अर्जित लाभ में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और घाटे में 19 प्रतिशत तक की कमी आई है। तथापि देशभर के बैंकों की कार्य निष्पादकता में काफी भिन्नता रही।

आर्थिक व्यवहार्य स्थिति

31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का शुद्ध लाभ 2001 की तुलना में मामूली रूप से बढ़कर (1.21 प्रतिशत) 607.87 करोड़ रुपये हो गया। इस अवधि के दौरान कुल 121 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपनी कार्य निष्पादकता में लाभ अर्जित करके अथवा घाटे को कम करके

सारणी–1

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य निष्पादकता संकेतक (31 मार्च की स्थिति)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	मार्च, 2000	मार्च, 2001	मार्च, 2002
1	शाखा नेटवर्क (संख्या)	14311	14311	14390
2	शेयरपूंजी	195.60	195.66	195.81
3	शेयरपूंजी जमा	2003.31	2054.33	2080.62
4	प्रारक्षित निधि	848.48	1270.86	1782.40
5	जमाराशियां	32,204.34	38,271.87	44,539.15
6	उधार	3756.75	4064.46	4524.37
7	निवेश	22,944.75	27,636.14	30,531.73
8	बकाया ऋण और अग्रिम	13,814.89	15,816.30	18,629.22
9	लाभ वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संख्या)	162	170	167
10	लाभ की राशि	543.52	676.48	699.92
11	घाटे में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संख्या)	34	26	29
12	घाटे की राशि	113.55	75.86	92.05
13	संचित घाटा	2978.90	2792.59	2694.06
14	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिनमें घाटा नहीं है (संख्या)	55	80	86

सारणी–2

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आर्थिक व्यवहार्यता स्थिति

31 मार्च, 2002 को

क्र.सं.	वर्ग	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	लाभ/घाटा	संचित घाटा	अनुत्पादक आस्तियां
				(राशि करोड़ रुपये में)	
1	स्थायी तौर पर लाभप्रद	86	526.75	–	1309.49
2	वर्तमान में लाभप्रद	81	173.17	1659.33	1333.91
3	घाटे में	29	92.05	1034.73	423.56
	जोड़	196	791.97	2694.06	3066.96

अथवा घाटे से लाभ की ओर बढ़कर सुधार दर्शाया है। ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या जिन्होंने अपने संचित घाटे को पूरा कर लिया है, 31 मार्च, 2002 तक बढ़कर 86 हो गई। इन 86 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रारक्षित निधियां 31 मार्च, 2002 तक कुल मिलाकर 1773.59 करोड़ रुपये की हो गईं। दूसरे 81 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वर्तमान लाभप्रदत्ता की स्थिति अर्जित कर ली और पिछले वर्ष के अंत तक अपने 1832.50 करोड़ रुपये के कुल घाटे की तुलना में 31 मार्च, 2002 को इसे कम करके 1659.33 करोड़ रुपये तक ला दिया है। एक समूह के तौर पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल घाटा जो 31 मार्च, 2001 को 2792.59 करोड़ रुपये था, वह घटकर 31 मार्च, 2002 को 2694.06 करोड़ रुपये तक आ गया जो सारणी–2 से स्पष्ट है।

वसूली निष्पादकता

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार देखने में आया है। यह उनकी वसूली कार्य निष्पादकता में सुधार के कारण ही संभव हो पाया है। अनुत्पादक आस्तियों के स्तर को घटाने के साथ–साथ रुग्ण अग्रिमों की वसूली में सुधार के लिए अनुत्पादक आस्तियों की वसूली के वास्ते एकबारगी निपटान योजना शुरू की गई थी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 31 मार्च, 2002 तक प्रभावी रही। आस्तियों की गुणवत्ता में सहगामी सुधार इस तथ्य से भी परिलक्षित होता है कि जो मानक आस्तियां (Standard Assets) वर्ष 2001–02 में मूल आस्तियों का 81.2 प्रतिशत थीं, वे वर्ष 2001–02 में बढ़कर 83.60 प्रतिशत हो गईं। पिछले वर्षों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वसूली स्तर में निरंतर सुधार देखने को मिल रहा है। मांग के समक्ष वसूली का औसत प्रतिशत 30 जून, 1993 के 41 प्रतिशत से बढ़कर 30 जून, 2002 को बढ़कर 71.4 प्रतिशत तक पहुंच गया। इसी अवधि में वसूली की राशि 1123 करोड़ रुपये से बढ़कर 8410.24 करोड़ रुपये की हो गई।

महत्वपूर्ण बात यह है कि 80 प्रतिशत से अधिक वसूली वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या जो जून 2000 के अंत में दो थी, जून 2002 के अंत में बढ़कर 34 हो गई जबकि 60

सारणी–3

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वसूली निष्पादकता

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष (जून के अंत में)	मांग	वसूली	शेष	वसूली (प्रतिशत)
1993	2726.65	1123.49	1603.16	41.20
1994	3159.95	1460.85	1699.10	46.20
1995	3669.07	1870.36	1798.71	51.00
1996	4426.88	2439.18	1987.70	55.10
1997	5503.29	3143.08	2360.21	57.10
1998	5890.29	3559.28	2331.01	60.42
1999	7034.23	4519.30	2514.93	64.24
2000	8026.36	5473.59	2552.77	68.20
2001	9617.13	6789.53	2828.40	70.59
2002	11779.49	8410.24	3369.25	71.40

सारणी–4

वसूली के स्तर के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वर्गीकरण
(30 जून तक की स्थिति)

(राशि करोड़ रुपये में)

वसूली प्रतिशत	2000	2001	2002
80 और अधिक	22	29	34
60 से 80	103	112	111
40 से 60	51	41	39
40 से कम	20	14	12
जोड़	196	196	196

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वसूली के स्तर के अनुसार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का वर्गीकरण

(30 जून, 2002 की स्थिति)

वसूली प्रतिशत	राज्य
<40	अरुणाचल प्रदेश (1), असम (1), त्रिपुरा (1), बिहार (4), झारखंड (2), उड़ीसा (1), उत्तर प्रदेश (1),
>40 और <60	जम्मू और कश्मीर (2), राजस्थान (1), असम (2), मणिपुर (1), मेघालय (1), मिजोरम (1), नगालैंड (1), बिहार (5), झारखंड (3), उड़ीसा (2), पश्चिम बंगाल (2), मध्य प्रदेश (4), उत्तर प्रदेश (12), गुजरात (1), कर्नाटक (6)
>60 और <80	हिमाचल प्रदेश (2), जम्मू और कश्मीर (1), राजस्थान (9), असम (2), बिहार (7), झारखंड (1), उड़ीसा (5), पश्चिम बंगाल (7), छत्तीसगढ़ (3), मध्य प्रदेश (13), उत्तर प्रदेश (20), गुजरात (6), महाराष्ट्र (10), आंध्र प्रदेश (15), कर्नाटक (6), केरल (1), उत्तरांचल (1)
>80	हरियाणा (4), पंजाब (5), राजस्थान (4), उड़ीसा (1), छत्तीसगढ़ (1), मध्य प्रदेश (5), उत्तरांचल (3), उत्तर प्रदेश (3), गुजरात (2), आंध्र प्रदेश (1), कर्नाटक (4), केरल (1), तमिलनाडु (3)

से 80 प्रतिशत वसूली वाले बैंकों की संख्या बढ़कर 111 हो गई। 40 से 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत से कम वसूली वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या उसी अवधि में घटकर क्रमशः 51 से 39 और 20 से 12 रह गई। (सारणी–4)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना/पुनः पूंजीकरण सहायता

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के व्यापक पुनः संरचना कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वर्ष 1994–95 में चरण 1 के अंतर्गत 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनः पूंजीकरण किया गया था और वर्ष 1999–2000 के दौरान अंशधारकों (भारत सरकार, प्रायोजक बैंकों और राज्य सरकार) के आनुपातिक अंशदान सहित इस प्रक्रिया को जारी रखा गया। वर्ष 1999–2000 के दौरान चरण 4 के अंतर्गत 12 नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 112 करोड़ रुपये की अतिरिक्त इक्विटी सहायता राशि प्रदान की गई थी। वर्ष के दौरान अंशतः पंजीकृत 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी 224 करोड़ रुपये की इक्विटी की अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत की गई। इस प्रकार वर्ष 1999–2000 के दौरान इक्विटी सहायता के रूप में 336 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। मार्च 2000 के अंत में 187 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दी गई इक्विटी सहायता की कुल राशि 2188.14 करोड़ रुपये थी। अब 158 ग्रामीण बैंक पूर्ण रूप से पुनः पंजीकृत हो गए हैं। सात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अब भी इस कार्यक्रम से बाहर हैं। दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को किसी पुनः पंजीकरण सहायता की आवश्यकता नहीं है।

पुनः संरचना कार्यक्रम का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर प्रभाव

- वर्ष 2000–01 के दौरान 170 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 676.48 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जबकि वर्ष 1994–95 के दौरान 32 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने केवल 29 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की हानियां इस अवधि के दौरान 423 करोड़ रुपये (164 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) से घटकर 75.86 करोड़ रुपये (26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) रह गईं।
- एक समूह के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वर्ष 1997–98 के दौरान पहली बार 73 करोड़ रुपये का लाभ कमाया था और पिछले दो वर्षों अर्थात् वर्ष 1999–2000 एवं वर्ष 2000–01 के दौरान क्रमशः 430 करोड़ और 601 करोड़ रुपये का लाभ कमाकर उसमें और अधिक सुधार किया।
- 31 मार्च, 2001 का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का व्यवहार्यता आधारित वर्गीकरण यह दर्शाता है कि 196 में से 80 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपनी संचित हानियां पूरी तरह से समाप्त कर दी हैं और एक प्रकार से दीर्घकालिक व्यवहार्यता प्राप्त कर ली है जबकि अन्य 90 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपनी पुरानी स्थिति में सुधार लाते हुए वर्तमान व्यवहार्यता प्राप्त कर ली है। इस प्रकार वर्तमान में केवल 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऐसे रह गए हैं जो अभी भी घाटे में चल रहे हैं।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा संवितरित कुल ऋण वर्ष 1993–94 में 1440 करोड़ रुपये थे जोकि वर्ष 2000–01 में बढ़कर 8783 करोड़ रुपये हो गए। इस प्रकार 31 मार्च, 2001 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बकाया अग्रिमों की कुल राशि 15,816 करोड़ रुपये हो गई जबकि मार्च 1994 में यह मात्र 5,253 करोड़ रुपये थी।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वसूली निष्पादकता में निरंतर सुधार हो रहा है। 30 जून, 1992 को यह 40 प्रतिशत थी, जो जून 2000 में बढ़कर 68.7 प्रतिशत हो गई तथा जून 2002 को यह 71.40 प्रतिशत तक पहुंच गई। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की गैर निष्पादक आस्तियों में भी कमी आई है। 31 मार्च, 1996 को गैर–निष्पादक आस्तियां कुल बकाया ऋणों

की 43 प्रतिशत थी जबकि 31 मार्च, 2001 को ये घटकर 19 प्रतिशत रह गई।

उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 1994–95 में चुने हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 'संगठन विकास सहयोग आरंभ किया। साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा विकास कार्ययोजना तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ की गई। निष्पादकता दायित्व/वचनवद्धता प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और प्रायोजक बैंकों ने सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। नाबार्ड द्वारा निरीक्षण, चर्चा और समीक्षाओं की दृष्टि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य निष्पादन अनुप्रवर्तन को भी सुदृढ़ किया गया। इन उपायों ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अच्छी निष्पादकता में योगदान दिया है तथा कई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में चहुंमुखी सुधार आया और उन्होंने सक्षमता प्राप्त की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की परिचालनगत और वित्तीय दक्षता में सुधार लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड एवं भारत सरकार ने वर्ष 2002–03 के दौरान निम्नांकित विकासात्मक कदम उठाए हैं:–

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सांविधिक तरलता अनुपात, अनुमोदित प्रतिभूतियों के संबंध में बाजार मानदंड अपनाने की पद्धति में दी गई छूट आगे 31 मार्च, 2004 तक की अवधि के लिए बढ़ाई गई।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में श्रमशक्ति मानदंड संबंधी कार्यदल की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में एक दूसरे बैंक में पुनः तैनाती की योजना शुरू की गई।
- कमजोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेवा क्षेत्र अवधारणा में रियायत देने की नीति की समीक्षा की गई और 54 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेवा क्षेत्र अनिवार्यता से अगले दो वर्षों की अवधि अर्थात् 31 मार्च, 2004 तक छूट दी गई।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सांविधिक तरलता अनुपात को बनाए रखने के लिए संशोधित अनुदेश जारी किए गए। तदानुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 31 मार्च, 2003 तक अपने प्रायोजक बैंकों के पास अपनी विद्यमान जमाराशियों को (31 मार्च, 2003 के बाद परिपक्व होने वाली जमाराशियों को छोड़कर) सरकारी प्रतिभूतियों में परिवर्तित कराकर ही केवल सरकारी और दूसरी अनुमोदित प्रतिभूतियों में अपने सांविधिक तरलता अनुपात को बनाए रखना है।
- प्रायोजक बैंकों से अपेक्षा की गई कि घाटे में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा एक निर्धारित समय–सीमा में लाभप्रदता अर्जित करने के लिए वे बैंक के अनुकूल एक कार्यनीति तैयार करें।

संक्षेप में, उपर्युक्त उपायों के अंतर्गत उठाए गए नीतिगत कदमों मार्क टू मार्किट मानदंड से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छूट, स्टॉफ और अंतर बैंक पुनर्नियोजन की योजना का आरंभ, सेवाक्षेत्र दृष्टिकोण में छूट प्रदान करना प्रमुख रूप से शामिल हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 में संशोधन के लिए सुझाव देने हेतु कार्यदल, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की समीक्षा करने तथा उस पर सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक श्री एम.वी.एस. चलपति राव की अध्यक्षता में जुलाई 2001 को गठित कार्यदल ने अगस्त 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यदल द्वारा की गई प्रमुख संस्तुतियां निम्नानुसार हैं–

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी संरचना और स्वामित्व के ढांचे में परिवर्तन;
- सामाजिक और आर्थिक आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ढांचे का समेकन;
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए प्रशासनिक संरचना;
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए नियामक और पर्यवेक्षण प्रणाली में परिवर्तन;
- अधिदेशात्मक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के व्यवसाय का विविधिकरण;
- मानव संसाधन प्रबंध एवं विकास और
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विकास के लिए तकनीकी आयाम। ❑

वरिष्ठ प्रबंधक,
राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति,
जयपुर, (राजस्थान)

"संसार में सबसे बड़ा दिवालिया वह है जिसने अपना उत्साह खो दिया है। चाहे उसका सब कुछ क्यों न चला गया हो, यदि उसने अपना उत्साह बचा लिया है तो वह मुसीबतों से निकलकर फिर सफलता प्राप्त कर लेगा।"

— एच.डब्लू अरनाल्ड : सबसे बड़ा दिवालिया

प्रश्नोत्तरी

प्र. अरुंधती राय को उनके किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया?

उ. 'द गॉड ऑफ स्माल थिंगस' उपन्यास के लिए।

प्र. 'कथा कहो उर्वशी' किस लेखक की कृति है और उसे किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

उ. दलीप कौर तिवाना की। उन्हें इस कृति के लिए वर्ष 2001 का सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया।

प्र. कबीर के गुरु का क्या नाम था?

उ. रामानंद।

प्र. भारत की पहली महिला गवर्नर का क्या नाम था और वह किस राज्य की गवर्नर बनी?

उ. सरोजिनी नायडू। वह उत्तर प्रदेश राज्य की गवर्नर बनी।

प्र. लाला लाजपतराय की मृत्यु कैसे हुई थी?

उ. वह लाहौर में 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुलिस लाठाचार्ज में मारे गए थे।

प्र. भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल का क्या नाम था और किस अवधि में वह इस पद पर रहे?

उ. सी. राजगोपालाचारी। सन् 1878 से 1972 तक गवर्नर जनरल बनने वाले वह पहले भारतीय थे। 1948–50 के बीच उन्होंने यह पदभार फिर संभाला और इस प्रकार अंतिम गवर्नर जनरल होने का गौरव भी इन्हें हासिल हुआ।

प्र. नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली पहली मुस्लिम महिला का क्या नाम है?

उ. ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता और नारीवादी वकील शीरी हबादी।

प्र. 'जय जवान जय किसान' का नारा किसने दिया था?

उ. लाल बहादुर शास्त्री।

प्र. योजना आयोग की पहली महिला अध्यक्ष का क्या नाम था?

उ. दुर्गाबाई देशमुख।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ऋण : उपादेयता और वसूली निष्पादकता

☞ डा. नरेंद्र पाल सिंह

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बदलते परिदृश्य में बैंकों को अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वैसे तो आज भारतीय बैंकिंग का रुझान भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों की ओर स्वतः ही है किंतु इसमें और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। बैंकों द्वारा संबंधित क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी कार्यपद्धति में परिवर्तन करना होगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था गरीबी के दुष्चक्र में पिछले पांच दशकों से संघर्ष कर रही है। आजादी के बाद से ही देश का संतुलित एवं समन्वित विकास करने के लिए तथा अर्थव्यवस्था को विकसित एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का सहारा लिया गया, किंतु देश का सुमचित विकास नहीं हो पाया। अतः आज भी एक तिहाई जनसंख्या गरीबी के नीचे जीवनयापन करने को मजबूर है। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी अंधविश्वास, रूढ़िवादिता विकास के आड़े आ रही है। ग्रामीण लोग सामाजिक क्षेत्र में आज रीतिरिवाजों एवं बुराइयों में ही काफी पैसा व्यय कर देते हैं तथा भाग्यवादिता व निराशावाद की प्रवृत्ति से ग्रसित हो जाते हैं। लोगों में आर्थिक प्रगति की भावना का अभाव है।

विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में बचत व निवेश की दर काफी कम है जिससे पूंजी निर्माण की दर में कमी आना स्वाभाविक है। औद्योगीकरण की धीमी गति को बढ़ाने के लिए श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण तथा नए–नए आविष्कार कर देश के उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक एवं लघु कुटीर उद्योगों की स्थापना कर ग्रामीणों को रोजगार के अधिक अवसर दिए जा सकते हैं। कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि भारत में भी कनाडा, अमेरिका तथा अन्य विकसित देशों की तरह आधुनिक तकनीक के द्वारा कृषि को प्रोत्साहन दिया जाए तथा कृषि पर आधारित अन्य उद्योगों जैसे डेरी, मछलीपालन, बागवानी, मधुमक्खीपालन आदि उद्योगों को सरकारी प्रोत्साहन दिया जाए।

हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योगों हेतु अधिकांशतः ऋण लिए जाते हैं। ग्रामीण लोग इसके अलावा अनुत्पादक कार्यों जैसे विवाह, जन्म एवं मृत्यु, मुकदमेबाजी आदि के लिए भी ऋण लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के ऋणों की पूर्ति साहूकारों, सहकारी संस्थाओं, भूमि विकास बैंक, व्यापारिक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकार, अग्रणी बैंक योजना, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणग्रस्तता का कारण कम आय व निर्धनता, पैतृक ऋण, प्राकृतिक संकट, सामाजिक व्यय, पशुओं आदि की मृत्यु, मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति, साहूकारों की कुरीतियों, मूल्य स्तर में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि तथा अन्य साधनों से आय का अभाव है।

वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 65 प्रतिशत ऋण संस्थागत स्रोतों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। संस्थागत स्रोतों से कृषि साख की कुल राशि 1992–93 में 15,169 करोड़ रुपये थी जो 1999–2000 में 44,612 करोड़ रुपये तथा 2000–01 के दौरान बढ़कर 51,460 करोड़ रुपये हो गई। वर्ष 2001–02 के लिए कृषि क्षेत्र को 64,000 करोड़ रुपये का संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। दिए गए कुल संस्थागत ऋण में साख सहकारी बैंकों का अंश 41.31 प्रतिशत, वाणिज्यिक बैंकों का 51.23 प्रतिशत तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अंश 7.46 प्रतिशत है।

रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल साख का 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को उपलब्ध कराना होता है किंतु इन बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को उपलब्ध कराई गई बकाया साख कुल बैंक साख का 14.1 प्रतिशत तक ही पहुंच पाई है।

किसी भी अर्थव्यस्था के विकास के लिए ऋण मूलभूत आवश्यकता है और हम वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था को पार कर चुके हैं। देश में ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महाजन और साहूकार ऊंची ब्याज दर पर अनैतिक रूप से उधार देने का कार्य करते हैं। देश में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार द्वारा बचत की भावना विकसित की जा सकती है तथा निर्धन वर्ग के लोगों को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा प्रदान की जा सकती है। कम ऋण ब्याज दर पर निर्धन किसानों को खाद, उर्वरक, बीज व कृषि औजार खरीदने के लिए सहायता दी

जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ऋण वितरण पर सभी बैंकों द्वारा बल दिया जाता रहा है। पिछले वर्षों में बैंकों के उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा आय अभिज्ञान एवं आस्तियों के वर्गीकरण के मापदंड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू करने से अनेक परिवर्तन आए हैं। बैंकों का उद्देश्य परिवर्तित होकर लाभोन्मुखी हो गया, जिस हेतु नई ऋण योजनाएं बाजार में उतारी जा रही हैं। बैंकों द्वारा पिछले वर्षों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ऋणों के वितरण की स्थिति प्रमापों के अनुरूप नहीं हो पाई। कृषि क्षेत्र में मात्र 15 प्रतिशत ही लक्ष्य पूरे हो पाए जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सुखद स्थिति नहीं कहीं जा सकती। कृषि के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 25 प्रतिशत का हिस्सा रहता है। अतः कृषि क्षेत्र के विकास के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। व्यावसायिक बैंकों की लगभग 60 प्रतिशत शाखाएं छोटे कस्बों व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं और इनका समस्त कारोबार वहां रहने वाले समस्त ग्राहकों पर आधारित है किंतु प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों की स्थिति ठीक नहीं है।

ग्रामीण बैंकों के जनक डा. युनूस ने कहा है कि "बिना अनुशासन के ऋण दान के अलावा और कुछ नहीं है।" **ऋण देना अधिकांश बैंकों की मुख्य गतिविधि है। ऋण देने की इस गतिविधि को सफलतापूर्वक चलाने के लिए बैंक को ऋण प्राप्तकर्ता की ऋणपात्रता का गहरा अध्ययन तथा सही निर्णय लेना होता है। ये निर्णय हमेशा सही ही हो, यह जरूरी नहीं है** साथ ही आज ऋण प्राप्तकर्ता की ऋण पात्रता अच्छी हो सकती है किंतु कुछ समय बीतने पर अनेक कारणों से उसकी पात्रता में कमी आ सकती है। **इसलिए बैंक आज जिस चुनौती से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं वह है ऋण जोखिम या ऋणी द्वारा अपनी देयताओं को समय पर न चुका पाना या जानबूझकर न चुकाना अर्थात बैंक के साथ ऋण तथा उसका ब्याज चुकाने की संविदा का पालन न कर पाना। इससे न केवल ऋणों पर असर पड़ता है बल्कि इससे उनकी आस्तियां भी जोखिम में आ जाती हैं।** बैंकों को इन आस्तियों के प्रति प्रारक्षित राशि रखनी पड़ती है या उन्हें बट्टेखाते में डालना पड़ता है जिसके लिए अपनी आस्तियों में प्रावधान करना पड़ता है।

ऋण प्रदान करते समय ध्यान रखने योग्य बातें

बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करते समय चाहिए कि वे ऋणी का चरित्र, क्षमता, पूंजी, संपार्श्विक (प्रतिभूति), स्थितियों को ध्यान में रखें। बैंक उधारकर्त्ता के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यदि सब कुछ जान भी जाएं फिर भी ऋण का भुगतान तो भविष्य में होना है। बीते समय में क्या हुआ, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। ऋण निर्णय व्यक्तिगत न्याय के लिए हैं जोकि उधारदाता की समग्र नीति के संदर्भ में लाभप्रदता और तरलता के बीच संतुलन बनाए रखते हुए लिए जाते हैं। जब लंबी अवधि के लिए लेंगे तो तरलता घटेगी और जोखिम तथा लाभप्रदता बढ़ेगी। किसी भी क्षेत्र में कोई भी ऋण जोखिमरहित नहीं होता। यदि बैंक ऋणों के संबंध में जोखिम नहीं उठाएगा तो वह अपना कारोबार नहीं कर सकता है। अतः बैंक को ऋण प्रदान करने का निर्णय करते समय निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए:

- बैंक को ऋण प्रदान करने के नए मौके तलाशने की बजाए ऋणों की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ऋण जोखिम का विश्लेषण करते समय बैंक को लाभप्रदता, उधारकर्ता की प्रबंधन अनुभव क्षमता, नकद प्रवाह और निवल साख का आकलन करना चाहिए तथा ऋण प्रदान करते समय उधारकर्ता को ऋण की मात्रा, ऋण की अवधि, ऋण के प्रमुख प्रयोजन आदि के बारे में सही निर्णय करना चाहिए।
- बैंक को ऋण प्रदान करते समय उधारकर्ता के चरित्र, एकता, ईमानदारी अथवा इरादों के बारे में यदि संदेह हो तो ऋण की स्वीकृति नहीं की जानी चाहिए।
- सफल बैंक ऋण प्रदान करते समय जिस कारोबार अथवा उद्योग के लिए ऋण प्रदान कर रहे हैं, उसके जोखिमों का मूल्यांकन अवश्य करें। उसके पश्चात ही ऋण स्वीकृत करें।
- अधिकारियों को चाहिए कि ऋण की स्वीकृति के समय केवल दिशा–निर्देशों एवं विश्लेषणात्मक तकनीकी के आधार पर निर्णय न लें बल्कि व्यावहारिक अनुभवों एवं औपचारिक विश्लेषणों के आधार पर ही ऋण की स्वीकृति करें।
- बैंकों को ऋण स्वीकृति के समय यह तय करना चाहिए कि ऋण चुकाने का आधार क्या होगा। यदि ऋण मौसमी प्रकृति या अत्यधिक जोखिम प्रकृति के हैं तो ऐसे ऋणों की स्वीकृति में अधिक तीव्रता दिखाएं और अच्छा तो यह होगा कि ऋण स्वीकृति के समय चुकाने की प्रक्रिया तय कर ली जाए।
- ऋण स्वीकृति के समय बैंक अधिकारियों को चाहिए कि व्यवसाय एवं ऋणी के बारे में पहले सभी तथ्य उपलब्ध कराएं और यदि किन्ही बातों की जानकारी न हो तो प्रश्नों या तथ्यों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने पर ही ऋण स्वीकृत करें।
- बैंकों द्वारा जिन परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत किया जाना है, उन परियोजनाओं का मूल्यांकन होना चाहिए। ऐसी ही परियोजनाओं में लगे अन्य लोगों से पूछताछ कर मूल्यांकन किया जा सकता है।
- ऋण स्वीकृति के समय बैंकों को चाहिए कि ऋणों के विरुद्ध जो प्रतिभूतियां रखी गई हैं, उनका मूल्यांकन तथा विपणनीयता का व्यावसायिक और सामान्य दृष्टि से मूल्यांकन किया जाना चाहिए तथा प्रतिभूतियों के बाजार मूल्यों, परिसमापन मूल्य और जबर्दस्ती बिक्री मूल्य के अंतर को ध्यान में रखना चाहिए और ऐसे अंतरों के लिए मार्जिन की अवधारणा का सहारा लेना चाहिए।
- बैंक को ऋण प्रदान करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि छोटे उधारकर्ताओं को उधार देना बड़े उधारकर्ताओं की अपेक्षा अधिक जोखिमपूर्ण होता है। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि छोटे उधारकर्ताओं को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया जाए क्योंकि बैंकिंग उद्योग में छोटे उधारकर्ताओं का भी उतना ही महत्व है और बहुत–सी छोटी परियोजनाएं बहुत लाभदायक भी हो सकती हैं। अतः परियोजना का मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए।
- बैंक जब भी ऋण प्रदान करें तो ऋण के अंतर्गत दस्तावेजीकरण की पूर्णता के संबंध

में बैंक प्रशासन द्वारा पूरी चौकसी बरती जानी चाहिए क्योंकि ऋण प्रक्रिया में ऋण दस्तावेज जल्दी तैयार किए जाते हैं जिनकी ऋणों के अनर्जक होते समय न्यायालय में जांच की जाती है।

- ऋणों की स्थानीय मांग को वहां के स्थानीय बैंकों द्वारा ही पूरा किया जाना चाहिए क्योंकि स्थानीय बैंक अपने क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं एवं उधार के जोखिम को भली–भांति जानते हैं। बैंकों को ऐसे ग्राहकों पर भी निगरानी रखनी चाहिए जो अपने वर्तमान बैंक से असंतुष्ट होकर अथवा कई बैंकों से ऋण लेकर अपना बैंक बदलना चाहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नए खाते पुराने खातों की तुलना में ज्यादा जोखिम भरे हो जाते हैं।
- ऋण प्रदान करते समय बैंक को चाहिए कि वह निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। यदि ग्राहक ऋण प्राप्त करने हेतु जल्दी निर्णय का दबाव बनाता है तो ऐसे मामलों में उत्तर नहीं में होना चाहिए। सर्वोत्तम यह होगा कि ऋण प्रदान करने से पहले अधिकारी एवं कर्मचारी लक्ष्य परियोजना का दौरा करें और अपने उच्चाधिकारियों के साथ विचार–विमर्श अवश्य कर लें।
- ऋण प्रदान करते समय ऋणी के अलावा गारंटर (जमानती) के हस्ताक्षर भी ऋण दस्तावेजों पर होने चाहिए तथा गारंटर को उसके अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के बारे में पूर्णतया बैंक द्वारा जानकारी दी जानी चाहिए। गारंटी करते समय बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गारंटी स्वतंत्र रूप से हो एवं गारंटर अपनी बाध्यताओं को जानते हुए गारंटी कर रहा है या नहीं।
- ऋण प्रदान करने हेतु परियोजना का मूल्यांकन विशेषज्ञों के माध्यम से कराया जाना चाहिए तथा ऋण की उचित मात्रा स्वीकृत की जानी चाहिए। यदि ऋण की राशि अनुमान से कम स्वीकृत की गई है तो परियोजना का उचित रूप से चल पाना संभव नहीं होगा और ऋण की राशि डूब जाएगी। ऋण प्रदान करते समय कार्यप्रगति को देखते हुए ऋण की किश्त उचित समय पर उपलब्ध करानी चाहिए।
- जिस व्यवसाय के लिए ऋण स्वीकृत किया जा रहा हो उसमें प्रयुक्त किया जाने वाला कच्चा माल, श्रमशक्ति एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं की प्रमाणिकता वर्तमान तथा भविष्य में भी हो, यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए तथा निर्मित माल के विपणन हेतु पर्याप्त बाजार की उपलब्धता भी देखनी चाहिए।
- बैंकों को ऋण प्रदान करते समय ग्राहकों को ऋण की राशि का वितरण एवं भुगतान करते समय यह ध्यान रखना होगा कि भुगतान क्रास चैक अथवा ड्राफ्ट द्वारा किया जाए और अधिकांश भुगतान सीधे आपूर्तिकर्ता को ही सुनिश्चित किया जाए।
- ऋण के विरुद्ध रखी गई प्रतिभूतियों का मूल्य के आधार पर बीमा कराना चाहिए तथा भविष्य में होने वाली हानि से बचना चाहिए।
- यदि ऋण कार्यशील पूंजी हेतु प्रदान किया गया है तो ऐसे खातों का प्रतिवर्ष नवीनीकरण कर समीक्षा की जानी चाहिए।
- ऋण प्रदान करते समय शाखा प्रबंधकों को यह भी देखना होगा कि बैंक ऋणों का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। जिस उद्देश्य के लिए ऋण स्वीकृत किया गया था, वह उद्देश्य पूरा हुआ अथवा नहीं।
- बैंक को चाहिए कि वह कुछ चयनित क्षेत्रों को ही अधिक ऋण की स्वीकृति न करें क्योंकि इससे बैंक का जोखिम बढ़ जाएगा।
- बैंक को सरकार, रिजर्व बैंक तथा उसके प्रधान कार्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही ऋणों की स्वीकृति करनी चाहिए। किसी राजनैतिक अथवा प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव में आकर ऋणों की स्वीकृति न करें।

निगरानी एवं पर्यवेक्षण

ऋण स्वीकृति के बाद बैंकों को निगरानी एवं देखरेख की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। यदि बैंक ऋणों के बारे में नियमित रूप से अनुवर्ती कार्यवाही करता रहे तो ऋण वसूली में आसानी होगी और अनर्जक होने से रोका जा सकेगा। इरादातन चूककर्ताओं की पहचान शुरू में ही की जा सकती है। बैंक शाखाओं को चाहिए कि उधारकर्ताओं के परियोजनावार, ग्रामवार, धनराशि के अनुरूप, क्षेत्रवार अथवा वर्णमाला के अनुरूप रजिस्टर तैयार कर निरीक्षण हेतु प्रयोग किए जाएं और ध्यान रखा जाए कि

- जिस परियोजना हेतु ऋण स्वीकृत किया गया है, काम भी उसी के अनुरूप हुआ है अथवा नहीं।
- ऋण राशि से जो संपत्ति खरीदी गई है वह गुण और मानकों के अनुरूप है अथवा नहीं।
- परियोजना पर उत्पाद कार्य शुरू हुआ है अथवा नहीं और आय अर्जन कब शुरू होने वाला है।
- परियोजना शुरू करने में कोई बाधाएं तो नहीं आ रही हैं और यदि हैं तो क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है।
- ऋण एवं अनुदान राशि का उपयोग अन्य सामाजिक कार्यों में तो नहीं किया गया है।
- खाते के लेन–देन तथा किश्तों की क्या स्थिति है।
- ऋणों की स्वीकृति उपरांत यदि शर्तों का उल्लंघन किया गया है तो उधारकर्ता के साथ व्यक्तिगत बैठक आयोजित की जानी चाहिए।
- परियोजना पर उत्पादन प्रारंभ होने पर व्यवसाय की प्रगति, लाभ, उत्पादन, बिक्री आदि आंकड़ों की समय–समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।
- समय–समय पर प्रत्याभूति के रूप में रखी गई संपत्तियों का मूल्यांकन एवं सत्यापन भी किया जाना चाहिए।
- ऋण प्राप्तकर्ता के वित्तीय विवरणों का समय–समय पर विश्लेषण करना चाहिए और यदि विचलन हो तो ऋणी को तुरंत अवगत कराएं।
- यदि ऋणी किश्तों का समय से भुगतान नहीं कर पा रहा है तो कारणों का पता लगाया जाए और आवश्यक कदम शीघ्र उठाए जाएं।

ऋण वसूली की अनुवर्ती कार्यवाही

बैंकों का जितना महत्वपूर्ण कार्य ऋण वितरण करना है उससे अधिक महत्व का कार्य उसे वसूल करना है। इस हेतु बैंकों को शाखा स्तर पर ऋण वसूली हेतु सुदृढ़ नीतियां बनानी चाहिए तथा समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित कर कार्यक्रम चलाया जाना चहिए। बहुत–सी शाखाएं अपने दैनिक कार्यों एवं जमा संग्रहण में व्यस्त होकर ऋण वसूली कार्यक्रम को सुनियोजित एवं योजनाबद्ध तरीके से नहीं

चला पातीं अतः उनमें अनर्जक आस्तियों में दिन–प्रतिदिन वृद्धि होती चली जाती है जो उनकी लाभदायकता को भी प्रभावित करती है। अतः ऋणों की वसूली हेतु बैंकों को निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए:

- ऋण देय होते ही प्रारंभ से ही ऋण वसूली की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि देय राशि बड़ी हो जाए तो उसकी वसूली उतनी ही दुष्कर हो जाएगी।
- ऋण वसूली कार्यक्रम को प्रभावी बनाने हेतु शीर्ष प्रबंध/नियंत्रणों की ओर से समय–समय पर शाखाओं को दिशा–निर्देश जारी किए जाने चाहिए और उन्हें प्रभावपूर्ण ढंग से लागू भी किया जाना चाहिए। जो भी प्रयास इस हेतु किए गए हों, उनकी कार्यवाही प्रतिदिन रजिस्टर में दर्ज की जानी चाहिए तथा पत्राचार कर रिकार्ड एवं फाइल तैयार की जानी चाहिए।
- ऋण वसूली हेतु एक अलग सेल/विभाग की स्थापना की जानी चाहिए तथा इसमें कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को समय–समय पर प्रशिक्षित कर नई–नई प्रविधियों की जानकारी दी जानी चाहिए।
- भुगतान में चूक करने वाले ऋणियों की सूची शाखा स्तर पर बनाई जानी चाहिए तथा उसको शाखा के बाहर सूचनापट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इन चूककर्ताओं की सूची को सार्वजनिक समाचार–पत्रों के माध्यम से भी विज्ञापित किया जा सकता है और इन सूचियों को स्थानीय स्तर पर सभी बैंकों को भेजा जाना चाहिए जिससे ऐसे ऋणियों को ऋण दोहराव टाला जा सके और वसूलियों में वृद्धि हो सके।
- ऋणों का भुगतान न करने वाले ऋणियों की सूची का विश्लेषण किया जाना चाहिए और ऐसे उपायों पर विचार किया जाना चाहिए जिससे कारणों का पता लगाकर ऋण वसूली में वृद्धि की जा सके।
- बैंकों की जिन शाखाओं में ऋण वसूली में श्रेष्ठता पाई गई हो, उनकी कार्यपद्धति का विशेषज्ञों के द्वारा विश्लेषण कर अन्य शाखाओं को भी उस कार्यविधि से प्रेरित करना चाहिए ताकि वसूली में वृद्धि हो सके।
- ऋण वसूली प्रक्रिया में प्रबंधकों एवं नियंत्रकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः समय–समय पर इनके द्वारा ऋण वसूली कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जैसे ऋण मेलों के माध्यम से धन वितरित किया जाता है, उसी तर्ज पर ऋणवसूली मेलों का आयोजन किया जाना चाहिए और उसमें सभी स्तर के कर्मचारी शामिल होने चाहिए।

ऋण वितरण बैंक के व्यवसाय एवं आय का प्रमुख साधन है। अतः बैंकों को चाहिए कि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर नीची ब्याज दर एवं कम लागत पर ऋणों को प्रदान करें और वसूली संबंधी सावधानियां प्रारंभ से ही रखी जाएं अन्यथा बैंकों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न होने में देर नहीं लगेगी और उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।

- प्रत्येक शाखा स्तर पर ऋणवसूली कार्य समितियों का गठन किया जाना चाहिए और समय–समय पर बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। इन बैठकों में ऋण की वर्तमान स्थिति की भावी योजना और वसूली संबंधी प्रयासों पर विचार मंथन किया जाना चाहिए। वसूली संबंधी लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए जिनकी वास्तविक वसूली से तुलना करके अंतरों के कारण खोजे जाने चाहिए और कमियों के प्रति कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए।
- ऋण वसूली हेतु कैंपों का आयोजन किया जाना चाहिए। इसके लिए बाजार में रुपये की उपलब्धता, अनुकूल व्यापार चक्र, मौसमी आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखना चाहिए अर्थात जब लोगों के पास रुपया उपलब्ध हो तभी कैंपों की सफलता सुनिश्चित हो सकेगी और ऋणियों के हितों की बातों को प्रचारित–प्रसारित किया जाए जो इन कैंपों का विशेष आकर्षण हो।
- बेहतर तो यह होगा कि ऋण हेतु लगाए गए कर्मियों से सुझाव भी आमंत्रित किए जाएं क्योंकि इन कमियों द्वारा व्यावहारिक समस्याओं को झेला जाता है तथा उन सुझावों पर अमल भी किया जाना चाहिए।
- केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्राकृतिक विपदाओं के कारण समय–समय पर ऋण माफी कार्यक्रम जनता हेतु अपनाए गए हैं। इस धारणा से ग्रामीणों के मन में यह बात घर कर जाती है कि सरकार आगे भी इसी तरह ऋणों को माफ कर देगी। अतः इरादतन चूककर्ताओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्र की शाखाओं में प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता है और लोगों के मन से इस भ्रांति को निकालने की आवश्यकता है कि ऋण माफी का बोझ अप्रत्यक्ष रूप से उन पर ही पड़ता है।
- स्थानीय प्रभाव में व्यक्तियों एवं नेताओं द्वारा स्थानीय स्तर पर ऋणियों को दिशाभ्रमित कर दिया जाता है और उनके मन में यह बात बैठा दी जाती है कि बैंक ऋण सरकारी धन है और इसे नहीं चुकाना है। इस हेतु बैंक को ऋण वसूली प्रयास करना चाहिए तथा ग्रामीण जनता को यह समझाएं कि ऋण चुकाना उनका उत्तरदायित्व है और ऋण की राशि का उपयोग उद्देश्य के अनुरूप ही करें।
- ऋणियों को इस बात का भी अनुभव कराया जाना चाहिए कि ऋण समय पर चुकाने से बैंक और समाज के सामने उनकी छवि अच्छी बनती है।
- ऋणियों को ऋण प्रदान करते समय ही इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए कि ऋण का प्रयोग बताए गए कार्यों में ही करें। सामाजिक कार्यों में न करें क्योंकि ऋण का प्रयोग सामाजिक कार्यों में करने से आय के स्रोतों में वृद्धि नहीं होगी और ऋण अदायगी में समस्याएं उत्पन्न होंगी।
- ऋण राशि से खरीदी गई संपत्ति की हानि का बीमा अवश्य कराया जाना चाहिए और उसका लाभ आवश्यकतानुसार समय पड़ने

पर बैंकों को दिलाया जाना चाहिए।

- ऋणियों का खातावार विश्लेषण कर चूककर्ताओं की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। जिन मामलों में चूक अपर्याप्त अवधि के कारण, किश्त की समुचित रकम न होने अथवा प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हो, वहां उधारकर्ताओं से बातचीत करके उस गतिविधि से होने वाली आय के आधार पर इसका पुनः निर्धारण किया जाना चाहिए।
- व्यावहारिक रूप से अर्थक्षम इकाइयों को चयनित करके इनका पुनर्जीवीकरण किया जाना चाहिए। इसमें ऋण की रकम, कार्यशील पूंजी, सावधि ऋण, ब्याज दर में छूट तथा इकाइयों को पुनर्जीवित करने हेतु अतिरिक्त सुविधा की मंजूरी इत्यादि शामिल हो सकते हैं परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि इकाई का प्रबंधन कुशल है और आय सृजित करने में सक्षम है।
- यदि उधारकर्ता सहयोग कर रहा है तो संदिग्ध एवं हानि वाले खातों में समझौता प्रस्ताव कर थोड़ी राहत प्रदान करते हुए ऋण के पूरे भुगतान के लिए पैकेज दिया जा सकता है। यह उपाय कारगर सिद्ध हो सकता है क्योंकि इससे बैंक कानूनी कार्यवाही करने से बच जाता है।
- जब यह दिखाई देने लगे कि राहत उपाय कारगर नहीं होंगे और पूरी रकम की वसूली ही बैंक के हित में होगी और परियोजना पुनर्जीवित करने के अवसर नगण्य हैं, ऋणी के स्रोत और प्रतिभूति पर्याप्त होने के बावजूद उससे बातचीत का परिणाम समझौता प्रस्ताव के लिए नहीं हो पा रहा है तो बैंक को प्रतीक्षा करने के बजाए कानूनी अथवा न्यायिक कार्यवाही प्रारंभ कर देनी चाहिए।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बदलते परिदृश्य में बैंकों को अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वैसे तो आज भारतीय बैंकिंग का रुझान भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों की ओर स्वतः ही है किंतु इसमें और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। बैंकों द्वारा संबंधित क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी कार्यपद्धति में परिवर्तन करना होगा। ऋण खातों में पैसा डूबने में यदि स्वीकृत ऋण सुविधा किसी षड्यंत्र की उपज है तो यह एक आपराधिक कृत्य माना जाना चाहिए और दोषी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अवश्य ही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर का संबंध बैंक ऋण से सीधा–सीधा जुड़ा होता है। बैंक ऋण, ऋण पर ब्याज दर एवं ब्याज दर कोष की लागत से जुड़ी होती है। हम कोषों की लागत में कमी करके ऋण पर ब्याज दरों में कमी कर सकते हैं। पहले सरकार द्वारा ब्याज दर का निर्धारण किया जाता था लेकिन आज बैंक ब्याज निर्धारण हेतु स्वतंत्र हैं, ऐसी परिस्थितियों में बैंकों को उत्कृष्ट एवं प्रतियोगी कार्यपद्धति को विकसित करना होगा और अधिक लाभ अर्जित करना होगा। समय को देखते हुए अब कम ब्याज दर ऋण प्रस्तावों की कमी से जूझना पड़ रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि बैंकों की उदार ऋण नीति का लाभ समाज के निम्न वर्गों को भी मिलना चाहिए।

यदि सच पूछा जाए तो स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए बैंकों द्वारा ऋण की सुविधा न के बराबर रही है जबकि इस संबंध में तर्क यह दिया जाता है कि इस वर्ग से ऋणों की वसूली की समस्या गंभीर है। किंतु इसका विकल्प तो सरकार एवं बैंकों को तलाशना ही होगा और इस संबंध में बैंकों को छोटे–छोटे ऋण लेने वालों के मस्तिष्क में यह बात बैठानी होगी कि एक स्वीकृत ऋण सीमा का यदि यथोचित रूप से उपयोग किया जाए और समय से भुगतान किया जाए तो स्वीकृत ऋण सीमा प्राप्तकर्ता के लिए एक नियमित वित्त प्राप्ति का साधन बन सकती है।

ऋण वितरण बैंक के व्यवसाय एवं आय का प्रमुख साधन है। अतः बैंकों को चाहिए कि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर नीची ब्याज दर एवं कम लागत पर ऋणों को प्रदान करें और वसूली संबंधी सावधानियां प्रारंभ से ही रखी जाएं अन्यथा बैंकों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न होने में देर नहीं लगेगी और उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। ❑

ए/1, आदर्श नगर,
नजीबाबाद, उत्तर प्रदेश–246763

यह मानव समाज बड़ा ही विचित्र है। इसमें कुछ इंसान ऐसे हैं जो जानते हैं और मानते भी हैं। एक तरह से ऐसे इंसान श्रेष्ठ हैं। इसके साथ ही एक तरह के इंसान और भी हैं जो न जानते हैं और न ही मानते हैं। ऐसे ही इंसान स्वयं के साथ दूसरों के लिए भी समस्याएं पैदा करते हैं।

प्रेरक प्रसंग

बड़ी लकीर

उन दिनों स्वामी रामतीर्थ अध्यापन कार्य करते थे। एक दिन उन्होंने श्यामपट्ट पर एक लकीर खींची और फिर छात्रों से पूछा, "क्या तुममें से कोई छात्र इस लकीर को छोटा कर सकता है?"

तभी तपाक से एक छात्र उठा और उसने श्यामपट्ट के पास आकर जैसे ही लकीर को मिटाकर छोटा करने के लिए हाथ बढ़ाया कि स्वामीजी ने रोक दिया और कहा "मैंने लकीर को मिटाने के लिए नहीं बल्कि छोटा करने के लिए कहा था।"

यह सुनकर सभी छात्र सोच में पड़ गए कि आखिर बिना लकीर को मिटाए इसे छोटा कैसे किया जाए! फिर एक छात्र उठा और उसने उसी लकीर पर एक उससे बड़ी लकीर खींच दी।

जब रामतीर्थ बोले, "जानते हो इसका अर्थ क्या है? देखने में यह बात बहुत साधारण है। छोटी लकीर के ऊपर बड़ी लकीर खींच दो तो दूसरी यानी पहले वाली अपने आप ही छोटी पड़ जाएगी। लेकिन इसका एक गहरा अर्थ भी है, वह यह कि जीवन में महान बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि तुम अन्य व्यक्ति को मिटा दो। आवश्यकता तो इस बात की है कि मनुष्य अपने गुणो से स्वयं को इतना महान बनाए कि सामने वाला व्यक्ति खुद–ब–खुद छोटा पड़ जाए।" ❑

प्रस्तुतिः मुकेश कुमार
वसंत कुंज, नई दिल्ली

ग्रामीण विपणन : समस्याएं और संभावनाएं

☞ आर. बी. एल. गर्ग

विकास

ग्रामीण उपभोक्ता की क्रयशक्ति में सुधार हो रहा है लेकिन वह सरल और शंकालु है इसलिए उसकी मांग का निर्माण करना इतना सहज नहीं है। ग्रामीण उपभोक्ता के लिए विश्वसनीय तथा ग्राह्य विपणन व्यूहरचना की आवश्यकता है ताकि उसकी जरूरतों को प्रभावी मांग में तब्दील किया जा सके।

भारत, चीन, इंडोनेशिया और ब्राजील की समृद्धि की ओर अग्रसर अर्थ–व्यवस्थाओं ने ग्रामीण क्षेत्र में विपणन की संभावनाओं को प्रखर भी बनाया है तथा चुनौतीपूर्ण भी। पिछले दो दशकों में भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनेक परिवर्तन आए हैं। न केवल ग्रामीण आय बढ़ी है अपितु ऋणग्रस्तता में भी कमी आई है।

विख्यात कवि एलन ब्राउन जॉन ने भारत को बहुरूपदर्शी के रूप में प्रस्तुत किया है। यदि इस यंत्र को हम घुमाएं तो हर बार हमें जहां पीड़ा का एक दृश्य नजर आएगा वहां इसमें अंतर्निहित संभावनाओं का प्रकाशमान नजारा भी दिखाई देगा। वास्तविकता यह है कि भारत एक ऐसा अजूबा देश है जो विश्व के भविष्य को प्रदर्शित करता है– विश्व का भावी देश। यह बात भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में पूर्णतः सच है।

पूरी दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था को अपरिमित संभावनाओं से परिपूर्ण व गत्यात्मक माना जाता है। पिछले 3–4 वर्षों से मंदी से जूझने के उपरांत भारत धीरे–धीरे आर्थिक पुनर्लाभ के मार्ग पर चल पड़ा है और यह माना जाने लगा है कि इसे अधिक गति प्रदान करने के लिए ग्रामीण समृद्धि आवश्यक है। पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों से पता चलता है कि कृषि विकास तथा सकल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रत्यक्ष अपरिवर्तनीय संबंध है। वर्ष 1994–95 से 1996–97 के मध्य सकल राष्ट्रीय उत्पादन 7 प्रतिशत की दर से बढ़ा जिसका मुख्य कारण स्वस्थ कृषि विकास था। इसके विपरीत 1997–98 में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत थी जिसका मूल कारण कृषि की वृद्धि दर (2.4 प्रतिशत) का कम होना था। पुनः 2001 में कृषि वृद्धि दर कम होने के कारण सकल राष्ट्रीय उत्पादन की गति भी कम (5.2 प्रतिशत) रही।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास का लक्ष्य 8 प्रतिशत निर्धारित किया गया है जो निश्चित रूप से अतिरिक्त कृषि आय का निर्माण करेगा। ग्रामीण समृद्धि के लिए यह भी आवश्यक है कि ग्रामीण अतिरिक्त आय के एक बड़े अंश को प्रभावी मांग में परिवर्तित किया जाए, ऐसा करने से भारतीय अर्थव्यवस्था की पुनर्लाभ दर को और अधिक मजबूती मिल सकती है।

ग्रामीण आय के विदोहन के लिए अनेक देशी व बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने ग्रामीण बाजारों में प्रवेश किया है यथा हिंदुस्तान लीवर, कोलगेट पॉमोलिव, ब्रिटानिया, डाबर, अरविंद मिल्स, एल.जी. इलेक्ट्रॉनिक्स, कोकाकोला, वीडियोकोन आदि। लेकिन अधिकांश कंपनियों ने अपना विपणन कार्यक्रम शहरी मस्तिष्क से निर्धारित किया है जिसके कारण वे अभी तक ग्रामीण उपभोक्ता तक ठीक तरह पहुंच नहीं पाए हैं।

मार्केटिंग व रिसर्च टीम द्वारा भारतीय गांवों की 128 हाटों के गहन अध्ययन से पता चला है कि वहां कोई भी तीव्र गतिमान उपभोक्ता वस्तुओं की कंपनी (एफ.एम.सी.जी.), या स्थायी उपभोक्ता वस्तुओं के विपणनकर्ता उपस्थित नहीं थे। छः लाख भारतीय गांवों में पचास हजार हाट हैं जिनमें से अधिकांश 2,000 से अधिक जनसंख्या वाले बाजारों की मांग को पूरा करते हैं। इन

ग्रामीण हाटों में अनेक तीव्र गतिमान उपभोक्ता वस्तुओं एवं स्थायी उपभोग वस्तुओं का नमूनों तथा प्रदर्शन द्वारा विकास व उन्नयन किया जा सकता है। दीर्घकालीन दृष्टि से प्रासंगिक उत्पादों की मांग में वृद्धि का अर्थ है तीव्र आर्थिक पुनर्लाभ, जिसकी भारत को तलाश है। यह समझने की आवश्यकता है कि गामीण उपभोक्ता 'वास्तविक' एवं 'सुस्थापित' व्यक्ति है जिसके पास अपना आवास है तथा नियमित आय का स्रोत।

ग्रामीण उपभोक्ता की क्रयशक्ति में सुधार हो रहा है। लेकिन वह सरल व शंकालु है और इसलिए उसकी मांग का निर्माण करना इतना सहज नहीं है। ग्रामीण उपभोक्ता के लिए विश्वसनीय तथा ग्राह्य विपणन व्यूह–रचना की आवश्यकता है ताकि उसकी जरूरतों को प्रभावी मांग में तब्दील किया जा सके।

ग्रामीण उपभोक्ता की क्रय निर्णय संबंधी अनेक बातें हैं जो शहरी उपभोक्ता से भिन्न हैं। उदाहरण के लिए शहरी उपभोक्ता की तरह ग्रामीण ग्राहक के लिए किसी विशिष्ट ब्रांड की पेशकश उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना मूल्य। दूसरे, ग्रामीण उपभोक्ता किसी नए उत्पाद की आजमाइश नहीं करना चाहते, जबकि उसका शहरी मित्र उससे कहीं अधिक आजमाइशी है। ग्रामीण उपभोक्ता को विज्ञापन की तुकबंदी से मोहित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी प्रस्तुति सरल कहानी के रूप में न हो। उनके लिए क्रियात्मक विज्ञापन की आवश्यकता है क्योंकि उनका मौखिक व दृश्य साक्षरता स्तर शहरी उपभोक्ता से अलग है।

सामान्यतया वे उन वस्तुओं की मांग करते हैं जिनका उपयोग उनके शहरी मित्र कर चुके हैं। दूसरे, बाजारों के दूर होने तथा गतिशीलता के अभाव के कारण क्रय निर्णय पुरुष का होता है जबकि शहरी उपभोक्ता का क्रय निर्णय सामूहिक। यदि क्षेत्रवार बाजार विभक्तीकरण करें तो कुछ राज्यों में आय के अल्प–स्तर के कारण ग्रामीण उपभोक्ता उन वस्तुओं की मांग करता है जो सस्ती हो जैसे– साबुन, वाशिंग पाउडर, केश तेल, खाद्य तेल, रेडीमेड गारमेंट्स। इन्हें वह इकोनामी मूल्य पर क्रय करना चाहता है। इन्हीं उत्पादों की महंगी किस्म संपन्न राज्यों के संपन्न ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए मानी जा सकती है। आर्थिक दृष्टि से संपन्न राज्यों के ग्रामीण बाजारों में स्थायी उपभोक्ता वस्तुओं (रसोई उपकरण, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर आदि) की व्यापक मांग विद्यमान है।

धीरे–धीरे ग्रामीण उपभोक्ता की क्रय आदतों और व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। कुछ समय पहले निजी क्षेत्र की संस्थाओं (फिक्की–आई.एन.जी. फाउंडेशन) द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि ग्रामीणों में बचत करने की अच्छी आदत है भले ही उनकी आय का स्तर कुछ भी हो। इस अध्ययन के अधिसंख्य उत्तरदाताओं के पास ट्रेक्टर, टी.वी., दुपहिया वाहन, तथा टेलीफोन थे। इस अध्ययन से बीमा की व्यापक संभावनाओं का पता भी चलता है। लेकिन इसके प्रभावी विपणन के लिए बैंक, सहकारी संस्थाएं और स्वयंसहायता समूहों के योगदान की सिफारिश की गई है, जिनपर उनका विश्वास है।

धीरे–धीरे ग्रामीण उपभोक्ता एक परिपक्व हस्ती बनता जा रहा है जिसकी आय के समुचित विदोहन की सफलता उचित मूल्य, समुचित विकल्प तथा ब्रांड के उचित अवस्थापन पर निर्भर करती है। ग्रामीण उपभोक्ता के विश्वास को जीतने के लिए उपयुक्त भाषा और समुचित आचरण की आवश्यकता है और ऐसा करने के लिए उत्पादकों के पास ऐसे व्यक्ति भी होने चाहिए जिनकी जड़ें गांवों में हों तथा जो वहां की स्थलाकृति तथा जीवन निर्वाह दशाओं से सुपरिचित हों। मेलों, पैंठों, हाटों, त्योहारों, धार्मिक व खेलकूद के अवसरों पर उत्पादकों द्वारा विक्रय संवर्द्धन क्रियाओं (विविधात्मक मूल्य, छूट, पुरस्कार योजना आदि) पर बल दिया जाना चाहिए।

ग्रामीण विपणन के लिए पर्याप्त सड़कों तथा समुचित विद्युत विकास के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले 20–25 वर्षों में भारत में सड़कों का विकास हुआ है लेकिन ग्रामीण विपणन को समुन्नत करने की दृष्टि से इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। वास्तविक रूप से ग्रामीण सड़कों का विकास और विस्तार सार्वजनिक वस्तु के रूप में किया जाना चाहिए। यही बात बिजली के बारे में कही जा सकती है। अभी तक 10 राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के गांवों में विद्युतीकरण हुआ है और उनमें भी विद्युत की अनियमित उपलब्धता बनी हुई है जो ग्रामीण विपणन के मार्ग में बाधा है।

ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास के लिए कृषि में सार्वजनिक विनियोग की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि आवश्यक है जो कृषि आय में बढ़ोतरी के साथ–साथ संबद्ध उद्योगों के उत्पादों की मांग को भी बढ़ाए। यह आर्थिक पुनर्लाभ की पूर्व शर्त है जिसके लिए सार्वजनिक–निजी साझेदारी भी की जा सकती है।

पिछले कुछ वर्षों से महानगरों में संगठित फुटकर व्यापार तेजी से विकसित हो रहा है। आज देश में 210 'माल' व मनोरंजन प्लाजा नियोजन तथा निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं जिनमें से 100 'माल' 2005 तक सक्रिय हो जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि यह 'माल' फुटकर व्यापार में क्रांति लाएंगे। कुछ बातों को छोड़कर 'माल' व 'हाट' में ज्यादा फर्क नहीं है यद्यपि दोनों की ग्राहकी तथा स्वरूप अलग–अलग हो सकते हैं। पता नहीं यह 'माल' ग्रामीण उपभोक्ता की आवश्यकता को किस सीमा तक पूरा कर सकेंगे लेकिन ग्रामीण विपणन को इसी प्रकार की कल्पनाशीलता की आवश्कता है जिससे ग्रामीण आय का समुचित विदोहन हो सके। ❑

रिटा. प्रो. आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन,
14 फ्रेंड्स एन्कलेव, ओल्ड रोडवेज डिपो,
भरतपुर (राज.)

ज्ञान और कर्म के बीच पर्वत–सदृश अडिग विरोध है। भगवान व्यास ने इस पर बहुत विचार करने के पश्चात् अपने पुत्र को इस प्रकार बोध कराया– इन दोनों मार्गों की वेदों में शिक्षा दी गई है– एक है कर्म का मार्ग या प्रवृत्ति और दूसरा त्याग का मार्ग या निवृत्ति।

– श्री शंकराचार्य

अर्थव्यवस्था की चुनौती और संभावनाएं

☞ डा. ओ.पी. शर्मा

राजस्थान की अर्थव्यवस्था की स्थिति विकास के क्षेत्र में कई राज्यों की तुलना में कमजोर है। आर्थिक उदारीकरण के मार्ग को तीव्रता से आत्मसात कर महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्य विकास की दौड़ में काफी आगे बढ़ चुके हैं। राजस्थान योजनाबद्ध विकास का लंबा सफर तय कर चुका है। देश में नब्बे के दशक से प्रारंभ किए गए आर्थिक उदारीकरण के साथ राजस्थान ने कदमताल का प्रयास तो किया, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार इसका उदाहरण है, किंतु अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में संरचनात्मक बदलाव नहीं किए गए परिणामस्परूप राजस्थान उदारीकरण के लाभों से अपेक्षित लाभान्वित नहीं हो सका।

चालू वित्तवर्ष (2003–04) को छोड़कर पिछले चार वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को अकाल और सूखे की त्रासदी से जूझना पड़ा। अकाल की सबसे अधिक मार पशु, किसान और गरीब तबकों पर पड़ती है। पहले से ही चली आ रही कमजोर आर्थिक स्थिति अकाल और सूखे ने और बिगाड़ दी। आर्थिक सूचकों पर निर्धारित वित्तीय संसाधन के बड़े भाग को अकाल से निपटने के लिए खर्च करना पड़ा। अकाल राहत कार्यों में भ्रष्टाचार के चलते जरूरतमंदों को अपेक्षित लाभ नहीं मिलना चिंता की बात है।

वित्तवर्ष 2003–04 में मानसून के अनुकूल रहने से कृषि क्षेत्र में खुशनुमा वातावरण है। यह प्रदेश के लिए राहत की बात है क्योंकि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में कृषि की दशा से ही अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की दिशा निर्धारित होती है। कृषि पैदावार के बढ़ने से अर्थव्यवस्था को पिछले वर्षों के अकाल से उभारने में मदद मिलेगी।

मानसून की अनुकूलता से कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार की आशा है किंतु अन्य आर्थिक सूचकों की जो दयनीय स्थिति है, उनसे निपटना राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में उच्चावचन की प्रवृत्ति चिंताजनक है। आज भारत की अर्थव्यवस्था विकास की पटरी पर है। जहां भारत की गिनती एशिया में चीन के बाद सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था में हो रही है वहीं राजस्थान विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय धारा से जुड़ नहीं पा रहा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर वित्तवर्ष 2000–01 और 2002–03 में ऋणात्मक थी। धीमे आर्थिक विकास के कारण गरीबी और बेरोजगारी की समस्या मुखर हो उठी है। गरीबी के चलते विकास के मायने

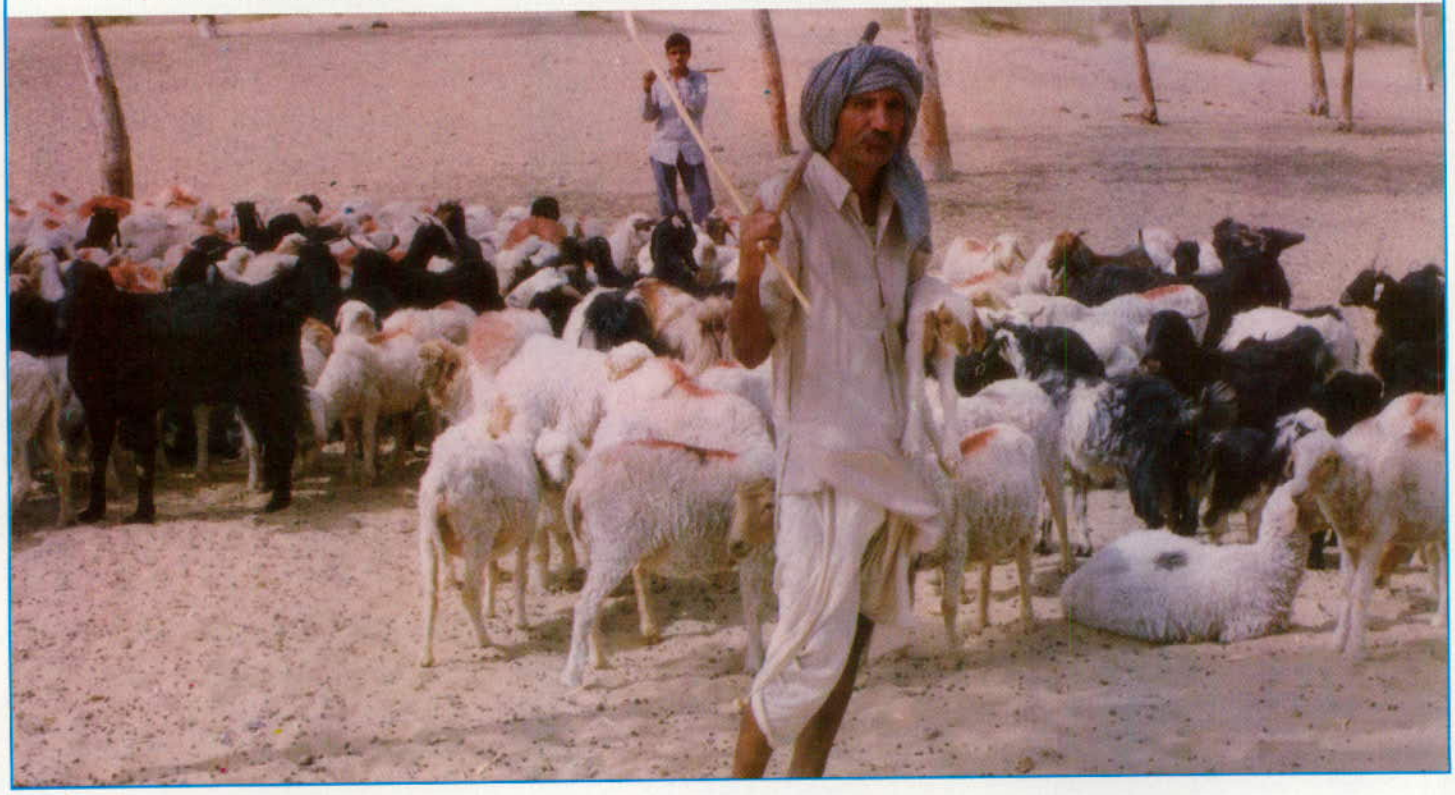

अधूरे हैं। सरकार ने बीते दशकों में गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास की अनेक योजनाएं चालू की किंतु योजनाओं के कारगर क्रियान्वयन के अभाव में गरीबी की समस्या से निपटने में मदद नहीं मिली। ऐसी स्थिति में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाकर ही गरीबी और बेरोजगारी की समस्या पर काबू किया जा सकता है।

वर्तमान उदारीकृत अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजनाओं की उपादेयता बनी हुई है। ये विडंबना ही है कि दीर्घावधि योजनाबद्ध विकास के बावजूद राजस्थान विकास के क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति के राज्यों में स्थान नहीं बना सका और आर्थिक उदारीकरण के दौर में भी राज्य अपेक्षित लाभ नहीं उठा सका। विषम भौगोलिक और कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण राज्य के विकास के लिए बड़े आकार की योजनाओं की जरूरत थी। योजनाओं की स्वीकृति राशि के पूर्ण होने के स्थान पर उनमें कटौती से विकास की गति को बढ़ाने में सफलता नहीं मिल सकी। नौवीं पंचवर्षीय योजना 27,650 करोड़ रुपये की निर्धारित की गई थी जबकि वास्तविक व्यय 19,836 करोड़ रुपये (लक्ष्य का 72 प्रतिशत) ही रहा। दसवीं पंचवर्षीय योजना का उद्व्यय 31,832 करोड़ रुपये रखा गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वित्तवर्ष 2002–03 का उद्व्यय 4,371 करोड़ रुपये (संशोधित प्रावधान) रहा। चालू वित्त वर्ष (2003–04) का उद्व्यय 5,858 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया जिसे योजना आयोग ने घटाकर 4,258 करोड़ रुपये कर दिया। बाद में वार्षिक योजना के आकार को बढ़ाकर 6,398.23 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस प्रकार दसवीं योजना के शेष तीन वर्षों में लक्षित उद्व्यय को पूरा करना सरकार के लिए कठिन होगा।

राज्य की वित्तीय अनुशासन के क्षेत्र में स्थिति अच्छी नहीं है। राजस्व घाटा 2003–04 के बजट अनुमानों में 3,673 करोड़ रुपये का छोड़ा गया है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.83 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटा 2003–04 के बजट अनुमानों में 7,415 करोड़ रुपये है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 7.73 प्रतिशत है। ऋण का बोझ पहले से ही बहुत अधिक है। राज्य पर 2003–04 में 52,516 करोड़ रुपये का बकाया ऋण है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 55 प्रतिशत है जबकि यह रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। ब्याज भुगतान दायित्व 4,793 करोड़ रुपये वार्षिक या 13 करोड़ रुपये प्रतिदिन है जोकि राजस्व प्राप्तियों का 31 प्रतिशत है जबकि रिजर्व बैंक का नियम 18 प्रतिशत तक ही है। राजकोषीय और राजस्व घाटे के बढ़ने से ऋण का बोझ और अधिक बढ़ने की संभावना है।

आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है। हाल के वर्षों में जो ढांचागत विकास हुआ, वह राजधानी समेत चंद शहरों तक ही सीमित रहा। अनेक जिला मुख्यालयों की स्थिति खराब है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति बदतर है। नई सरकार ने विधानसभा चुनाव से पूर्व पानी, सड़क, बिजली पर पुरजोर ध्यान केंद्रित किया। वास्तव में देखा जाए तो सड़क, बिजली, पानी का अभाव ही गांवों के विकास में बाधक रहा है। राज्य सरकार चुनावी वादों पर अमल करके गांवों का कायाकल्प कर सकती है।

बड़ी आबादी गांवों में जीवन–बसर करती है। गांवों में आधारभूत संरचना का विकास करके सामाजिक विकास के क्षेत्र की स्थिति को सुधारा जा सकता है। निरक्षरता के अंधकार से अभी निजात नहीं मिली है। लोगों में आज भी बालिकाओं को स्कूल भेजने के प्रति रुझान कम है। सरकार स्कूल खोल सकती है, स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं मुहैया करा सकती है, बालकों को स्कूलों की ओर आकर्षित करने के प्रयास कर सकती है किंतु बालकों को स्कूल भेजना तो अभिभावकों पर निर्भर है। निरक्षरता का एक बड़ा कारण गरीबी भी है। प्रदेश में गरीबी की समस्या के चलते संपूर्ण स्कूली शिक्षा को कम खर्चीली यहां तक कि निशुल्क किए जाने की आवश्यकता है। लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

राजस्थान में आर्थिक विकास की विपुल संभावनाएं हैं। राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सबसे बड़ा है। पश्चिम के रेत के धोरों में खनिज संपदा भरी पड़ी है। राजस्थान को खनिजों के अजायबघर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान नहर के निर्माण से प्रदेश के कृषि क्षेत्र में कायाकल्प की संभावनाएं बलवती हो उठी हैं। भौगोलिक विविधता, किले, वन्यजीव, जनजातियां, लोकसंगीत आदि के कारण पर्यटन विकास की असीम संभावना है। प्रदेश में अमन–चैन के कारण निवेश का अच्छा वातावरण है।

विकास की सभी संभावनाओं के बीच प्रदेश का आर्थिक विकास की दौड़ में आगे नहीं बढ़ना चिंतनीय है। राजस्थान के उद्यमियों ने अन्य राज्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका राज्य में निवेश के प्रति कम रुझान विचारणीय है।

आज उदारीकरण द्वारा विकास चहुंओर चर्चित है। ऐसी स्थिति में उदारीकृत अर्थव्यवस्था के मार्ग पर बढ़कर पिछड़ेपन पर प्रहार किया जा सकता है। राज्य सरकार के पास वित्तीय संसाधनों का अभाव है। उदारीकरण के दौर में अधिक केंद्रीय पूंजी निवेश की भी अपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में विकास की गति को आगे बढ़ाने में देशी और विदेशी पूंजी निवेशक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। किंतु वर्तमान में आधारभूत संरचना का अभाव इनको आकर्षित करने के मार्ग में बाधा है। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में अधिक निजी निवेश संभव नहीं है ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को केंद्र सरकार की मदद से आधारभूत ढांचे के विकास पर सबसे अधिक बल देना चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं में ढांचागत विकास क्षेत्र पर अधिक वित्तीय संसाधनों के आवंटन की आवश्यकता है। ❑

शांति–दीप, जटवाड़ा मानटाउन
सवाई माधोपुर–322001 (राज.)

"सत्य की दिशा में हजार–हजार शास्त्रों का उतना मूल्य नहीं है, जितना अपने द्वारा उठाए गए एक कदम का है, और इसकी फिक्र मत करना कि रास्ता लंबा बहुत है। क्योंकि लंबे से लंबे रास्ते भी एक–एक कदम उठा कर पूरे हो जाते हैं।"

– रजनीश : सत्य की खोज

पूर्वोत्तर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था एक नजर में

☞ डा. विजय सिंह राघव

सात बहनों के नाम से विख्यात पूर्वोत्तर क्षेत्र एक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है। इसकी सीमाएं चीन, बंगलादेश, म्यांमार, भूटान की सीमाओं से लगी हैं। यह क्षेत्र अनेक नदी घाटियों का उद्गम स्थल और पहाड़, पठार तथा मैदान की सम्मिलित संस्कृति का क्षेत्र है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.76 प्रतिशत है और यहां निवास करने वाली जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की 3.74 प्रतिशत है। वन संपदा की दृष्टि से यह क्षेत्र धनी है। इस क्षेत्र का जो कुल वनक्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में 64.31 प्रतिशत है, वह संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों से अधिक है। इस क्षेत्र की एक और विशेषता है, वह यह है कि इस क्षेत्र में सम्मिलित सभी राज्य विशेष दर्जा प्राप्त राज्य हैं। भौगोलिक दृष्टि से अलग होने के बावजूद इस क्षेत्र की कुछ

और विशेषताएं भी हैं जो देश के अन्य क्षेत्रों से भिन्न हैं। यहां की जनसंख्या में जनजातियों की संख्या का प्रतिशत काफी अधिक है। यह जनजातियां यहां नागा, गारो, खासी, जयंतिया, मिजो, कुकी, डामली, मिरिक, लुशाई, आयातानीज ओद नामों से जानी जाती हैं। इन जनजातियों की अलग–अलग पहचान है। इन सभी की भाषाएं आर्य, द्रविण, भारतीय, आस्ट्रिक, टीचीनी, तिब्बती आदि के समीप हैं, किंतु भली प्रकार से देखा जाए तो इन सभी के पास अपनी–अपनी बोलियां हैं, लिपिबद्ध भाषाएं नहीं। इनकी बोलियों में लिपिबद्ध भाषाओं के समीपी शब्दों का प्रवाह अवश्य मिलता है। इनके जातिगत संस्कार, धर्म, सामाजिक व राजनीतिक संगठन भी विचित्र हैं, जो परंपरागत आस्थाओं और मान्यताओं पर अवलंबित हैं। प्रधानतः यह संगठन पुरातन जनतांत्रिक आधार लिए हुए हैं। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ग किमी. में 151 व्यक्ति रहते हैं। यह घनत्व यद्यपि कम है तथापि यहां जनसंख्या की दशाब्दिक वृद्धि दर जो 22.02 प्रतिशत है, काफी अधिक है। यह वृद्धि दर भारत के पूर्वी क्षेत्र की वृद्धि से 1.18 प्रतिशत तथा दक्षिणी क्षेत्र की वृद्धि दर से 8.80 प्रतिशत अधिक है। ऊंची जनसंख्या वृद्धि दर के कारण इस क्षेत्र की जनसंख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है। 1961 में इस क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 47 लाख थी जो आज बढ़कर 3 करोड़ 85 लाख हो गई है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो 7 राज्य सम्मिलित हैं। उन सातों राज्यों में अन्य भारतीय राज्यों की तरह शासन प्रणालियां लोकतांत्रिक हैं। इससे उन राज्यों की विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है लेकिन विकास की गति अभी कुछ धीमी ही है और उसमें असंतुलन है। इस क्षेत्र का विकास देश के सामान्य विकास के नमूने को प्रतिबिंबित नहीं करता। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य राष्ट्र की मुख्यधारा से कुछ कट गए हैं। ऐसे में हमें इस क्षेत्र की जनांकिकीय स्थिति, रेलों तथा सड़कों की स्थिति, कृषि तथा बागवानी की स्थिति, पर्यटन, खनिज संपदा तथा उद्योग की स्थिति पर विचार करना होगा ताकि पता चल सके कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास देश के सामान्य विकास के नमूने को क्यों प्रतिबिंबित नहीं करता और क्यों यह क्षेत्र राष्ट्र की मुख्यधारा से कुछ कट गया है।

जनांकिकीय तस्वीर

जनसंख्या की दृष्टि से पूर्वोत्तर क्षेत्र का असम राज्य सबसे बड़ा राज्य है, जहां पूर्वोत्तर क्षेत्र की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इसका जन घनत्व 340 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी. है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य त्रिपुरा है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र की लगभग 9 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है और इसका जन घनत्व 304 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी. है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की लगभग 21 प्रतिशत जनसंख्या शेष 5 राज्यों – मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर तथा मेघालय में निवास करती है। जहां तक लिंगानुपात का प्रश्न है तो सबसे ऊंचा लिंगानुपात मणिपुर का है जहां 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या 978 है, दूसरा और तीसरा स्थान मेघालय (975) तथा त्रिपुरा (950) का है। शेष चार राज्यों – अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नगालैंड का लिंगानुपात भारतीय औसत से कम है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में तीन राज्यों – मेघालय, मिजोरम और नगालैंड की कुल जनसंख्या में 85 से 95 प्रतिशत तक जनसंख्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की है, शेष राज्यों में यह प्रतिशत अपेक्षाकृत कुछ कम है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र की लगभग 21 प्रतिशत जनसंख्या जिन पांच राज्यों में निवास कर रही है, उन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि बड़ी तेजी से (26 प्रतिशत से 64 प्रतिशत तक) हो रही है, इसलिए उन राज्यों में जो कुछ भी प्रगति हो रही है, उसको बढ़ती जनसंख्या निगलती जा रही है। प्रगति के लाभ जन–सामान्य तक उतने नहीं पहुंच पा रहे हैं, जितने पहुंचने चाहिए। यदि इन पांचों राज्यों की जनसंख्या वृद्धि की दर धीमी होती तो वर्तमान में विकास की तस्वीर कुछ दूसरी ही होती।

रेल–सड़क परिवहन प्रचालन

सन् 1947 में विभाजन के बाद संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र का भारत के शेष भाग से रेल–सड़क संपर्क कट गया था लेकिन अब पूर्वोत्तर क्षेत्र का बिहार तथा पश्चिम बंगाल के कठिन क्षेत्रों से होकर भारत के शेष राज्यों से रेल–संड़क संपर्क अच्छी तरह से स्थापित हो रहा है और यह सुविधाजनक व सुगम बना है। रेल–सड़क संपर्क ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को शेष भारतीय जनता के साथ एकीकृत करने में योगदान दिया है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में रेल यातायात की अपेक्षा सड़क यातायात ही अधिक विकसित हुआ है। मार्च 1997 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों की कुल लंबाई 1,39,845 किमी. थी और रेलमार्गों की कुल लंबाई 2,503 किमी. थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों में सड़कों का विस्तार एक जैसा नहीं हुआ है और एक बात और है वह यह कि पक्की सड़कें कच्ची सड़कों की लगभग 1/4 हैं, यही नहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र में पक्की सड़कें भारतीय औसत 56.53 प्रतिशत से करीब 31 प्रतिशत कम हैं। वर्ष 1999–2000 में इस क्षेत्र में 33,495 लाख रुपये का प्रावधान सड़कों के रखरखाव के लिए किया गया। यहां पर यह तथ्य गौरतलब है कि असम में मिजोरम की लगभग 14 गुना लंबी सड़कें हैं लेकिन असम के लिए मिजोरम की अपेक्षा सड़कों के रखरखाव के लिए लगभग 18 गुना अधिक धन का प्रावधान किया गया है। सड़क यातायात पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की रोजी–रोटी का साधन भी है। सन् 1997 में असम में मोटर परिवहन उपक्रमों की संख्या 12,028 थी, इनमें अनुमानित औसत दैनिक नियोजन 15,991 था, त्रिपुरा में ऐसे उपक्रमों की संख्या 1,400 थी, जिनमें अनुमानित औसत दैनिक नियोजन 2,851 था।

मेघालय, मिजोरम तथा मणिपुर का क्षेत्रफल लगभग समान है लेकिन इन तीनों राज्यों में सड़कों का विस्तार एक जैसा नहीं हुआ है। जहां मेघालय में 8,480 किमी. लंबी, मणिपुर में 10,941 किमी. लंबी सड़कें हैं वहीं मिजोरम में मात्र 4,829 किमी. लंबी सड़कें हैं। इन्हीं तीनों राज्यों में कुल सड़कों में पक्की सड़कों का प्रतिशत क्रमशः 46.26, 32.88, 41.06 है। सड़कें आधारभूत संरचना का एक महत्वपूर्ण अंग होती हैं और इनके विकास से विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। गांव

एवं अंदरूनी क्षेत्रों से मुख्य बाजारों तक पहुंचना तेज और आसान हो जाता है। अतः पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिन राज्यों में सड़कों का अपेक्षाकृत अधिक विस्तार नहीं हुआ है वहां लाभदायक विकास कार्य करने में तमाम तरह की अड़चनें आ रही हैं।

कृषि, बागवानी तथा फलोत्पादन

पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था झूम खेती पर आधारित है। असम और मेघालय राज्यों की लगभग 80 प्रतिशत आबादी तथा मिजोरम की लगभग 60 प्रतिशत आबादी कृषि पर ही आश्रित है लेकिन समस्या यह है कि यह क्षेत्र भारत के कुल कृषि योग्य क्षेत्र का मात्र 3.4 प्रतिशत भाग तथा अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 24.85 प्रतिशत भाग ही कृषि योग्य क्षेत्र के रूप में समेटे हुए है। देश में जो हरित क्रांति हुई है, उसका लाभ इस क्षेत्र ने भी उठाया है। हरित क्रांति ने कृषि योग्य क्षेत्र की कमी को काफी हद तक पूरा कर दिया है। उतनी ही जमीन पर अब लोग अधिक पैदावार लेने लगे हैं, उच्च प्रजाति के बीजों का प्रयोग करने लगे हैं। फसली क्षेत्रों के लिए उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर प्रयोग बढ़ाने लगे हैं जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई है। 1982–83 में समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र में 3882.2 हजार टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ जिसकी मात्रा 1993–94 में बढ़कर 5130.8 हजार टन हो गई। चूंकि सभी राज्यों में उनके अपने भौगोलिक क्षेत्रफल के काफी बड़े भू–भाग पर वन छाए हुए हैं इसलिए इस क्षेत्र में कृषि के साथ–साथ फलोत्पादन, बागवानी, फसलों जैसे औषधीय एवं सुगंधित पौधों, फूलों, मधुमक्खी पालन, फलों, सब्जियों, चाय, रबर आदि का उत्पादन भी किया जाता है।

सूर्य का आंचल कहे जाने वाला अरुणाचल प्रदेश चावल, गेहूं मोटे अनाज, दालों, सेब, संतरे और अनन्नास के उत्पादन के लिए, प्राग्ज्योतिषपुर अर्थात् पौर्वत्य ज्योतिष का स्थान कहे जाने वाला असम चाय, चावल, कपास, तिलहन, दलहन, गन्ना, आलू, संतरा, केला, अनन्नास, सुपारी, नारियल, अमरूद, लीची और कटहल आदि के उत्पादन के लिए,

हजागिरी नृत्य, त्रिपुरा

मणिपुर चावल, मक्का, दलहन, तिलहन, गन्ना, आलू आदि के लिए, मेघों अथवा बादलों का घर कहे जाने वाला मेघालय चावल, मक्का, संतरा, अनन्नास, केला, कटहल, आलू बुखारा, नाशपाती, आड़ू, हल्दी, आलू, अदरक, काली मिर्च, सुपारी तथा पान आदि के उत्पादन के लिए, मिजोरम संतरा, नींबू, अनन्नास, पपीता, गन्ना, कपास और अदरक आदि के उत्पादन के लिए तथा नगालैंड चावल, मक्का, दलहन आदि के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जब कृषि और बागवानी की बात आती है तो असम और त्रिपुरा के चाय के उत्पादन को कैसे भुलाया जा सकता है। चाय के बागानों में यहां के काफी लोग लगे हुए हैं। वर्ष 1996 में चाय बागानों में नियोजित औसत कर्मकारों की संख्या 6,96,000 तथा त्रिपुरा में 8,000 थी। त्रिपुरा तो रबर के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। 1997 में त्रिपुरा में रबर के उत्पादन में लगे कर्मकारों की संख्या 2,000 थी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों में वहां वनों का विस्तार एक जैसा नहीं है। जहां मिजोरम में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 90 प्रतिशत क्षेत्र पर वन हैं, वहीं असम में कुल भौगोलिक क्षेत्र के मात्र 30 प्रतिशत क्षेत्र पर ही वन हैं। प्राकृतिक साधनों की इस असमानता से कुछ राज्य विकास में पिछड़े रह गए हैं, विशेषकर ऐसे राज्य जिन्होंने रोजगार विस्तार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रयास नहीं किए हैं।

पर्यटन स्थल और खनिज संपदा

पर्यटन उद्योग पूर्वोत्तर क्षेत्र की आय का एक अच्छा जरिया है। इस क्षेत्र में अनेक पर्यटन स्थल हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में खनिज भंडार भी कुछ कम नहीं हैं। असम में चूने के पत्थर, चिकनी मिट्टी, अग्नि मिट्टी, फेलस्फार, कच्चा लोहा, तांबा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि के भंडार हैं। मेघालय में कोयला, चूने का पत्थर, लोहा, खड़िया मिट्टी, कांच बनाने में काम आने वाली बालू, तांबा, जिप्सम, चीनी मिट्टी आदि मिलती है। मणिपुर में चूने का पत्थर, हल्की किस्म का लोहा, तांबा, निकल, लिग्नाइट, कोयला आदि पाया जाता है। त्रिपुरा में चीनी मिट्टी, लिग्नाइट कोयला, चूने के पत्थर आदि के भंडार हैं। वर्ष 1996 में असम में 18,000 लोग, अरुणाचल प्रदेश में 1,000 लोग, मेघालय में 500 से कुछ कम लोग खानों में नियोजित थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड इन चारों राज्यों में कोयले के भंडार 889.81 मिलियन टन हैं। कोयले का भंडार (जनवरी 2001 में) अरुणाचल प्रदेश में 90.23 मिलियन टन, असम में 320.21 मिलियन टन, मेघालय में 459.43 मिलियन टन तथा नगालैंड में 19.94 मिलियन टन है यानी इन चारों राज्यों में भारत में सुरक्षित कोयले के भंडार का 0.41 प्रतिशत कोयले का भंडार है।

इस तरह पर्यटन स्थलों की दृष्टि से असम और मणिपुर राज्य अपेक्षाकृत अधिक संपन्न हैं। अन्य शेष 5 राज्य अपेक्षाकृत कुछ कमजोर हैं, लेकिन कुल मिलाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र पर्यटन स्थलों की दृष्टि से धनी है। इसी तरह खनिज संपदा की दृष्टि से असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय राज्य अपेक्षाकृत अधिक संपन्न हैं, जबकि मिजोरम नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश अपेक्षाकृत कुछ कमजोर हैं। पर्यटन स्थलों तथा खनिज भंडारों की विषमता ने विभिन्न राज्यों की आय में विषमता पैदा करने में कुछ न कुछ भूमिका अदा की है, जिससे इन राज्यों की आर्थिक दूरियां बढ़ी हैं।

लघु एवं कुटीर उद्योग

पूर्वोत्तर क्षेत्र में आजादी के बाद बैंकिंग क्षेत्र का तेजी से विकास एवं विस्तार हुआ है। इसके विकास एवं विस्तार ने औद्योगिक गतिविधियों और तरह–तरह के कामधंधों को बढ़ावा दिया है। 1969 में समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंक कार्यालयों की संख्या मात्र 90 थी जिनमें जमा रकम 50 करोड़ रुपये से भी कम थी। जून 2002 में बैंक कार्यालयों की संख्या लगभग 14 गुना बढ़कर 1,222 हो गई और इनमें जमा रकम लगभग 300 गुना बढ़कर 15 हजार करोड़ रुपये हो गई। पूर्वोत्तर क्षेत्र के इन बैंकों द्वारा जून 1969 में मात्र 16 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया था। जून 2002 में उपलब्ध कराए गए इस ऋण की मात्रा लगभग 194 गुना बढ़कर 3,100 करोड़ रुपये हो गई। ऋणों के विस्तार ने इस क्षेत्र में लघु और कुटीर उद्योगों आदि को बढ़ावा दिया है, जिससे रोजगार में वृद्धि हुई। लघु उद्योग का विस्तार तो हुआ लेकिन बहुत अधिक नहीं। वर्ष 1995 में लघु उद्योगों की अनुमानित कुल संख्या 37,769 थी जो भारत में चल रहे कुल लघु उद्योगों की संख्या की मात्र 1.81 प्रतिशत थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के महत्वपूर्ण कुटीर उद्योगों में हथकरघा और हस्तशिल्प मुख्य हैं। पूरे देश में चल रहे हथकरघों में से 50 फीसदी से भी अधिक हथकरघे पूर्वोत्तर क्षेत्र में संचालित हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो उद्योग हस्तशिल्प आदि संचालित हैं, उनमें मुख्यतः लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, मरम्मत सेवाएं, बांस एवं बेंत की वस्तुओं का उत्पादन, चटाइयां बनाना, लकड़ी पर खुदाई, धान कूटना, लकड़ी चीरना, फलों को संरक्षित रखना और उन्हें डिब्बों में बंद करना, फलों के अचार एवं मुरब्बे बनाना, पपीते से पैपीन बनाना, तेल निकालना, चाय तैयार करना, तेलशोधन का कार्य करना, रेशमी और सूती कपड़े का उत्पादन, फर्नीचर बनाना, प्लाईवुड तैयार करना आदि मुख्य हैं। रासायनिक खाद तैयार करने, कागज तैयार करने, सीमेंट तैयार करने के कारखाने और कपड़े की मिलें भी किन्हीं–किन्हीं राज्यों में दृष्टिगोचर होती हैं।

इस तरह पूर्वोत्तर क्षेत्र में लघु उद्योगों का विस्तार तो हुआ है लेकिन पर्याप्त नहीं। लघु उद्योगों को संख्या की दृष्टि से देखने से एक दर्दनाक तस्वीर यह उभरती है कि यहां भारत के मात्र 1.81 प्रतिशत उद्योग ही संचालित हैं। पूर्वोत्तर राज्यों का औद्योगिक आधार कमजोर है। यहां उद्योगों का बहुत अधिक विस्तार नहीं हुआ है और जो भी उद्योग संचालित हैं उन उद्योगों में मुख्य रूप से ऐसे उद्योग हैं जिनमें पहले चरण का परिरक्षण होता है जैसे कि खाद्यान्न मिलें, लकड़ी की मिलें आदि। बागान तथा प्राकृतिक गैस जैसी औद्योगिक गतिविधियां संसाधन आधारित हैं। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र बहुत अधिक तरक्की नहीं कर सका है। परिणामस्वरूप रोजगार में उतना विस्तार नहीं हो पाया जितना होना चाहिए।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो कुछ भी प्रगति हुई है वह सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ही नतीजा है। इस क्षेत्र के विकास हेतु सरकार ने जो कदम समय–समय पर उठाए हैं, उनमें से मुख्य इस प्रकार हैं –

1. 1961 की राष्ट्रीय एकता परिषद ने यह आग्रह किया था कि प्रत्येक राज्य के अंदर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों के तीव्र विकास का सभी राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय योजनाओं में ध्यान देना चाहिए ताकि एक दिए हुए समय में सभी राज्य न्यूनतम विकास स्तर को प्राप्त कर लें। राष्ट्रीय एकता परिषद के इस आग्रह के लाभ पूर्वोत्तर क्षेत्रों को भी मिले हैं। राज्य और केंद्र सरकारों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ध्यान दिया है।
2. संविधान के अनुच्छेद 280 के अधीन हर पांचवें वर्ष या अगर राष्ट्रपति इससे पहले कभी आवश्यक समझे, एक वित्त आयोग का गठन किए जाने का प्रावधान है, इसी प्रावधान के तहत विभिन्न समय पर जो वित्त आयोग गठित किए गए वह पिछड़े राज्यों को और विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को अधिक सहूलियतें देने के पक्षधर रहे, उनकी इस पक्षधरता की वजह से पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया गया। वित्त आयोगों के द्वारा केंद्रीय करों एवं अन्य वित्तीय संसाधनों को राज्यों के बीच बांटा जाता है।
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में सार्वजनिक निवेश को तो प्रोत्साहित किया ही जाता है, निजी निवेश को भी प्रोत्साहित करने की पहल सरकार द्वारा की जाती है। निजी क्षेत्र को इमदाद, करों में छूट, रियायती दरों पर बैंक एवं संस्थागत ऋण आदि उपलब्ध करवाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा दिया गया है।
4. वाणिज्यिक बैंकों को निश्चित सामाजिक दायित्वों और उद्देश्यों के साथ आर्थिक विकास की मुख्य धारा में लाने की दृष्टि से 14 जुलाई, 1969 को जो 14 प्रमुख बैंकों का और 15 अप्रैल, 1980 को जो 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इस राष्ट्रीयकरण का लाभ जैसे अन्य क्षेत्रों को मिला, वैसे ही पूर्वोत्तर क्षेत्रों को भी मिला। राष्ट्रीयकरण के बाद इस क्षेत्र में बैंकिंग प्रणाली का असाधारण गति से विस्तार हुआ। इन बैंकों ने कृषि, लघु उद्योग, खुदरा व्यापार और छोटे–छोटे अन्य काम धंधों को बढ़ावा दिया।
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों को गाडगिल फार्मूले के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। असम और नगालैंड को 1969 में मणिपुर, मेघालय तथा त्रिपुरा को

तालिका–1

पूर्वोत्तर क्षेत्र और भारत में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद, विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत, शिशु मृत्युदर, गरीबी अनुपात तथा सुरक्षित पेयजल की अधिगम्यता की स्थिति

क्र.	राज्य	वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (रु. में) 1980–81	वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (रु. में) 2000–01 त्वरित	विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत 1991	सुरक्षित पेयजल की अधिगम्यता प्रतिशत में 1991	शिशु मृत्यु दर 2001	गरीबी अनुपात प्रतिशत में 1973–74	गरीबी अनुपात प्रतिशत में 1999–2000
1.	अरुणाचल प्रदेश	1522	14587	59.00	70.02	49	51.93	33.47
2.	असम	1329	10198	77.00	45.86	78	51.21	36.09
3.	मणिपुर	1396	12823	81.00	38.72	25	49.96	28.54
4.	मेघालय	1538	13114	46.00	36.16	52	50.20	33.87
5.	मिजोरम	1399	14909	98.00	16.21	23	50.32	19.47
6.	नगालैंड	1607	12594	96.00	53.37	उ.न.	50.81	32.67
7.	त्रिपुरा	1645	14348	94.00	37.18	49	51.00	34.44
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
	भारत	350*	16707*	86.00	62.30	71	54.88	26.10

स्रोत :

1. स्टेस्टिकल पाकेट बुक, इंडिया 2000, पृ. 240 से 241
2. आर्थिक समीक्षा 2002–03, पृ. एस 11, 12 और एस 113 तथा 114
3. आर्थिक समीक्षा 2001–02, पृ. 239

* उत्पादन लागत पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद

तालिका–2

पूर्वोत्तर राज्यों में साक्षरता तथा शिक्षण संस्थाओं की स्थिति–2001

क्र.	राज्य	साक्षरता दर प्रतिशत में	प्राथमिक / कनिष्ठ बुनियादी विद्यालयों की संख्या	माध्यमिक / वरिष्ठ बुनियादी विद्यालयों की संख्या	उच्चतर / माध्यमिक स्नातक पूर्व कनिष्ठ महाविद्यालयों की संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	54.74	1303	333	184
2.	असम	64.28	33236	8019	4753
3.	मणिपुर	68.87	2572	730	605
4.	मेघालय	63.31	4685	1041	572
5.	मिजोरम	88.89	1224	734	413
6.	नगालैंड	67.11	1491	469	338
7.	त्रिपुरा	73.66	2081	427	629
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	उ.न.	46592	11753	7494
	भारत	65.38	638738	206269	126047

स्रोत :

1. आर्थिक समीक्षा 2002–03, पृ. एस 111 तथा एस 112

1972 में, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1975 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ऐसे राज्यों को केंद्रीय सहायता एक विशेष रियायती पैमाने पर मिलती है। केंद्रीय सहायता का 90 प्रतिशत हिस्सा अनुदान का और 10 प्रतिशत हिस्सा ऋणों का होता है, जबकि विशेष दर्जा न प्राप्त राज्यों को मिलने वाली सहायता में अनुदान का भाग 70 प्रतिशत और ऋणों का भाग 30 प्रतिशत होता है।

6. पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में शुक्ला समिति ने पूर्वोत्तर राज्यों के भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, जातीय, आर्थिक एवं अनेक अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं की व्यापक पड़ताल कर इन राज्यों के आर्थिक विकास की योजना स्वीकृत की थी।
7. भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्य विकास परिषद के गठन का सुझाव दिया। इसके साथ ही इस क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक तीन सूत्रीय फार्मूले का उल्लेख किया गया।
   (अ) आधारभूत संरचना के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता।
   (ब) न्यूनतम बुनियादी सेवाओं को यथासंभव उपलब्ध कराना।
   (स) रोजगार के अवसरों का अधिक से अधिक सृजन कर गरीबी निवारण की योजना को प्रभावी करना।
8. 23 सितंबर, 1993 को देश में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास परिषद परियोजना शुरू की गई। इस योजना के तहत हरेक सांसद अपने चुनाव क्षेत्र में संबंधित जिला कलेक्टर को हर साल एक करोड़ की लागत वाले कार्यों का सुझाव दे सकता है। इस राशि को 1998–99 में बढ़ाकर दो करोड़ रुपये प्रति सांसद कर दिया गया। इस योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के सांसदों के लिए 1993 से 31 मार्च, 2001 तक 29,515.4 लाख रुपये स्वीकृत किए गए जिनमें से 23,401.3 लाख रुपये वास्तव में खर्च किए गए। इस धन से पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनेक विकासात्मक कार्य हुए।
9. विभिन्न मंत्रालयों (केंद्र व राज्य सरकारों के) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, जन वितरण प्रणाली जैसी अनेक योजनाएं बनाईं और अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए ताकि यह क्षेत्र प्रगति के पथ पर अग्रसर हो।
10. विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में भी ऐसे दिशा–निर्देश दिए गए जो अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ इस क्षेत्र के विकास में भी सहायक हुए। तीसरी योजना में कहा गया है कि – "देश के विभिन्न हिस्सों का संतुलित विकास, कम विकसित क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति का लाभ पहुंचाने और उद्योगों का व्यापक फैलाव, नियोजित विकास के प्रमुखतम उद्देश्यों में से हैं।
11. सातवीं योजना के दौरान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था पश्चिमी क्षेत्र में आधार संरचना सुविधाओं का प्रावधान तथा स्थानीय जनता में सुरक्षा की भावना को प्रोत्साहन देने के माध्यम से संवेदनशील सीमा क्षेत्रों का संतुलित विकास। शुरुआत में कार्यक्रम के अंतर्गत पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों अर्थात् पंजाब, राजस्थान, गुजरात व जम्मू कश्मीर को कवर किया गया लेकिन 1993–94 में समीक्षा के बाद कार्यक्रम का विस्तार उन राज्यों तक भी किया गया जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बंगलादेश के साथ लगती हैं। नौवीं योजना के दौरान इसका विस्तार म्यांमार की सीमा से लगे राज्यों तक किया गया और पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमाएं बंगलादेश तथा म्यांमार से लगी हैं इसलिए इस योजना का लाभ पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी मिला है।

इस तरह सरकार ने आजादी के बाद से इस क्षेत्र के विकास की दिशा में काफी कुछ काम किया। इस काम के परिणामस्वरूप यहां विकास प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। विभिन्न राज्यों के विकास के बीच होने वाला असंतुलन कम हुआ इसका नतीजा यह हुआ कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों में लोगों की आय उन्नत हुई, जीवन स्तर सुधरा। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय (वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद) 10,000 रुपये से भी अधिक हो गई है। यह अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा में क्रमशः 14,587, 10,198, 12,823, 13,114, 14,909, 12,594 और 14,348 रुपये है, जबकि 1980–81 में यह क्रमशः 1,522, 1,329, 1,396, 1,538, 1,399, 1607 तथा 1,645 रुपये थी। आज प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से पूर्वोत्तर क्षेत्र के इन राज्यों की स्थिति बिहार, उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा से भी बेहतर है क्योंकि इन राज्यों में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय (वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निबल राज्य घरेलू उत्पाद) क्रमशः 5,108, 9,721 और 8,547 रुपये है। यही नहीं इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य स्तर भी सुधरा है। शिशु मृत्युदर काफी कम है। नगालैंड और मणिपुर में तो यह भारतीय औसत की 1/3 है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सरकार के प्रयासों से गरीबी अनुपात कम हुआ है। अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय को ही लें तो 1973–74 में इन राज्यों में लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीची थी, आज यह प्रतिशत 34 रह गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में साक्षरता दर का स्तर भी सुधरा है, यह काफी बढ़ी है। यही नहीं स्कूलों का विस्तार भी बहुत तेजी से हुआ है। मिसाल के तौर पर साक्षरता दर जहां भारत में 65.38 प्रतिशत है, वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र के मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नगालैंड में यह क्रमशः 88.89, 73.66, 68.87 तथा 67.11 प्रतिशत है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र में 826 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्कूल है, जबकि भारत में 1,608 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्कूल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्रगति की यह तस्वीर तालिका–2 व 3 से अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाती है।

इस आधार पर कहा जा सकता है कि आजादी के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। इस क्षेत्र के लोग जो स्वतंत्रता के समय सभ्यता की दृष्टि से एक हजार वर्ष पीछे थे, वह अब एक गुजरे जमाने की बात हो गई है। इन राज्यों के बारे में जंगली, बहुत अधिक पिछड़े शब्दों का प्रयोग करना कोरी मूर्खता ही होगी। इन क्षेत्रों के विकास के बारे में यह कहना ज्यादा उपयुक्त होगा कि इस क्षेत्र की प्रगति तो हुई है लेकिन उतनी नहीं

जितनी अपेक्षित थी और दूसरे सभी राज्यों में प्रगति एक समान नहीं हुई और वह प्रगति देश के सामान्य विकास को प्रतिबिंबित नहीं करती। इस क्षेत्र में गरीबी अनुपात यद्यपि कम हुआ है लेकिन अभी भी यह काफी ऊंचा है। आज भी असम और त्रिपुरा में लगभग 35 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे गुजर–बसर कर रही है। इस क्षेत्र में यद्यपि साक्षरता दर उन्नत हुई है लेकिन साक्षरता के मामले में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय अभी काफी पिछड़े हैं। प्रति व्यक्ति आय यद्यपि उन्नत हुई है, तथापि कुछ राज्यों (असम, मणिपुर तथा नगालैंड) की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत काफी कम है। यह उनके धीमे विकास का एक संकेत है।

विकास पर ध्यान जरूरी

विकास तथा रोजगार से आतंकवाद, विद्रोह, हिंसा आदि का नजदीकी संबंध है, यह बात असम की घटनाओं और असम के कुछ आंदोलनों से स्पष्ट हो जाती है। असम में जो अप्रवासी आंदोलन हुए उस संबंध में असमी लोगों की एक शिकायत तो यह थी कि असम का पिछड़ापन या धीमा विकास केंद्र सरकार की इकाइयों के अन्यायपूर्ण स्थान तय करना और असम के साथ भेदभाव करना है। इसके अलावा असमी लोगों की दूसरी शिकायत यह थी कि यहां गैरकानूनी ढंग से लुके–छिपे बंगलादेश तथा नेपाल आदि से लोग आ रहे हैं। उनके आने से यहां के कच्चे तेल, चाय, प्लाईवुड उद्योग आदि जो असमी लोगों को रोजगार सुलभ कराने के और चाय के मुख्य स्रोत हैं, उन पर बंगलादेश, नेपाल आदि से गैरकानूनी ढंग से आए लोगों का कब्जा हो जाएगा। इस डर से बचने के लिए आल असम स्टूडेंट यूनियन तथा असम गण संग्राम परिषद ने गैरकानूनी अप्रवासी आंदोलन प्रारंभ किए। बाद में कुछ नए विद्रोह उभरे जैसे अलग–अलग राज्यों के लिए बोडो जनजातियों की मांग और अलगाववादी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा)।

विकास तथा रोजगार से आतंकवाद, विद्रोह हिंसा आदि का कितना निकट का संबंध है, इसको समझने के लिए नगालैंड की वर्तमान समस्या को लिया जा सकता है। अलगाववादी नगा गुट नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल आफ नगालैंड (एन.एन.सी.एन.) ग्रेटर नगालैंड की मांग करता रहा है। उन मांगों में कुछ मांगें राजनीतिक रही हैं जैसे नगालैंड में अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले और मणिपुर के अखरून और सेनापति जिलों को शामिल करना, एक अलग संविधान की मांग करना, एक अलग झंडे की मांग आदि तो दूसरी ओर कुछ मांगें ऐसी रही हैं जिनका संबंध नगालैंड के विकास से है।

विकास तथा रोजगार से आतंकवाद, विद्रोह, हिंसा आदि का कितना नजदीकी संबंध है, इसको समझने के लिए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नगालैंड की भी एक सम्मिलित मिसाल पेश की जा सकती है। इन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि बड़ी तेजी से हो रही है। बढ़ती जनसंख्या अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु नई भूमि की मांग करती है और रोजगार का विस्तार चाहती है इससे खेतों का आकार छोटा होता है और बेरोजगार लोगों की फौज बढ़ती है जिससे युवाओं में निराशा फैलती है। आगे चलकर यही बेरोजगारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। जनसंख्या वृद्धि और अपराध वृद्धि में संबंध घनिष्ठ है। अपराध दर उन्हीं क्षेत्रों में ऊंची है, जहां जनाधिक्य के कारण बेरोजगारी व्याप्त है। भोले–भाले और निराश नौजवानों को आतंकवादी अलगाववादी तत्व आसानी से गुमराह कर देते हैं और उनसे हिंसा, विद्रोह, आतंकवाद जैसे अपराध कराते हैं।

इस तरह कहा जा सकता है कि आतंकवाद, विद्रोह, हिंसा आदि घटनाओं का संबंध कुछ न कुछ और किसी न किसी रूप में विकास से जरूर है। ऐसी स्थिति में हम सभी को पूर्वोत्तर क्षेत्र को विकास/व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, न कि आतंकवाद, विद्रोह और इसी तरह की अस्थायी घटनाओं की नजर से। इन पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देना उद्देश्य से भटकने जैसा होगा। यदि इस क्षेत्र के विकास पर निरंतर ध्यान दिया जाए तो यह अस्थायी घटनाएं स्वतः ही एक न एक दिन दूर की कौड़ी साबित होंगी।

भावी नीति एवं सुझाव

पूर्वोत्तर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर हो, इस हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं :–

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकास योजनाएं बनाते समय समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र के सातों राज्य एक–दूसरे पर निर्भर उपव्यवस्था के अंग हैं, जिनमें से प्रत्येक का जातीय अभिमान है।
2. इस क्षेत्र पर केंद्रीय वित्तीय सहायता और योजना आबंटन बढ़ाया जाए, लेकिन यहां पर यह भी ध्यान रखना होगा कि मात्र केंद्रीय सहायता राशि को इस क्षेत्र के राज्यों के पक्ष में झुकाने से सब कुछ नहीं हो सकता। इन राज्यों को अपनी सीमित आय पर निर्भर रहने और अपने विकास के लिए अधिक सार्थक प्रयास करने होंगे क्योंकि हमारा देश वर्तमान समय में संसाधनों की सीमितता से जूझ रहा है।
3. इस क्षेत्र के विकास की योजनाएं तैयार करने में योजनाकारों का देश के अन्य स्थानों का अनुभव बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता, अतः विकास योजना बनाते समय इस क्षेत्र के लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सम्मान करना होगा। इन राज्यों की समस्याओं का हल वहां के लोगों के जनजीवन, संस्कृति व लोक परंपराओं का सम्मान कर उनके रंग में डूबकर ही किया जा सकता है।
4. राजनीतिक तुष्टिकरण की नीतियों का भी परित्याग करना होगा अन्यथा पूर्वोत्तर राज्यों को मिली आर्थिक सहायता के बड़े अंश का कारगर उपयोग नहीं हो पाएगा और स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी।
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ राज्यों में कुछ जगहों पर प्रशासन तथा जनता में आलस्य, सुस्ती तथा निकम्मापन देखने को मिल जाता है जोकि इस क्षेत्र के विकास में बाधक है। इस क्षेत्र के लोगों को इस कमी को दूर करना होगा। समाजशास्त्र के प्रोफेसर कृष्णनाथ ने अपनी पुस्तक **अरुणाचल**

यात्रा में प्रशासन तथा जनता की इस सुस्ती, आलस्य तथा निकम्मेपन की चर्चा भी की है।

6. यह क्षेत्र अपने पर्वतीय शहरों, गांवों, वन्य जंतुओं, प्रदूषणमुक्त वातावरण के कारण अनेक आकर्षणों से भरपूर है। यहां अनेक पर्यटन स्थल भी हैं इसलिए यहां पर्यटन उद्योग के फलने–फूलने की पूरी संभावना है। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने से स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा, उनकी आय के स्रोतों में विस्तार होगा, निराश बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेंगे, पर्वतों की पारिस्थितिकी का संरक्षण भी होगा। पर्यटकों के लिए अवस्थिति विशिष्ट उपयुक्त आचरण कोड विकसित किए जाने चाहिए ताकि आसपास की जगह को साफ एवं बीमारीरहित रखा जा सके और स्थानीय पारिस्थितिकी का बचाव किया जा सके।
7. सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और केंद्र/राज्य सरकार की सेवाओं में जहां तक संभव हो यहां के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार सुलभ कराए जाने चाहिए ताकि निराश, बेरोजगार युवाओं की फौज बढ़ न सके।
8. वर्तमान समय में पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिवहन संबंधी सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं इसलिए कोई लाभदायक विकास कार्य करने से पूर्व परिवहन संबंधी सुविधाओं में सुधार लाना होगा। सड़कों के रखरखाव के लिए भी कुछ अच्छी व्यवस्था करनी होगी ताकि उनकी जीवनावधि लंबी हो सके।
9. यह क्षेत्र अनेक नदी घाटियों और जल प्रपातों का उद्गम स्थल है। यहां पर तेज बहने वाली नदियां भी हैं इसलिए यहां पनबिजली के विकास की पर्याप्त संभावना है। अतः माइक्रोहाइडिल परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
10. आर्थिक उदारीकरण के दौर में विदेशी पूंजी निवेश के मामले में यहां सावधानी बरती जानी चाहिए क्योंकि इससे स्थानीय लोगों को बहुत अधिक लाभ नहीं होगा बल्कि स्थानीय जनता में कुछ मनमुटाव पनपने की ही संभावना है।
11. इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को देखते हुए यहां सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, राष्ट्रीय आदर्श विशेष उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकते।
12. इस क्षेत्र के सांसदों को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास परिषद परियोजना के तहत जो धन स्वीकृत किया जाए, उसका समय पर उपयोग कर लेना चाहिए। जिन विकास कार्यों की वरीयता सूची पहले से ही तैयार कर ली जाए और उनके अनुरूप कार्य किए जाएं तो वित्तीय संसाधनों का प्रभावी एवं कारगर उपयोग होगा।
13. इस क्षेत्र के विकास पर ध्यान देने से सुखद परिणामों की आशा तभी की जा सकती है जब इस क्षेत्र में उग्रवादी संगठनों तथा आई.एस.आई के एजेंटों द्वारा जो कुचक्र आर्थिक प्रलोभन से युवा वर्ग को गुमराह करने का चल रहा है उसे भी समय रहते समाप्त किया जाए। इस हेतु सीमावर्ती इलाके में सतर्कता बरतनी होगी।
14. प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करना होगा। लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों को उचित दिशा देनी होगी।
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए सिंचाई पर ध्यान देना होगा। सिंचाई की पद्धति के लिए अनुसंधान किए जाने चाहिए। छोटे बांधों, लिफ्ट सिंचाई स्कीमों सहित छिड़काव और ड्रिप सिंचाई को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
16. इस क्षेत्र में ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिन्हें प्रदूषणरहित, ठंडी जलवायु और सूक्ष्म निपुणताओं की आवश्यकता हो। खनन कार्य करने के दौरान और उसके पश्चात् पर्याप्त पारिस्थितिकी के साथ खनन कार्य किए जाएं। वनों की सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा।
17. जिन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, उन राज्यों को जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना होगा ताकि बढ़ती जनसंख्या विकास को हड़पने न पाए। जनसंख्या में वृद्धि के कारण जमीन पर आबादी का दबाव बढ़ता रहा है इसलिए रोजगार के वैकल्पिक साधनों का विकास निहायत आवश्यक बन गया है।
18. पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं को अपनी सोच में बदलाव भी लाना होगा और इस बात को अंगीकार करना होगा कि इस क्षेत्र में यदि अमन–चैन का प्रवेश सृजित होगा तो अल्पकाल में न सही लेकिन दीर्घकाल में इस तरह के परिवेश सृजन के कुछ सार्थक परिणाम अवश्य निकलेंगे।
19. यहां के नागरिकों के मन में 'अपना गांव' की तरह 'अपना देश' की भावना विकसित करनी होगी ताकि देश की राजधानी में 'पूर्वोत्तर क्षेत्र से भारत आने का बोध' न हो बल्कि दिल्ली 'अपना गांव' सी लगे।❑

संदर्भ

1. श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, 'श्रम सांख्यिकी लघु पुस्तिका 1999' नई दिल्ली (2000) पृ. 17, 18
2. वही, पृ. 14, 15
3. वही, पृ. 129, 130
4. जाली मोहन कौल, प्राब्लम्स आफ नेशनल इंटीग्रेशन, नई दिल्ली, 1963, पृ. 76
5. मधुमोद के. रायजादा, उत्तरांचल एक अध्ययन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा (2002), पृ. 5
6. गवेषणा संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग (सम्पा. एवं संकलित) 'भारत एक वार्षिक संदर्भ ग्रंथ 2002' सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (2002), पृ. 406, 407
7. भारत सरकार प्लानिंग कमीशन, थर्ड फाइव ईयर प्लान, नई दिल्ली 1961, पृ. 76
8. भारत सरकार योजना आयोग, नौवीं पंचवर्षीय योजना, खंड द्वितीय, नई दिल्ली, पृ. 1165

माधव निवास (संजीवनी अस्पताल के निकट)
नबावी रोड, हल्द्वानी–263139
जनपद–नैनीताल (उत्तरांचल)

जिन व्यक्तियों का हृदय पवित्र है वे धन्य हैं क्योंकि उन्हें ईश्वर का ज्ञान दिया जाएगा। – श्रीकृष्ण

ग्रामीण महिलाओं और बच्चों की स्थिति

☞ डा. महीपाल

हरियाणा राज्य के रूप में भारत के नक्शे पर लगभग चार दशक पहले उभरकर आया था। इन चार दशकों की अपनी यात्रा में प्रदेश ने आर्थिक व संरचनात्मक विकास में अनेक आयाम स्थापित किए हैं लेकिन सामाजिक विकास के क्षेत्र में फिसड्डी रहा है। अगर हरियाणा की तुलना पूर्व पंजाब (जिसके हिस्से हरियाणा के अलावा पंजाब व हिमाचल प्रदेश थे) से करें तो यह प्रदेश पीछे है। पूर्व पंजाब से ही क्यों यह प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर भी पीछे है। वैसे तो सामाजिक विकास व्यापक विचार है लेकिन यहां पर हम केवल महिलाओं व बच्चों के कुपोषण व बिगड़ते लिंग अनुपात पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हरियाणा की क्या स्थिति है।

"देशों में देश हरियाणा जहां दूध–दही का खाना", यह कहावत हरियाणा के आसपास ही नहीं बल्कि सारे देश में प्रसिद्ध है लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है क्योंकि यहां पर अधिकतर महिलाओं व बच्चों के चेहरे इस कहावत को चरितार्थ नहीं करते हैं। उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं तथा वे शरीर से कमजोर हैं जिसका मुख्य कारण है कुपोषण। प्रदेश में कुपोषण के कारण खून की कमी अर्थात एनीमिया की समस्या महिलाओं व बच्चों में गंभीर है। मार्च 2002 में योजना आयोग, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2001 में विभिन्न राज्यों में महिलाओं एवं बच्चों में एनीमिया की स्थिति को बताया है। इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 47 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त हैं जबकि पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश में यह क्रमशः 41.40 एवं 40.50 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रतिशत 51.80 है जोकि हरियाणा के प्रतिशत से कोई खास ज्यादा नहीं है। बच्चों में यह स्थिति और भी गंभीर है क्योंकि हरियाणा में 83.90 प्रतिशत बच्चे एनीमिया के शिकार हैं जबकि हिमाचल प्रदेश व पंजाब में एनीमिया से पीड़ित बच्चों का प्रतिशत क्रमशः 69.90 व 80 है। स्पष्ट है कि तीनों राज्यों में सबसे अधिक समस्या हरियाणा में है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति व्यय हरियाणा से कम है। राष्ट्रीय स्तर पर एनीमिया से ग्रस्त बच्चों की संख्या का प्रतिशत मात्र 47.30 है। अतः यहां पर बच्चों की कमजोरी की समस्या राष्ट्रीय स्तर से भी अधिक है। यह वास्तव में चिंता का विषय है जिसकी ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब इमारत की बच्चोंरूपी नींव ही कमजोर होगी तो इमारत का क्या हाल होगा, इसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा क्यों है? क्या यह आमदनी की कमी के कारण है? नहीं, अज्ञानता एवं जागरूकता के कारण। यह भी कोई जरूरी नहीं कि यह समस्या अधिक आय वाले वर्गों में न हो।

इसका सीधा संबंध खानपान के 'पैटर्न' से है। गर्भवती महिलाओं को संपूर्ण खुराक न मिलना, जच्चा–बच्चा की उचित देखभाल न होना, खानपान में हरी सब्जियों व फलों का सेवन न करना तथा बच्चों को बोतल से दूध पिलाना इसके प्रमुख कारण हैं। इसके साथ–साथ गर्भवती महिलाओं का आयरन की निर्धारित गोलियों का सेवन न करना भी एक कारण है। दूसरी सामाजिक समस्या का महत्वपूर्ण आयाम विपरीत लिंग अनुपात है। दूसरे शब्दों में, लड़कों की तुलना में लड़कियां कम हैं। 2001 की जनगणनानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 लड़कों पर मात्र 867 लड़कियां जन्म ले पाती हैं। इस दृष्टि से भी अगर हरियाणा को देखें तो यह अपने पड़ोसी राज्यों से ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी पीछे है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। हिमाचल प्रदेश में लिंग अनुपात 991, एवं पंजाब में 887, उत्तरांचल में 1,007, उत्तर प्रदेश में 904 तथा राजस्थान में 932 है। राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात 946 है। स्पष्ट है कि पड़ोसी राज्यों से ही नहीं राष्ट्रीय स्तर के लिंग अनुपात में भी हरियाणा फिसड्डी है। लड़कियों की संख्या कम होने का कारण है भ्रूण हत्या।

अगर 0–6 उम्र के बच्चों में लिंग अनुपात देखें तो स्थिति और गंभीर हो जाती है क्योंकि इस उम्र के बच्चों में हरियाणा में लिंग अनुपात 824 है। अगर यह समस्या जिलेवार देखें तो पाते हैं कि सबसे ज्यादा विपरीत लिंग अनुपात की समस्या धर्मक्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र व इसके पड़ोसी अंबाला जिले में है क्योंकि यहां पर विपरीत लिंग अनुपात की समस्या संपूर्ण हरियाणा के सभी जिलों से अधिक है। अगर इन जिलों को 'कुड़ी' मार जिलों की संज्ञा दें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। वर्तमान में कुरुक्षेत्र जिले का लिंग अनुपात और भी लुढ़क गया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन शोध केंद्र द्वारा करवाए गए एक सर्वेक्षण में हरियाणा में सबसे कम लिंग अनुपात कुरुक्षेत्र जिले की शाहाबाद तहसील में है। इस तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में 1,000 लड़कों पर 743 लड़कियां ही जन्म ले पाती हैं जबकि प्रदेश की इस तहसील की गिनती साक्षर तहसीलों में की जाती है क्योंकि यहां पर महिलाओं में साक्षरता दर 65 प्रतिशत है।

अगर इस समस्या को भौगोलिकता की दृष्टि से देखें तो पाते हैं कि हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, इस बीमारी से अपेक्षाकृत अधिक ग्रस्त है। हरियाणा में बच्चों में विपरीत लिंग अनुपात यहां भविष्य में नारी–पुरुष अनुपात की उत्पन्न होने वाली विकराल समस्या की ओर इशारा करता है।

वर्तमान में इस समस्या से उत्पन्न होने वाली अनेक समस्याओं पर एक नजर डालते हैं। हरियाणा में (दुल्हनों) बहुओं की घाटा

पूर्ति के लिए लड़कियां झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल आदि प्रदेशों से खरीदी जा रही हैं। इन लड़कियों की बाजार में कीमत पांच हजार से पंद्रह हजार के बीच है अर्थात इनका मूल्य गाय व भैंस के बराबर भी नहीं है। ये लड़कियां यहां के परिवारों के बच्चों की मां तो बन गईं हैं लेकिन यहां के समाज का अंग नहीं बन सकी हैं। क्योंकि अक्सर सुनने को मिलता है कि बंगालन (बंगाल की रहने वाली) के बच्चे तो स्कूल भी चले गए, हमारे बच्चे तो अभी सोकर भी नहीं उठे। पहाड़न (पहाड़ की रहने वाली) ने तो दूध भी बिलो लिया हमारी बहू तो अभी सोती भी नहीं उठी। उपर्युक्त संबोधनों से स्पष्ट होता है कि वे लड़कियां जो अपना घरबार छोड़कर हजारों कोस से यहां आकर यहां के परिवारों में बच्चों की मां तो बनीं लेकिन घरानों की बहुएं नहीं बन पाईं और अंततः यहां के समाज का हिस्सा नहीं बन सकीं। वे किस तरह के मनोवैज्ञानिक दबाव में जीवन व्यतीत कर रही हैं, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।

सरकार ने इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए लिंग निर्धारण पर रोक लगा दी है तथा बच्चियों को पेट में ही न मारें, इसके लिए भी स्कीम चलाई है। लेकिन जब तक समाज इस समस्या को अपनी समस्या नहीं समझेगा तब तक कानूनी पहल भी अनुकूलतम लाभ नहीं दे पाएगी। अक्सर सुनने को मिलता है कि लिंग निर्धारण पहले खुले रूप से होता था, अब छुपकर होता है। पहले यह कार्य 200 रुपये में हो जाता था, अब रोक लगाने के बाद एक हजार रुपये में होता है।

भ्रूण हत्या का मुख्य कारण दहेज प्रथा प्रतीत होता है इसलिए यह बीमारी संपन्न परिवारों व संपन्न क्षेत्रों में अधिक है। सच्चाई यह है कि समय के अनुसार बड़ी भूमि जोतें छोटी होती जा रही हैं। लेकिन तथाकथित बड़ी भूमि जोतों वाले परिवारों के नखरे व उनके रहन–सहन का अंदाज वही पहले वाला है भले ही इसको कायम रखने के लिए ये परिवार बैंकों व अडलियों के कर्जदार हों। अपने समाज एवं रिश्तेदारों को देखते हुए कम दहेज या बिना दहेज के लड़कियों की शादी करना नहीं चाहते क्योंकि समाज कहेगा कि बनते तो हैं जमींदार लेकिन पास में पैसा नहीं है। इसलिए शायद ये तथाकथित संपन्न परिवार लड़कियों को पैदा होने से पहले ही समाप्त करने का आसान तरीका ढूंढते हैं भ्रूण हत्या और इस प्रकार *न मरज रहे न मरीज* कहावत को चरितार्थ करते हैं।

इन दोनों समस्याओं का समाधान ग्रामीण समाज में जागरूकता पैदा करके किया जा सकता है। इसलिए हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा प्रदेश के लगभग 60,000 पंचायत प्रतिनिधियों के लिए चल–प्रशिक्षण में सामाजिक विकास से जुड़े पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि मंच, सरपंच, पंचायत समिति एवं जिला परिषद में सदस्य व अध्यक्ष आर्थिक विकास के साथ बच्चों व महिलाओं के विकास पर भी ध्यान दें। उनसे आग्रह किया जाता है कि वे इन मुद्दों पर ग्रामसभा व पंचायतों की बैठकों में चर्चा कर इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएं ताकि हरियाणा आर्थिक विकास की तरह सामाजिक विकास में भी अग्रणी हो सके। ❑

(लेखक हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं)

ग्रामीण लोग ज्यादा यात्रा करते हैं

एक सर्वेक्षण से पता लगा है कि शहरी लोगों की तुलना में गांव के लोग ज्यादा यात्रा करते हैं और घरेलू पर्यटन में इनका ज्यादा योगदान होता है। हालांकि इनकी यात्राएं ज्यादातर सामाजिक उद्देश्यों से होती हैं। ग्रामीण अपने गंतव्य के आसपास के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करते हैं और इस प्रकार घरेलू पर्यटन के विकास में इनका उल्लेखनीय योगदान होता है। यह तथ्य सामने आया हाल में हुए एक सर्वेक्षण से।

विभिन्न कारणों से यात्रा पर जाने वाले इन घरेलू पर्यटकों की संख्या का पता लगाने और इन यात्राओं पर किए गए कुल खर्च तथा खर्च के तौर–तरीकों का आकलन करने के लिए पर्यटन विभाग ने वर्ष 2002 में एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कराया। राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ई.ए.आर.) द्वारा किए इस सर्वेक्षण के परिणाम अब प्राप्त हो गए हैं। इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों में पर्यटक घरों की संख्या, पर्यटन यात्राओं की विशेषताएं, खर्च के तौर–तरीके आदि का विवरण दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं–

- देश के कुल घरों में से 44 प्रतिशत घर ऐसे थे, जहां से उस घर का कम से कम एक सदस्य दी गई अवधि के दौरान पर्यटन पर गया।
- कुल पर्यटक घरों में से 75 प्रतिशत घर ग्रामीण क्षेत्रों में और 25 प्रतिशत घर शहरी क्षेत्रों में थे।
- 2002 में अंतर्राज्यीय पर्यटकों में से 29 प्रतिशत लोग शहरों से तथा शेष 71 प्रतिशत लोग गांवों से थे।
- महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान पर्यटक संख्या की दृष्टि से शीर्ष पर हैं।
- शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सामाजिक उद्देश्य से यात्रा पर जाने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे ज्यादा थी। कुल अनुमानित पर्यटक संख्या में इनकी हिस्सेदारी 59 प्रतिशत थी। धार्मिक तथा तीर्थयात्रा के उद्देश्य से पर्यटन पर जाने वाले लोगों का प्रतिशत 14 था। घरेलू पर्यटकों द्वारा भ्रमण पर किए गए खर्च का राष्ट्रीय औसत 1,389 रुपये प्रति ट्रिप बैठता है। शहरी क्षेत्रों के लिए यह 2,044 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह 1,170 रुपये है।
- भ्रमण व्यय का बड़ा हिस्सा परिवहन पर खर्च होता है।
- आनंद और अवकाश से जुड़े भ्रमण पर होने वाले खर्च का प्रति ट्रिप औसत सबसे ज्यादा और सामाजिक उद्देश्य का औसत सबसे कम है।
- घरेलू पर्यटकों ने 2002 के दौरान लगभग 319 अरब रुपये खर्च किए।

सर्वे में पहली बार प्रायोगिक आधार पर एक दिवसीय भ्रमण को भी कवर किया गया। केवल दिसंबर 2002 में ही 24 करोड़, 30 लाख लोग एक दिवसीय भ्रमण पर गए। इसमें से लगभग 17 करोड़, 60 लाख लोग ग्रामीण क्षेत्रों से थे। प्रायोगिक सर्वेक्षण से इन एक दिवसीय भ्रमण पर किए गए खर्च का अनुमान भी लगाया गया। प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार इन एक दिवसीय भ्रमणों में शहरी क्षेत्रों पर खर्च 119 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों पर खर्च 78 रुपये निकला।

भारतीय जड़ी-बूटियों में श्रेष्ठ गुग्गुल

☞ रत्नेश कुमार राव

भारत में सिंध, राजस्थान, गुजरात, असम, सिलहट, पूर्व बंगाल और मैसूर प्रांत में गुग्गुल के स्वयंजात पौधे पाए जाते हैं। इसके अलावा यह बलूचिस्तान एवं अरब, अफ्रीका आदि में भी होता है। इसे संस्कृत में गुग्गुल, कौशिक, गुग्गुल कुंभि, हिंदी में गुगल, बंगाली में भी गुग्गुल, गुजराती में गुगुल, फारसी में बूए जहूदान, अरबी में अफलेतन, मुकल और लैटिन में बाल सेमोडेंड्रोन कहते हैं।

गुग्गुल एक शाखाबहुल गुल्म (Stunted bush) होता है जिसकी ऊंचाई 4–12 फीट तक होती है। यह बारहों मास जीवित रहता है। इसकी शाखाओं की डंडियों पर हमेशा भूरे रंग का पतला छिलका उतरता हुआ दिखाई देता है। उस छिलके के नीचे छाल का रंग हरा होता है। इस वृक्ष की छोटी–बड़ी, आड़ी–तिरछी, कांटेदार अनेक शाखाएं होती हैं। फल मांसल, लट्वाकार तथा आगे से नुकीले, पकने पर यह लाल वर्ण के हो जाते हैं। पुष्प प्रायः मार्च–अप्रैल के महीने में आते हैं। जाड़े में गुग्गुल के कांड से चीरा लगाने से अपने आप काफी मात्रा में एक सुगंधित निर्यास (Gum resin) निकलता है जिसे गुग्गुल कहते हैं। यही औषधि में उपयोग होता है।

औषधीय उपयोग

भावप्रकाश के मतानुसार गुग्गुल – कड़वा, उष्णवीर्य, पित्तकारक, मृदु विरेचक, पाक में चरपरा, रूखा, हल्का, हड्डी जोड़ने वाला, वीर्यवर्धक, स्वर सुधारक, उत्तम रसायन और कफ, वात, व्रण अजीर्ण भेद वृद्धि, प्रमेह, पथरी, व्याधि, कुष्ठ, आमवात, ग्रंथि रोग, सूजन बवासीर, गंडमाल आदि रोगों को नष्ट करने वाला होता है। यह मीठा, मधुर, रसयुक्त होने से वात को, कसैला होने से पित्त को और कड़वा होने से कफ को नष्ट करता है। इसलिए गुग्गुल त्रिदोषनाशक है। नवीन गुग्गुल वीर्यवर्धक और बलकारक होता है। पुराना गुग्गुल शरीर को दुर्बल करने वाला और हानिकारक होता है। यूनानी मतानुसार यह तीसरे दर्जे में गरम और खुश्क है। यह वायु को नष्ट करता है एवं सूजन को कम करता है। इसका लेप करने से कंठमाला बिखर जाती है। इसको सिरके में घोलकर सिर के गंजे भाग पर लगाने से लाभ होता है। इसको खाने और धूनी देने से बवासीर में लाभ होता है। इसके लेप से शरीर के किसी भी अंग का दर्द समाप्त होता है।

गुग्गुल उत्तेजक, रोग कीटाणुनाशक और कफनाशक होता है। इसको पीपर, अडूसा, शहद और घी के साथ देने से पुराने कफ रोगों में जिसमें बहुत अधिक चिकना और दुर्गंधित कफ निकलता है, में लाभ होता है। यह प्रौढ़, अशक्त और दुर्बल लोगों के लिए एक दिव्य औषधि है। अग्निमांद्य और कब्जियत संबंधी रोगों जिसमें आमाशय और आंतें शिथिल पड़ जाती हैं इसको इंद्र जौ और गुड़ के साथ देने से अच्छा लाभ होता है। गर्भाशय के ऊपर भी गुग्गुल की बहुत अच्छी क्रिया होती है। यह गर्भाशय का संकुचन करता है और तरुण स्त्रियों के रूके हुए मासिक धर्म को नियमित करता है।

पीलिया में भी गुग्गुल का चमत्कारिक असर होता है। इसके उपयोग से रक्त में श्वेतकणों की वृद्धि होती है और जैसे–जैसे इनकी संख्या बढ़ती है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती जाती है और रोगी के शरीर में घी, तेल इत्यादि स्निग्ध पदार्थों को पचाने और

उसे खून में तब्दील करने की शक्ति विकसित होती है।

गुग्गुल की खेती

एक लंबे समय से गुग्गुल का गोंद संग्रहण अवैज्ञानिक तरीके से करने के कारण आज यह प्रजाति लुप्त हो गई है। आंकड़ों के अनुसार 1960 में भारत में इसका उत्पादन 500 टन था जो 1990 में घटकर 5 टन रह गया। परिणामस्वरूप भारत सरकार ने इसे दुर्लभ प्रजाति का पौधा घोषित कर इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

पौधशाला की तैयारी

गुग्गुल का पौधा कलम से तैयार किया जाता है। पुराने गुग्गुल के पौधे की लगभग अंगुली के बराबर मोटाई की टहनियों को काटकर (8–9 इंच लंबी) मिट्टी भरी पॉलीथिन की थैलियों में लगाते हैं। कलम लगाने के बाद हल्की लेकिन नियमित सिंचाई आवश्यक होती है। कलम लगाने का उपयुक्त समय जनवरी के मध्य से लेकर फरवरी मध्य तक होता है। छः माह बाद जुलाई–अगस्त तक ये पौधे खेत में लगाने लायक हो जाते हैं।

मुख्य खेत में रोपण

मुख्य खेत में 60×60×60 सेमी. के गडढे पौधों को लगाने के लिए बनाए जाते हैं। नर्सरी से निकाले हुए पौधों की पॉलीथिन को चाकू या ब्लेड से काटकर अलग कर दें,

गुग्गुल की खेती से संबंधित आय–व्यय का वितरण (प्रति एकड़ में)

1. कलमों की लागत (1000 कलमें 5 रु. प्रति कलम की दर से)	5,000.00
2. नर्सरी की तैयारी पर व्यय	2,000.00
3. नर्सरी में खाद पर व्यय	1,500.00
4. नर्सरी की सिंचाई तथा देखभाल पर व्यय (एक वर्ष में)	1,500.00
5. मुख्य खेत की तैयारी (गड्ढे आदि खोदने पर व्यय)	2,500.00
6. मुख्य खेत में खाद तथा अन्य कीटनाशकों पर व्यय	3,000.00
7. पौधों की खेती में रोपाई पर व्यय	2,000.00
8. निराई–गुड़ाई, सिंचाई तथा अन्य देखभाल पर व्यय (आठ वर्ष में)	5,000.00
9. आठवें से पच्चीसवें वर्ष तक फसल की देखभाल पर व्यय (17 वर्ष में)	17,000.00
10.आठवें से पच्चीसवें वर्ष तक गोंद एकत्रित करने पर व्यय (दो वर्ष में एकबार, 5,000 रु. प्रति वर्ष की दर से)	50,000.00
11.अन्य व्यय	10,500.00
कुल योग	**1,00,000.00**

तत्पश्चात पौधों को पिंडसहित गड्ढे में डालकर गड्ढे को मिट्टी से ढक दें। पौधे से पौधे तथा कतार से कतार के मध्य की दूरी दो मीटर रखनी चाहिए। पौधे लगाने के बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। जुलाई से सितंबर के बीच पौधों को रोपित करने का उपयुक्त समय होता है।

कीट नियंत्रण

गुग्गुल की खेती में किसी प्रकार की कीट व्याधि नहीं लगती। कभी–कभी ऐसा देखा गया है कि इस पर दीमक का प्रकोप होता है। दीमक का निदान करने के लिए जैविक पद्धति से तैयार किए गए गोमूत्र, लहसुन, आक और करंज को नीम की खली के घोल में प्रयोग कर दीमक पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस घोल का प्रयोग 15–15 दिन पर करना चाहिए। यह प्रक्रिया निरंतर 15–20 बार करने पर खेत से दीमक बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। गुग्गुल को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। बरसात का पानी ही इसके लिए पर्याप्त होता है। इसके पौधों के प्रत्येक भाग पर एक पतला आवरण होता है। बरसात का पानी जब इन पौधों पर पड़ता है तब यह आवरण पानी का कुछ भाग अवशोषित कर लेता है। यही कारण है कि इसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है।

गुग्गुल निकालने की आधुनिक तकनीक

गुग्गुल एक लंबी अवधि की फसल है। गुग्गुल निकालने लायक पौधे तैयार करने में करीब आठ वर्ष लग जाते हैं। इनसे 500 वर्षों तक गुग्गुल प्राप्त किया जा सकता है। इसमें एक रेजीन नामक पदार्थ निकलता है जिसे गुग्गुल कहा जाता है। परंपरागत तरीके से गुग्गुल निकालने के लिए उसके तने में चाकू से 3 इंच गहरा चीरा लगाते हैं और गुग्गुल रिसकर बाहर निकलने लगता है। 500 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक की मात्रा 15–20 दिनों में प्राप्त हो जाती है लेकिन पौधा समाप्त हो जाता है।

सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर द्वारा उपर्युक्त पांरपरिक विधियों को ध्यान में रखते हुए एक नई तकनीक खोजी गई। इस विधि के अनुसार तर्जनी के बराबर मोटी शाखाओं को मूल पौधे से काटकर अलग कर लेते हैं। इसके मशीन से 1/2-1 इंच तक के छोटे टुकड़े करते हैं। कटे हुए टुकड़ों को धूप में सुखाते हैं। अच्छी तरह सुखाए टुकड़ों को बोरों में भरकर संग्रहित कर लेते हैं। मूल पौधों से शाखाओं को अलग करने का उपयुक्त समय मध्य जनवरी से मध्य फरवरी के बीच होता है। इस प्रकार कटे हुए मूल पौधों से पुनः नई शाखाएं निकलने लगती हैं जिनकी दो वर्ष बाद पुनः कटाई की जा सकती है। कटे हुए छोटे टुकड़ों को बारीक पीसकर सालवेंट विधि द्वारा गुग्गुल निकाला जाता है।

सालवेंट विधि से निकाला गया गुग्गुल अर्धपारदर्शी हल्के सुनहरे रंग का होता है। पारंपरिक तरीके से निकाले गए गुग्गुल में विजातीय द्रव्यों की मात्रा 80 प्रतिशत होती है जबकि सालवेंट विधि से निकाले गए गुग्गुल की शुद्धता 100 प्रतिशत होती है।

पौध लगाने के आठ वर्ष बाद प्रथम कटाई होती है। उसके प्रत्येक दो वर्ष बाद फसल की कटिंग होती है।

गुग्गुल से प्राप्ति

एक एकड़ क्षेत्रफल में गुग्गुल के 1,000 पौधे रोपित किए जाते हैं। साल्वेंट विधि द्वारा प्रत्येक पौधे से लगभग 500 ग्राम गुग्गुल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार गुग्गुल की एक एकड़ की खेती से 500 किग्रा. गुग्गुल की प्राप्ति होती है। वर्तमान में गुग्गुल का बाजार भाव 100 रुपये प्रति किग्रा. है। आंकड़ों के अनुसार प्रति एकड़ 5,000 हजार रुपये की प्राप्ति होती है।

आय

आठवें से पच्चीस वर्ष के बीच 10 बार गोंद निकालने से प्राप्त कुल 5,000 किग्रा. गोंद की 100 रुपये प्रति किग्रा. बिक्री दर से कुल प्राप्ति – (पांच लाख रुपये)

शुद्ध लाभ = 5,00,000 - 1,00,000

= (चार लाख रुपये)

कभी विश्व में भारत प्रमुख गुग्गुल निर्यातक देश था लेकिन अत्यधिक विदोहन के परिणामस्वरूप आज हमारे देश को दूसरे देशों से गुग्गुल का आयात करना पड़ रहा है। यद्यपि गुग्गुल का प्रारंभिक काल काफी लंबा है लेकिन उसके बाद प्रत्येक दूसरे वर्ष इससे अच्छी आमदनी प्राप्त होती है जो लंबे समय तक चलती है। शुरू के आठ वर्षों में गुग्गुल के साथ आवश्यकतानुसार कुछ दूसरी फसलें लेते रहने से कुछ–कुछ अतिरिक्त आय होती रहती है। ❑

ग्राम करौंदी, पोस्ट सुसुवाही,
जिला वाराणसी–221005

"आगे बढ़ने की बात हर कोई अपने मन में सोचता है पर प्रयत्न विरले ही करते हैं।" – *इसर्मन*

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण और कोचिंग की योजना

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण

यह योजना 1992–93 में शुरू की गई और तब से चल रही है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य उन विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए जनजातीय युवाओं के कौशल को विकसित करना है जिनमें जनजातीय गांवों के निकट के क्षेत्रों में तथा बाहर नौकरी तथा स्वरोजगार के अवसरों की गुंजाइश है। साथ ही जनजातीय युवाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में उनकी कमाई में वृद्धि कर सुधार लाना भी है।

कवरेज : सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र इस योजना में शामिल हैं। यह क्षेत्र–विशेष योजना नहीं है लेकिन व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं केवल जनजातीय लोगों को दी जाती हैं।

वित्तपोषण पद्धतिः यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है तथा इस योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत अनुदान राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा इस योजना को कार्यान्वित कर रही अन्य एसोसिएशनों को प्रदान किए जाते हैं।

त्रिपुरा के रुपईचारी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में युवक स्कूटर मरम्मत कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए।

मुख्य विशेषताएं

- इस योजना को राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा संस्थाओं या स्वायत्त निकायों के रूप में सरकार द्वारा स्थापित संगठनों या यथा निर्धारित कतिपय अपेक्षाओं को पूरा करने वाले सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीकृत गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत, हालांकि परियोजना तैयार करने के स्तर पर पूर्व परिभाषित लागत शीर्षों को निर्धारित किया जाता है फिर भी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्यक्रम संबंधी रूपरेखाएं तथा पृथक व्ययशीर्षों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रपत्रों में विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना अपेक्षित है। परियोजनाओं को अनुमोदित करते समय परियोजना के प्रत्येक घटक की सहायता की सीमा का उल्लेख किया जाता है। कुल अनुदान के 20 प्रतिशत की सीमा तक व्यय को एक मद से दूसरे मद में पुनर्विनियोजित करने की अनुमति दी जाती है।
- प्रत्येक व्यावसायिक केंद्र उस क्षेत्र की रोजगार संभावना पर निर्भर रहते हुए परंपरागत कौशलों में पांच व्यावसायिक पाठयक्रमों की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। आंतरिक क्षेत्रों में यहां तक कि कुशल व्यक्तियों की सीमित क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जनजातीय लड़के/लड़की को उसके/उसकी पसंद के दो व्यवसायों में प्रशिक्षित किया जाता है। प्रत्येक व्यवसाय में पाठयक्रम की अवधि तीन माह होती है। प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को छह माह के अंत में एक मास्टर शिल्पी के साथ अर्द्धशहरी/शहरी क्षेत्र में छह माह की अवधि के लिए व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों को चलाने वाली एजेंसियों से ऋण या सब्सिडी का इंतजाम या तो आई.टी.डी.पी. के माध्यम से या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से प्रत्येक सफल प्रशिक्षार्थी को अपना नया कार्य आरंभ करने में समर्थ बनाने के लिए करने की अपेक्षा की जाती है।
- एजेंसियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों को या तो किराए के भवन में या संगठन द्वारा अपने स्वामित्व के भवन में चलाने के लिए सहायता अनुदान दिए जाते हैं। प्रति माह दिए जाने वाले किराए की दर को अधिकतम 8,000 रुपये तक निर्धारित किया जाता है और यदि भवन संगठनों/एजेंसियों के स्वामित्व

ग्लोबल आर्ट एंड कल्चर राउरकेला संगठन द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा निर्मित कलाकृतियां

में है तो अनुरक्षण अनुदान, प्रतिमाह किराए के 10 प्रतिशत की दर से है।

- प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र को पांच व्यवसायों में पाठयक्रम चलाने के लिए प्रशिक्षण उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए संबंधित एजेंसी द्वारा पांच वर्ष में एक बार 2.40 लाख रुपये प्रति व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की दर से निश्चित किए जाते हैं।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों को चलाने के लिए आवर्ती अनुदान 13,500 रुपये प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति वर्ष की दर से है। प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के पास एक मुख्य अनुदेशक/फोरमैन, चार व्यवसाय अनुदेशक, एक कार्यशाला परिचर, एक चौकीदार, एक चपरासी, एक अंशकालिक स्वीपर तथा एक लेखाकार होना चाहिए। केंद्र में प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को 350.00 रुपये प्रति माह वजीफा तथा 1,200 रुपये प्रति वर्ष की दर से कच्चा माल उपलब्ध किया जाता है।

इस योजना के लिए नौवीं योजना में 30.25 करोड़ रुपये आवंटित किए जिसमें से इस अवधि के दौरान मंत्रालय द्वारा योजना को कार्यान्वित कर रही राज्य सरकारों तथा गैर–सरकारी संगठनों को 18.45 करोड़ रुपये जारी किए। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्कीम का आवंटन 67.12 करोड़ रुपये, राज्य सरकारों के लिए 33.56 करोड़ रुपये तथा उतनी ही राशि गैर–सरकारी संगठनों के लिए है। इस स्कीम के लिए वर्ष 2002–2003 का आवंटन 7.00 करोड़ रुपये है। जिसमें से राज्य सरकारों को 1.37 करोड़ रुपये तथा गैर–सरकारी संगठनों को 0.34 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

कोचिंग तथा संबद्ध योजना

यह योजना चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि से चल रही है। इस योजना का उद्देश्य जनजातीय समुदायों के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, भर्ती बोर्डों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा आयोजित विभिन्न पदों और सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके प्रतिनिधित्व तथा स्तर में सुधार लाने के लिए परीक्षा–पूर्व कोचिंग प्रदान करना है।

कार्यान्वयन एजेंसियां तथा वित्त पोषण पद्धति : राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/विश्वविद्यालय तथा निजी कोचिंग संस्थान परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं। निधियों को प्रति यूनिट आधार पर प्रदान किया जाता है। मंत्रालय से विश्वविद्यालयों/निजी संस्थाओं को ठेके के आधार पर 100 प्रतिशत की सीमा तक सहायता प्रदान की जाती है जबकि राज्यों द्वारा संचालित संस्थाओं को सहायता का 50 प्रतिशत दिया जाता है।

विशेषताएं

- परीक्षा पूर्व कोचिंग के लिए उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के आधार पर एक चयन समिति करती है। प्रत्येक कोचिंग केंद्र अर्हकारी परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अधिक से अधिक 40 उम्मीदवारों को पढ़ाता है।
- यह योजना केवल उन अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए खुली है जिनकी आय (यदि रोजगार में हों) या उनके माता–पिता की आय सभी स्रोतों से 44,500 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होती है।
- मंत्रालय द्वारा गठित एक चयन समिति परीक्षा पूर्व कोचिंग केंद्रों का चयन करती है।
- कोचिंग संस्थानों से निरंतर कार्यक्रम को मानीटर करना और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा मंत्रालय को मानीटरिंग के प्रयोजन से निर्धारित प्रपत्र में तिमाही प्रगति रिपोर्ट देना अपेक्षित है।
- परीक्षा पूर्व कोचिंग केंद्र संविदा के आधार पर वित्त पोषित किए जाते हैं। उनसे किसी पद का सृजन नियमित या अस्थायी आधार पर नहीं करने की अपेक्षा की जाती है। यदि वे ऐसा करते हैं तो वह उनकी अपनी लागत पर होता है और मंत्रालय यदि योजना समाप्त हो जाती है तो किसी देयता के लिए उत्तरदायी नहीं है। निजी रूप से चलाए जा रहे संस्थानों को अनुदान दो बराबर किश्तों में निर्मुक्त किया जाता है।

प्रस्तुति : संपादकीय टीम

इतिहास के आईने में रोटी

☞ कैलाश जैन

'भूख' और 'रोटी' का रिश्ता सारी दुनियादारी का पहला और आखिरी मुकाम है। दो जून रोटी का सवाल जिंदगी का सबसे बड़ा और अहम सवाल है। रोटी के सवाल के सामने बाकी सारे सवाल बौने व अर्थहीन हो जाते हैं। आइए, आज इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत रोटी के इतिहास की पड़ताल करें।

यों तो आदिम भूख और रोटी का इतिहास एक–दूसरे के समानांतर चलते रहे हैं। आदमी की पहली भूख शायद किसी रोटी की मोहताज रही होगी। आदमी की याददाश्त और औकात शायद इतनी नहीं है कि वह रोटी के उद्‌गम और इतिहास का सही–सही ब्यौरा मालूम कर सके, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि यूरोपीय देशों में कई जगहों पर हुई खुदाई से प्राप्त अनाज को पीसने और रोटी बनाने के उपकरण और जलकर राख हुई रोटियों के अवशेष कहते हैं कि आज से हजारों साल पहले आदमी रोटी पकाना जानता था। यूरोप में ही एक स्थान पर कुचले हुए अनाजों की चार सेर वजन की रोटी प्राप्त हुई है।

आदिम युग की रोटी की बनावट और आकार–प्रकार भी आदिम था। तब आदमी इतना 'सभ्य' नहीं था कि अनाज को पीसकर आटे की रोटी बना सके। वह तब अनाज को केवल पानी में भिगोकर उसे किसी पत्थर से कुचलकर 'रोटी' का आकार दे देता और उसे धूप में सेंककर खा लेता।

जैसे–जैसे आदमी चालाक यानी 'सभ्य' होता गया, उसके तौर–तरीके भी बदलते गए। उसने चीजों के नए इस्तेमाल सीख लिए। 'रोटी' भी उनमें से एक थी। इतिहास से हमें ऐसे तथ्य प्राप्त होते हैं जिनसे यह साबित होता है कि आज से करीब पांच हजार साल पहले प्राचीन मिस्र की समूची सभ्यता आर्थिक व सामाजिक रूप से रोटी पर आधारित थी। तब तक लोगों ने गेहूं के अतिरिक्त ज्वार, मक्का, बाजरा और चावल के आटे की आग पर सिकी हुई रोटियां बनाना सीख लिया था। वहां अनाज के समूचे उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण था। सारा अनाज सरकारी भंडारों में जमा रहता था। आर्थिक दृष्टि से रोटी उस युग में कितनी महत्वपूर्ण थी, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि मुल्क के वजीर से लेकर मजदूर तक को सरकार द्वारा रोटियों के रूप में वेतन दिया जाता था। उस युग में मिस्रवासी विभिन्न आकारों की रोटियां बनाते थे। न्यूयार्क के मेट्रोपोलियन म्यूजियम में मिस्र की पांच हजार साल पुरानी रोटियों के संग्रह में गोल, चौकोर, गेंद की आकार की, पिरामिड की शक्ल की और पक्षियों के आकार की कई खूबसूरत रोटियां आज भी सुरक्षित हैं।

प्राचीन रोम में रोटी बनाने के कार्य को अत्यंत पवित्र कार्य माना जाता था। शुद्धता और स्वच्छता की दृष्टि से रसोइए अपने हाथों में रेशमी दस्ताने और चेहरे पर नकाब के रूप में रेशमी रूमाल बांधकर रोटियां बनाते थे।

फ्रांस में भी रोटी बनाने के कार्य को एक सम्मानजनक कला के रूप में मान्यता प्राप्त थी। वहां राजमहल के रोटी विभाग के प्रमुख का कार्य किसी भी बड़ी मिल के मैनेजर के समतुल्य माना जाता था। उसे शाही दावतों के लिए बीस से अधिक किस्मों की रोटियां बनानी पड़ती थीं। फ्रांस में सामूहिक भोजों में निमंत्रित मेहमानों को उनके सामाजिक स्तर के मुताबिक अलग–अलग किस्मों की रोटियां परोसी जाती थीं।

जर्मनी में बकरियों को घर से बाहर जाने से रोकने के लिए घोड़ागाड़ी के आकार की रोटियां बनाकर दरवाजे पर रखी जाती थीं। ब्रिटेन में रोटी निर्माण व वितरण का कार्य महिलाओं के जिम्मे था। बेकरी में 12 रोटियों के बदले उन्हें एक रोटी पारिश्रमिक के रूप में दी जाती थी। इसी प्रथा के कारण अंग्रेजी में 'तेरह' के अंक के लिए 'बेकर्स डजन' मुहावरे की उत्पत्ति हुई।

जहां तक हमारे देश का सवाल है, इसका रिश्ता रोटी के साथ बहुत–बहुत पुराना रहा है, किंतु काफी समय तक रोटियों के स्वरूप व उनके निर्माण की प्रक्रिया में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ। सब कुछ यथावत चलता रहा। हां, मुगल सल्तनत के शौकीनमिजाज बादशाहों ने जरूर रोटी को नई शक्ल व नया स्वाद देने की कोशिश की। आटे में खमीर डालकर रोटी को स्वादिष्ट बनाना उसी युग की देन है तथा आज तक मशहूर 'मुगलई परांठा' सचमुच अपने लजीजपन के कारण उनके शाही अंदाज की यादगार निशानी है। मुगल सल्तनत के दो आखिरी सुल्तानों की शानो–शौकत का वर्णन *वज़्मे आखिर* नामक किताब में मिलता है। इस पुस्तक में एक अध्याय है– 'बादशाहों का भोजन'। इसमें मुगल बादशाह अकबर (द्वितीय) के दस्तरखान में परोसे जाने वाले भोजन की सूची इस प्रकार बताई गई है– चपातियां, फुलके, परांठे, रोगन रोटी, नान, शरेमाल, बेसनी रोटी, खमीरी रोटी, बिरी (दालभरी) रोटी, गोदीदा, गौजवाना, कुचला, बाकर खानी, गोसी रोटी, बादाम की रोटी, गाजर की रोटी, पिस्ते की रोटी, चावल की रोटी, मिसरी की रोटी, नाने गुलजार, नाने कलाश और नाने टुटकी। सूची के नामों में यहां केवल रोटियों की किस्मों के नाम दिए गए हैं। शेष व्यंजन, मिठाइयां, पुलाव आदि अलग हैं।

क्या ऐसा नहीं लगता कि आदिम युग से शुरू हुए रोटी के इस सफर को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम मुगल बादशाहों ने ही किया है! वैसे उसी मुगल सल्तनत में ही सम्राट अकबर से संघर्षरत महाराणा प्रताप के नन्हे पुत्र के हाथ से वन–बिलाव द्वारा छीन ली जाने वाली 'घास की रोटी' का भी अपना ऐतिहासिक महत्व है। रोटी की विकासयात्रा समाप्त नहीं हुई है। यह लगातार जारी रहेगी क्योंकि रोटी ही आदमी की सबसे बड़ी 'ताकत' है और सबसे बड़ी 'कमजोरी' भी। ❑

34– बंदा रोड़,
भवानी मंडी, (राज.) 326502

कहानी

जीवन के रंग अनेक

☞ डा. सविता मिश्रा

ट्रेन पूरी रफ्तार से भागती जा रही थी। बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। सुमेधा के सारे कपड़े बारिश में तरबतर हो चुके हैं। बैग से तौलिया निकालकर वह अपने भीगे बालों को पोंछती है फिर उन्हीं पेड़ों की गति में खोकर रह जाती है। इसी धड़धड़ाती ट्रेन की तरह समय भी भागता रहता है। कई बार उसने चाहा था कि समय कुछ देर ठहर जाए पर ऐसा संभव नहीं हो पाया।

अचानक सुमेधा को हल्का–सा झटका महसूस होता है। ट्रेन रूक चुकी है। वह बाहर झांककर देखती है– अलीगढ़ है शायद! शिकोहाबाद आने में अभी देर है, यह सोचकर वह निश्चितता से पैर फैला लेती है। सामने वाली बर्थ पर सोयी मार्टला को देखकर वह सोचती है कि ट्रेन में कोई इतनी निश्चितता से सो सकता है क्या!

इतनी देर से बारिश हो रही है और कंपार्टमेंट की टूटी खिड़कियों से आती बौछारों ने उसे पूरी तरह से भिगो ही डाला है, साथ ही सीट के नीचे रखा सामान भी भीग गया है। अचानक वह सामने वाली सीट पर कुछ हलचल महसूस करती है। महिला जाग चुकी है। उसकी तरफ इतनी जोरदार बौछारें नहीं पहुंच पाई हैं।

धीरे–धीरे अंधेरा फैलने लगा है। सुमेधा अपने बैग को सिरहाने रख लेती है और लेट जाती है। आंखें बंद करके उसे थकान कुछ कम अनुभव होती है। आज सुबह चार बजे से वह ट्रेन में है। कल शाम जब वह ऑफिस से लौटी थी तो अर्पित भैया का फोन आया था– 'सुमेधा', सलोनी बुआ नहीं रही।' वह संज्ञाशून्य–सी होकर रह गई थी। काफी समय से बीमार थीं वो। एक से एक अच्छे डॉक्टर का इलाज चल रहा था। वह बुआ के सिरहाने बैठी थी। कुछ देर बाद उन्हें होश आ गया था और उसे सामने बैठा देखकर उनकी आंखें चमक उठी थीं!

'कैसी हो बुआ?'

'ठीक हूं बिटिया। तुमने इतनी दूर आने की परेशानी क्यों उठाई?' इतना बोलने में ही हांफने लगी थीं। **''सुमेधा ने देख लिया था कि उनकी आंखें भीग उठी हैं। संबंधों की यह आत्मीयता भी बड़ी अजीब होती है। कभी रुलाती है तो कभी हंसाती है। वह दो दिन तक वहां रही थी और उन दो दिनों में बुआ की हालत काफी सुधर गई थी।''**

सलोनी बुआ से उसका बचपन से लगाव रहा है। उन्होंने जीवन के सारे रंग देखे थे। कुछ रंग बड़े सुंदर थे। इंद्रधनुष की तरह झिलमिलाते हुए और कुछ रंग बड़े भद्दे। जब तक सलोनी बुआ के जीवन में बसंत रहा, तब तक वो महकती रहीं, महकाती रहीं। जब कभी छुट्टियों में बुआ आती तो सुमेधा उनके दमकते मुखमंडल को निहारते नहीं थकती थी। कलफ लगी कॉटन की साड़ी में उनके व्यक्तित्व की गरिमा और भी बढ़ जाती थी।

बोली ऐसी मीठी कि सुनते ही कानों में रस–सा बरस उठता था। जब भी आती तो हम सभी के लिए ढेर सारे उपहार लाती थीं। आसपास के बच्चों के लिए भी उनकी झोली हमेशा भरी रहती थी। किसी के लिए अंगूठी, किसी के लिए झुमका, किसी के लिए माला और तो और मिट्ठू के लिए मीठे–मीठे अमरूद भी लाना नहीं भूलती थीं। ठाकुर जी की सुंदर–सुंदर ढेर सारी पोशाकें बुआ अपने हाथ से सिलकर लाती थीं। धीरे–धीरे बुआ का आना कम होने लगा था।

उनके दो बेटे थे– सुनील भैया छोटे और अनिल भैया बड़े थे। फूफाजी बैंक में ब्रांच मैनेजर थे। ढेर सारी खेती थी जिसकी देखभाल नौकर–चाकर करते थे। सुनील भैया व अनिल भैया की पढ़ाई के कारण बुआ का आना कम हो गया था। फूफाजी का स्वास्थ्य भी कुछ गिरने लगा था। बुआ के बिना उसे छुट्टियां बहुत सूनी लगती थीं। धीरे–धीरे उसकी पढ़ाई बढ़ती गई। सुनील भैया और अनिल भैया के विवाह में वह भी गई थी। बुआ खूब खुश दिखाई दे रही थी। जरी की सुनहरे बार्डर वाली साड़ी ने उनके सौंदर्य को और भी द्विगुणित कर दिया था। दोनों बहुएं भी बुआ को सुंदर मिली थीं।

शादी के बाद काफी समय तक बुआ से मिलना नहीं हुआ। इस बीच बहुत कुछ घटनाएं सुनने को मिलती रहीं। पहले सुनील भैया कनाडा गए, फिर अनिल भैया भी दुबई चले गए। दोनों बहुएं सुरेखा और सलिला बुआ के पास रह गईं। सुरेखा ने अप्पू को जन्म दिया

और सलिला ने मेधावी को। बुआ का सारा दिन अप्पू और मेधावी के साथ बीतने लगा। फूफाजी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। बैंक से रिटायरमेंट लेकर वे भी घर पर ही रहने लगे थे। धीरे–धीरे सुरेखा व सलिला स्वच्छंद होती चली गईं। घूमना–फिरना, किटी पार्टी अटैंड करना, क्लब जाना, पिक्चर देखना ही उनकी दिनचर्या बन गई थी।

कभी–कभी बुआ सोचती कि स्त्री पर पति का नियंत्रण रहना आवश्यक होता है। आज सुनील और अनिल यहां होते तो सुरेखा व सलिला इस तरह घर–गृहस्थी की पूर्ण रूप से उपेक्षा कर इतनी स्वच्छंद न हो जातीं! कई बार वे उन्हें समझाना भी चाहती तो फूफाजी मना कर देते– 'रहने भी दो सलोनी। कुछ मत कहो। अनिल, सुनील यहां होते तो और बात थी। उनके बिना इनका मन भी तो नहीं लगता होगा।'

''वो तो ठीक है पर अब अप्पू और मेधावी भी तो बड़े हो रहे हैं। उन दोनों की पढ़ाई अब मेरी समझ भी नहीं आ पाती है। यही समय बच्चों पर ध्यान देने का है।'' बुआ की बात सुनकर फूफाजी चुप हो गए थे।

कुछ और साल बीत गए। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। फूफाजी की बीमारी भी बढ़ती गई। अनिल और सुनील ने भी अपने–अपने परिवार को अपने पास बुला लिया था। अप्पू और मेधावी की स्मृतियां बुआ को कचोटती रहतीं। पूरी तरह से उन्होंने अपने को फूफाजी की देखभाल में समर्पित कर दिया था।

कभी–कभी बुआ बहुत कमजोर पड़ जाती थीं। अनिल भैया व सुनील भैया से सुरेखा भाभी व सलिला भाभी ने जाने कितनी उल्टी–सीधी बातें वहां जाकर कही थीं कि फोन पर दोनों ने बुआ को बहुत कुछ बुरा–भला कहा था। बेचारी बुआ सकपकाकर रह गई थीं। कोई स्पष्टीकरण देना भी उन्होंने ठीक नहीं समझा था। विदेशी धरती पर उनके बेटे–बहू, पोते–पोती सुखी रहें, बस यही उनकी कामना थी। फूफाजी से भी इस विषय में कुछ नहीं कहा।

कभी–कभी बुआ का पत्र आता तो सुमेधा भी उन्हें लंबा–चौड़ा पत्र लिख देती। फोन पर भी पापा–मम्मी उन्हें खूब समझाते। कई बार तो बुआ की हिचकियां रोके नहीं रुकती थीं। फूफाजी ने ऐसी खाट पकड़ी कि फिर उठ ही नहीं पा रहे थे। कभी मूसलाधार बारिश में उन्हें डॉक्टर के यहां ले जाती तो कभी तपती लू के बीच उन्हें दूसरे डॉक्टर के पास एडमिट कराने ले जाना पड़ता। अकेले फूफाजी को उठा पाना भी उनके बस का नहीं था, पास–पड़ौस के लड़कों को बुलाकर सहायता लेनी पड़ती थी। बुआ के काम को कभी किसी ने मना नहीं किया। बस, अफसोस इसी बात का रहा कि अपनी ही संतान जीवन की ढलती हुई सांझ में मुख मोड़ बैठी। मम्मी ने ऐसी अवस्था देखकर अर्पित भैया को उनके पास भेज दिया था। बुआ का मन अर्पित भैया को ढेरों आशीष देता रहता।

एक दिन भांय–भांय करता सन्नाटा.....। हवाओं की सीटियां बज रही थीं। शीत बरस रहा था। बुआ को भी बुखार था। रात के दो बजे फूफाजी ने भी अंतिम सांसें ले लीं। पूरी रात बुआ कड़ाके की ठंड में जमीन पर बैठी रोती रहीं। अर्पित भैया ने सब जगह फोन कर दिया। अनिल भैया व सुनील भैया को भी सूचना दे दी थी। दोनों में से कोई आज तक भी नहीं आया।

एक साल बाद मम्मी ने बुआ से अपने पास आने का आग्रह किया पर बुआ नहीं मानी। सुखद–दुःखद स्मृतियों की गठरी सहेजे वहीं बैठी रहीं। एक बार उनका मम्मी के पास पत्र आया था संक्षिप्त सा– 'भाभी! भीख मांग रही हूं तुमसे। मना मत करना। अर्पित की शादी मैं अपनी पसंद से करूंगी और अपने पोते–पोती को खूब चाव से पालूंगी।' मम्मी को क्या आपत्ति हो सकती थी। हां कर दी थी उन्होंने।

अर्पित भैया अक्सर फोन पर बताते रहते थे कि बुआ लड़की ढूंढने व शादी के लिए सामान जुटाने में लगी हुई हैं। न धूप देखती, न बारिश! जहां कोई लड़की बताता, झट देखने चल देतीं। तुलसी के चौरे पर हर सांझ दिया–बाती करतीं। ठाकुर जी को हर सुबह नियम से नहलाती, हर शाम सुलातीं। इन कामों में उनसे कभी कोई चूक नहीं होती।

किंतु किस्मत से अधिक किसी को कुछ नहीं मिल पाता! बुआ का सारा चाव धरा रह गया। अचानक पता चला कि उन्हें कैंसर है। अर्पित भैया ने खूब भागदौड़ की। अनिल भैया व सुनील भैया को भी सूचना दे दी पर वे तो बुआ से पूरी तरह संबंध तोड़ चुके थे। पता नहीं कौन से जन्म के बुआ के पाप थे जो इस जन्म में भोगने पड़े थे। भैया ने फोन पर बताया था कि कुछ दिन पहले बुआ ने अनिल भैया, सुनील भैया के कमरे में लगे फोटो उतारकर बक्से में रख दिए थे और कहा था– 'अर्पित बेटा। मेरे मरने के बाद भी उन्हें सूचित मत करना। जिन्होंने जीते जी कभी सुध नहीं ली तो मिट्टी को छूकर क्या करेंगे?'

बारिश फिर तेज हो गई थी। शिकोहाबाद आने ही वाला है। सुमेधा ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। बिजली जोर–जोर से कड़क रही थी। बुआ की बीमारी की सुनकर सुमेधा को आभास हो गया था कि अब बुआ नहीं बचेंगी। उसने काफी हद तक अपने को तैयार भी कर लिया था। पर वह इतना जरूर चाहती थीं कि अर्पित भैया की शादी अपने हाथों से कर दें तो कुछ सुख पा सकें शायद! पर भगवान को यह सुख भी उनकी झोली में डालना मंजूर नहीं था।

ट्रेन से उतरकर सुमेधा रिक्शे में बैठी चली जा रही थी। बुआ का घर पास आता जा रहा था। आज उसे देखते ही प्यार से गले लगा लेने वाली बुआ नहीं मिलेंगी। आंगन में लगा तुलसी का बिरवा बुआ को याद करके कितना उदास होगा! तभी उसे बुआ के आंगन में लगा अमरूद का पेड़ दिखाई देता है, चुप और उदास–सा....! सुमेधा अपने होंठों को कसकर भींच लेती है। गली के मोड़ से ही भीड़ दिखाई देने लगी है। दूर मंदिर से आते हुए स्वर सुनाई दे रहे हैं–

पानी केरा बुदबुआ, असमानस की जात।
देखत ही छिप जाएगा, ज्यों तारा प्रभात।।

'शांति निकेतन'
साहित्य विहार, बिजनौर (उ.प्र.)

किसी पर अंगुली न उठाओ बल्कि पहले अपने कानों में अंगुली डाल दो। तुम सबसे भले आदमी बन जाओगे। यही लक्षण है सज्जन पुरुष का।

– मुनि अष्टावक्र

लघुकथा

सफर

☞ मनु स्वामी

सांयकालीन सत्र का आखिरी पीरियड लेकर आर्ट प्रोफेसर डा. राज स्टाफरूम से ब्रीफकेस उठाकर सीधे रेलवे स्टेशन के लिए चल पड़े। उनकी गाड़ी आने में अभी आधा घंटा है। स्टेशन पर यह जानकर उन्होंने राहत की सांस ली।

प्रोफेसर बुकस्टाल पर रखी पत्रिकाओं को सरसरी नजर से देखने लगे। एक साहित्यिक पत्रिका खरीदकर वह उसके पन्ने पलटने लगे। एक साहित्यकार का आत्मकथ्य देखा तो वह उसे गौर से पढ़ने लगे। आत्मकथ्य का प्रारंभ रोचक था पर अंत की ओर बढ़ते हुए वह ऊबाऊ हो गया। फिर भी अंत जानने की जिज्ञासा में प्रोफेसर ने पत्रिका खरीदकर ब्रीफकेस के हवाले कर दी।

दिसंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा था। कुछ देर बाद धुंधलका गहराया तो वातावरण में नमी घुलने लगी। प्रोफेसर ने आधी बाजू का स्वेटर निकालकर पहन लिया। तभी ट्रेन के आने की घोषणा होने लगी। अब प्रोफेसर कोच में घुसने की जद्दोजहद की मनःस्थिति बनाने लगे। दरअसल गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर वापिस लौट रही कश्मीरी लड़कियों के साथ डेली पैसेंजर्स ने बदसलूकी की थी। तब से रेलवे स्टाफ कुछ हरकत में आ गया था। अब रिजर्व कोच में सफर करने का मतलब अर्थदंड़ भुगतना था।

प्लेटफार्म पर ट्रेन रूकते ही भगदड़–सी मचने लग गई। प्रोफेसर भी एक सामान्य कोच में घुसने की रेलमपेल में जुट गए। हालत यह थी कि कोच से उतरने वाले यात्री उतर नहीं पा रहे थे। वहीं चढ़ने वाले यात्री एक–दूसरे पर सवार होने को आमादा हो रहे थे। पांच मिनट तक जूझने के बाद प्रोफेसर कोच में घुसने में कामयाब हो गए। बैठने की भी जगह मिल गई तो उन्होंने राहत की सांस ली। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी तो प्रोफेसर ने अपने आसपास का जायजा लिया। अधिकांश यात्री सभ्रांत थे। कुछ सपरिवार थे। अतः प्रोफेसर कुछ अलर्ट मुद्रा में बैठ गए।

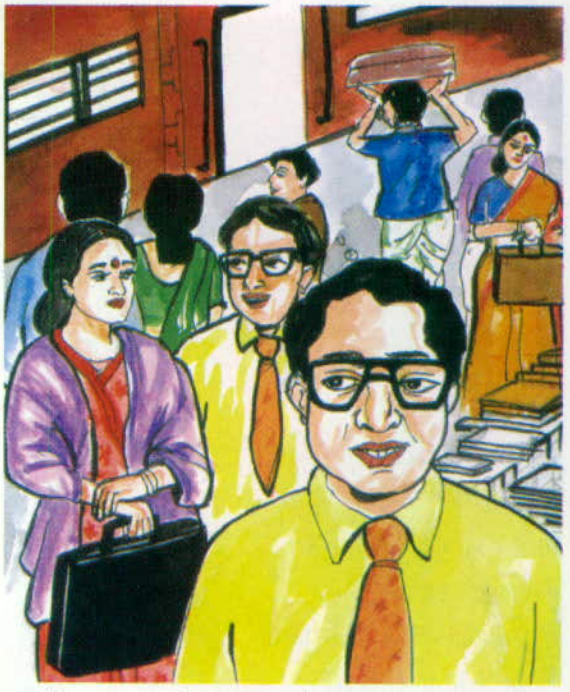

प्रोफेसर का व्यक्तित्व अच्छा–खासा था। वहीं उनकी पत्नी घरेलू किस्म की एक आदर्श महिला थी। सो पत्नी से उन्हें जो अभाव खटकता, उसकी पूर्ति उनकी शोध छात्राएं कर देती थीं।

अगले स्टेशन पर ट्रेन रूकी। अचानक एक महिला हड़बड़ाती मुद्रा में कोच में दाखिल हुई। प्रोफेसर और उनके साथ बैठे यात्री के बीच में वह जबर्दस्ती जगह बनाकर बैठ गई। यात्री बुरा मुंह बनाता हुआ टेढ़ी मुद्रा में बैठ गया। वहीं प्रोफेसर चूल से चूल मिली स्थिति में ही बैठे रहे। अब महिला प्रोफेसर की ओर मुखातिब होकर कहने लगी–

"हाय। भाई साब आप। अच्छा हुआ, आप मिल गए। भाभीजी और बच्चे कैसे हैं? आप कैसे हैं?"

"सब ठीक हैं। आप कैसी हैं?"

"मैं बिल्कुल ठीक हूं।"

अब प्रोफेसर अपने दिमाग पर जोर डाल रहे थे। यह महिला कौन है! उनके ससुराल पक्ष से तो नहीं है। भरसक प्रयास करके भी वह पहचान नहीं पाए। पर उन्होंने तय कर लिया कि पहचान न पाने की बातकर वह बातचीत का ज़ायका खराब नहीं करेंगे। अब प्रोफेसर ने महिला का जायजा लिया तो मूड खुशगवार हो गया। उनकी शोध छात्राओं की तुलना में वह कहीं सुपर थी। उसे प्रशंसनीय नजर से देखते हुए प्रोफेसर ने पूछा–

"आप कहां जा रही हैं?"

"मैं मेरठ जा रही हूं।"

"मैं भी मेरठ जा रहा हूं।"

"वेरी गुड।"

राजनीति, साहित्य और फिल्मों पर विचारों का आदान–प्रदान करते हुए मेरठ कब आ गया– पता ही नहीं चला। स्टेशन से बाहर आकर महिला प्रोफेसर से कहने लगी–

"मैनी–मैनी थैंक्स सर। आपका साथ बहुत अच्छा रहा। पहली मुलाकात में ही किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ वक्त गुजारने का यह मेरा पहला मौका था।"

अब प्रोफेसर को झटका लगा। यानी जिस घरेलू बातचीत से बात शुरू हुई थी, वह महिला का अभिनय था। उनकी मनोदशा का अनुमान कर महिला पनियाली आंखों के साथ कहने लगी–

"सर। अकेली महिला का ट्रेन में सफर करना अब आसान नहीं रहा। प्लेटफार्म से ही चार लफंगे पीछे पड़े हुए थे। कोच में भी उनकी खुराफातें झेलती हुई घुस पाई थी। आपका साथ मिला तो उन लफंगों से तो पीछा छूटा ही, सफर भी आसान हो गया।"

प्रोफेसर मन ही मन महिला का लोहा मान कर कहने लगे –

"यदि मैं भी उनके ही जैसा होता तो?"

महिला ने धीमे से मुस्करा कर कहा–

"एक लफंगे से निपटना हम महिलाएं घर में भी और घर से बाहर भी अच्छी तरह से जानती हैं।"

होले से प्रोफेसर का हाथ दबाकर महिला ने आटो को हाथ दिया और अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गई। प्रोफेसर आखिर तक धूल उड़ाते आटो को देखते रहे। अब उन्हें भी एक आटो का इंतजार था! ❑

46, अहाता औलिया
मुजफ्फरनगर
(उ.प्र.)– 251001

दो कविताएं

फ़लसफा

वृक्ष पर आ गया बुढ़ापा
मेरे साथ–साथ,
तना हुआ मोटा झुर्रियां पड़ा
शाखाएं मेरी बांहों की तरह
बेतरतीब खुरदरी,
कुछ भी नहीं दिखता कोमल
मगर फिर भी क्या इस पर
बसंत नहीं आता?
नई कोमल कोपलें नहीं फूटतीं
वो तो अब भी बौराता है,
खिलखिलाता है,
यह बताता है कि वह मरा नहीं
सिर्फ बुढ़ाया है,
अभी जीवित है,
उसकी फुनगियों की हरियाली से
मुझे भी जीने का
अंदाज आ गया।

मैं भी बौराने लगा हूं,
खिलखिलाने लगा हूं,
गुनगुनाने लगा हूं,
महसूस करने लगा हूं,
जीवित होने का अहसास,
जान गया हूं कि
पतझड़ तो इस पर भी आता है
तो क्या ये ऐसा सूख जाता है
कि फिर कभी नहीं मुस्कुराता है?
कभी नहीं लहराता है,
नहीं न! ये तो
डटकर खड़ा रहता है
अपनी जगह,
इंतजार में फिर मौसम बदलने का
मुझमें भी आ गई है हिम्मत,
दूर कहीं नजर आने लगा है मुझे भी
हंसने–मुस्कराने का मौसम,
क्योंकि इसने मुझे जीना सिखा दिया है
जीने का सारा
फ़लसफा बता दिया है!

डा. रीता हजेला 'आराधना'
687, हूडा फेज–II
सेक्टर 12, पानीपत, हरियाणा–132103

आईना

वक्त के आईने में,
जब स्वयं को देखता हूं
अलग–थलग बिखरा पाता हूं
क्योंकि वक्त का आईना भी,
वख्त के साथ बदलता नजर आता है,
सही–गलत के मायने ही बदल गए हैं,
मेहनतकश, ईमानदार अब,
अपराधी से एक कोने में,
डरे, सहमे नजर आते हैं,
यह समाज, जो अपने को मानता है सभ्य,
असभ्यता की पराकाष्ठा को लांघता
नजर आता है,
वक्त के आईने में, जब स्वयं को देखता हूं ...
दूर कहीं भीड़ में खड़ा कभी,
कोई सच्चाई के लिए लड़ता नजर अवश्य
आता है,
लड़ता–लड़ता वह थका नजर आता है,
अंत में हारकर उसी अपराधी भाव से,
दूर कोने में खड़ा नजर आता है
वक्त के आईने में ...
किंतु यह सब चिरस्थायी नहीं है,
वह वक्त आएगा,
जब सच्चा इंसान कोई अपने को,
अलग–थलग, बिखरा–सा नहीं पाएगा,
वक्त के आईने में ...
समाज बदलेगा, वक्त करवट लेगा,
आईना अपने अस्तित्व को समझेगा,
भ्रष्ट, चापलूस, बेईमानों को उनकी तस्वीर
दिखाएगा,
वक्त आएगा, जब आईना वक्त के साथ नहीं
बदलेगा,
जब इस देश के सुसंस्कृत,
सच्चाई, ईमानदारी के माहौल में,
पला–बढ़ा वह शिशु जवान होगा,
तब आईना वक्त के आईने को भी
सही तस्वीर दिखाएगा!
तब कोई सच्चा इंसान अपने को
वक्त के आइने में,
अलग–थलग बिखरा नहीं पाएगा,
वक्त आएगा, अवश्य आएगा,
क्योंकि शिशु ही पिता होता है,
जब उच्च पदासीन भ्रष्ट,
अपनी परछाई अपने ही शिशु में बनी,
भ्रष्टाचार की इमारत के रूप में देखेगा,
वह देख नहीं पाएगा, घबराएगा,
तब उसको अपनी बनाई व्यवस्था पर,
पश्चाताप होगा,
क्योंकि आईना तब,
वक्त की सच्चाई बयान करता होगा
सही मायने में वही पुनर्निर्माण का समय होगा,
वक्त के आइने में जब कोई,
सच्चा इंसान अलग–थलग नजर नहीं
आएगा,
ऐसा वक्त आएगा, अवश्य आएगा!❑

विक्रम 'श्लील'
विकास भवन
बागेश्वर, उत्तरांचल

राज राजेश्वरी योजना गरीब महिलाओं का सहारा

☞ पी. आर. त्रिवेदी

राजस्थान की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार का प्रगतिशील दूरदर्शी फैसला पाली जिले की एक गरीब बेसहारा हुई ग्रामीण महिला के अंधकारमय जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया। यह सफलता की कहानी पाली की महिला एवं बाल विकास परियोजना से जुड़ी एक दूधमुहे नन्हे शिशु की मां और विधवा गुड़िया के जीवन से संबद्ध है जिसके लिए यह योजना उसके भावी एवं कठिन जीवन को स्वाभिमान एवं सम्मानपूर्वक जीने की आशा बनी।

राज राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना में मात्र 15 रुपये वार्षिक प्रीमियम अदाकर सामान्य योजना या 23 रुपये वार्षिक प्रीमियम अदा करके विशिष्ट योजना का बीमाधारक किसी भी महिला को बनाया जा सकता है। श्रीमती गुड़िया ने 23 रुपये वार्षिक प्रीमियम अदा किया तथा मात्र तीन दिन बाद ही परिवार की आजीविका चलाने वाले उसके पति की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उसके सम्मुख रोजी–रोटी का संकट उत्पन्न हो गया। इस महिला के बीमित होने की स्थिति में इस योजना की बदौलत उसे 25 हजार रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता मिल गई। इस राशि से वह अपने घर पर कुटीर उद्योग स्थापित कर अपनी आजीविका का संचालन करने लगी है।

इस गरीब महिला के लिए संकट की घड़ी एवं भावी पहाड़ से जीवन के अत्यंत कठिन दौर में अपने नन्हे–मुन्नों और वृद्धों वाले अपने परिवार की आजीविका चलाने में आकस्मिक सहारे के रूप में यह योजना बेहद कारगर साबित हुई।

राज राजेश्वरी महिला बीमा योजना प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग ने खास कर ग्रामीण एवं अत्यंत गरीब महिलाओं के परिवार पर अपने आकस्मिक संकट में तत्काल कुछ राहत प्रदान करने के 'सामाजिक सुरक्षा' के पुनीत उद्देश्य को लेकर प्रारंभ की। इस अल्प प्रीमियम वाली बीमा योजना से 10 से 75 वर्ष की आयु की महिलाएं भी जुड़ सकती हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की मात्र 15 रुपये वार्षिक प्रीमियमधारक महिला के पति या उसकी स्वयं की किसी आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसे या परिवार के नामित व्यक्ति को 25 हजार रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता बीमा मुवाअजे के रूप में दी जाती है। जबकि 23 रुपये वार्षिक प्रीमियमधारक विशेष बीमा योजना में यदि संबद्ध महिला की सर्जिकल आपरेशन, गर्भाशय हटाने, स्तन कैंसर आदि के दौरान आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर ऐसे परिवार के बीमा में नामित व्यक्ति को या फिर इस दौरान स्थायी विकलांगता आ जाने पर यह आर्थिक लाभ परिवार के भरण–पोषण के लिए देय है।

गौरतलब है कि बीमाधारक महिला की अस्थायी अपंगता पर 500 रुपये तथा रोजगार के रूप में अधिकतम 1500 रुपये, तलाक मिलने पर वास्तविक तलाक व्यय तथा घरेलू सामान या जेवरात के प्राकृतिक प्रकोप में नष्ट हो जाने पर बीमित महिला को अधिकतम 200 रुपये की पारिवारिक–आर्थिक सहायता देय है। प्रदेश का महिला एवं बाल विकास विभाग इसमें 'नोडल एजेंसी' की भूमिका अदा करता है। ❑

186 – आदर्श नगर,
पाली (राज.) 306401.

"फैल जाओ इस देश के कोने–कोने में और फूंक डालो असत्य की काली चादर! बरस पड़ो कणकण में, इस तरह कि धरती पर से पीड़ा का कलंक धुल जाए।"
–रघुवीरशरण मित्र : आग और पानी

लघु उद्‌भवन सिंचाई योजना के सार्थक परिणाम

☞ डा. बृजनाथ सिंह

मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है। म.प्र. में विदिशा जिला कृषि के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। यहां पर मुख्य रूप से गेहूं की खेती होती है। किसान अब चना और सोयाबीन भी पैदा करने लगे हैं। कृषि विभाग के सौजन्य से इस जिले में धान की खेती भी शुरू हो गई है।

कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा एक अनिवार्य आवश्यकता है। राज्य शासन की स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के चलते जिले में वर्ष 1998 से स्वयंसहायता समूह बनाकर लघु उद्‌भवन सिंचाई योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रत्येक समूह को अधिकतम एक लाख 25 हजार रुपये अनुदान तथा शेष राशि ऋण के रूप में बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराकर कूएं, तालाब या बारहमासी नदियों पर डीजल पंप या विद्युतपंप स्थापित कर खेतों की सिंचाई का रकबा तेजी के साथ बढ़ाया जा रहा है। जिला पंचायत द्वारा संचालित यह योजना जिले में अभी तक हजारों किसानों को लाभान्वित कर चुकी है।

जिले के सबसे पिछड़े विकासखंड लटेरी में वर्ष 1999 में गांव गोपालपुर और जालपुर में क्रमशः 15 और 10 सदस्यीय स्वयंसहायता समूह बनाकर तथा सांसद निधि से सात लाख 50 हजार रुपये आर्थिक सहायता दिलाकर कुल 15 लाख रुपये से दो स्वयंसहायता समूह बनाए गए। गोपालपुर में 10 लाख रुपये की लागत से 10–10 हॉर्स पॉवर के दो डीजलपंप और 10–10 हॉर्स पॉवर की बिजली की मोटरें, बारहमासी "सगड़" नदी पर इंटैक वैल बनाकर विद्युतपंप स्थापित किया गया। इसी प्रकार जालपुर में एक डीजल

इंजन और एक विद्युत मोटरपंप लगाकर लघु उद्‌भवन योजना लागू की गई। दोनों योजनाओं से 25 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा तथा इस लघु उद्‌भवन सिंचाई योजना से लगभग 350 हेक्टेयर जमीन, जो सदियों से असिंचित थी, अब सिंचित हो गई है और कृषकों का उत्पादन चार गुना सालाना बढ़ गया है। कुछ किसान तो एक वर्ष में तीन–तीन फसलें इन खेतों में ले रहे हैं और उन्होंने सागभाजी तथा अन्य नगदी फसलों का व्यापार शुरू कर दिया है। इससे किसानों के जीवन में नया उत्साह आया है। ये किसान वर्षों से कर्ज के बोझ से दबे हुए थे और साहूकारों के ब्याज के चंगुल में फंसकर दिन–ब–दिन गरीब होते जा रहे थे। ये किसान कर्ज में पैदा होते थे और कर्ज में ही मर जाते थे। अब चूंकि इनका फसल उत्पादन चार गुना बढ़ गया है इसलिए ये लोग न केवल आत्मनिर्भर हो गए हैं बल्कि अब इन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

यह गोपालपुर–जालपुर उद्‌भवन सिंचाई परियोजना जिले ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रदेश के लिए भी अनूठी योजना है। राज्य स्तर पर इसकी भूरि–भूरि प्रशंसा की गई है। यह योजना प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के किसानों के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में काम कर रही है। ❑

जनसंपर्क अधिकारी
पदेन सूचना सहायक
जिला पंचायत श्योपुर (म.प्र.)
पिन – 476337

मन जब दर्पण की भांति निर्मल हो जाता है तब उसमें ज्ञान प्रकट होता है। अतः मन को शुद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए।

मधुमेह : भ्रांतियां, कारण और इलाज

☞ डा. राजेंद्र कुमार कनौजिया

मधुमेह, शर्करारोग या डायबीटिस मेलाइटिस एक अपरिचित बीमारी नहीं रह गई है। पूरी जनसंख्या का लगभग तीस प्रतिशत इस बीमारी से किसी न किसी प्रकार से प्रभावित है। एक छोटी–सी पेशाब की जांच से तथा एक उम्र के बाद लगभग पैंतीस से चालीस के बीच यदि सावधानी बरती जाए या समय रहते चिकित्सा प्रारंभ हो जाए तो इसकी रोकथाम की जा सकती है। प्रस्तुत है प्रश्नोत्तर के रूप में संग्रहित कुछ आवश्यक जानकारियां :

प्रश्न : मेरी उम्र लगभग पैंतालीस वर्ष है। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं तथा एक विभाग में सेक्शन ऑफिसर की नौकरी कर रहा हूं। पिछले लगभग एक साल से मुझे जाड़े, गर्मी किसी भी मौसम में रात को कई–कई बार पेशाब करने जाना पड़ता है और पेशाब करने के कुछ देर के बाद प्यास भी लगती है। यदि पानी पी लूं तो समझिए कि फिर पेशाब जाना पड़ेगा। मैं कमजोर भी हो रहा हूं जबकि मैं भूख की वजह से कई बार और अधिक से अधिक खाता हूं। खैर इससे तो जो परेशानी थी सो थी, इधर पिछले तीन माह पूर्व मुझे गिर जाने से पैर के पंजों में चोट लगी थी। मैंने ठीक से उसका इलाज भी कराया है मगर चोट ठीक ही नहीं हो रही है। घाव से बड़ी गंदी बदबू भी आती है। मेरे चिकित्सक ने मुझे पेशाब तथा रक्त की जांच कराने को कहा है। उनका कहना है मुझे मधुमेह हो सकता है। कृपया मुझे उचित सलाह दें। मैं क्या करूं और क्या–क्या परहेज आदि हैं और मधुमेह वास्तव में है क्या?

उत्तर : बिना किसी जांच अथवा परीक्षण के क्या बीमारी है यह कह पाना तो कठिन है परंतु आपके द्वारा बताए गए लक्षणों, जैसे बार–बार पेशाब आना, बहुत भूख लगना और ज्यादा खाना– इन सबसे प्रायः व्यक्ति को मधुमेह है, इसका शक होता है। आपने लिखा है आप एक ऐसी जगह कार्यरत हैं जहां पर आपका मानसिक व्यायाम तो होता है परंतु कुर्सी पर बैठकर घंटों काम करने से आपका शारीरिक परिश्रम आवश्यकतानुसार नहीं हो पाता। यह भी एक कारण हो सकता है कि आपके शरीर में उपलब्ध शर्करा या ग्लूकोस का इस्तेमाल ही पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा हो।

अब चूंकि बात मधुमेह या डायबीटिज मेलाइटिस की चल रही है तो कुछ बताने से पहले यदि मैं आपको इसके बारे में संक्षेप में बता दूं तो शायद लाभदायक होगा।

मधुमेह, ग्रंथियों के द्वारा उत्पन्न होने वाले विभिन्न स्रावों से होने वाले विकारों में प्रमुख है। ब्रिटेन में इसका प्रकोप लगभग एक प्रतिशत लोगों में है जिनमें से आधे लोगों में इसका पता ही देर में चलता है, या तब चलता है जब किसी अन्य वजह से रक्त की जांच कराई जाती है और शर्करा की मात्रा रक्त तथा पेशाब में बढ़ी हुई मिलती है।

मधुमेह मुख्यतः दो प्रकार का होता है– एक प्राथमिक या प्राइमरी तथा दूसरा कारणगत या सेकेंडरी। प्राथमिक तरह के मधुमेह का प्रतिशत सबसे अधिक है। इनमें भी दो प्रकार के समूह होते हैं। एक तो वो जिसमें मरीज के इलाज के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, इसे प्रथम प्रकार या टाइप वन या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबीटिस कहते हैं तथा दूसरा प्रकार टाइप टू इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबीटिस कहते हैं।

प्रथम प्रकार की मधुमेह प्रायः पचास वर्ष की आयु के बाद उत्पन्न होती है। इसके उपचार में इंसुलिन के इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ती है और इसके दुष्परिणाम घातक होते हैं।

दूसरे प्रकार की अर्थात टाइप टू मधुमेह मध्य आयुवर्ग या बुजुर्ग जनसंख्या में होती है व इसके इलाज में इंसुलिन की आवश्यकता अधिकतर नहीं पड़ती। दोनों प्रकार आनुवांशिक हो सकते हैं।

दूसरे समूह अर्थात कारणगत या सेकेंडरी टाइप की। मधुमेह होने का मुख्य कारण कहीं और या किसी अन्य अंग की विकृति होता है जैसे पैंक्रियाज की वजह से – पैंक्रियाज का इन्फेक्शन, कैंसर या हीमोक्रोमेटोसिस से पैंक्रियाज द्वारा इंसुलिन उत्पन्न करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है तथा शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम होने से ग्लूकोस का शरीर में उपयोग ठीक तरह से नहीं हो पाता और ग्लूकोस रक्त से पेशाब में आ जाता है।

इंसुलिन एंटागोनिस्ट – या इंसुलिन को नष्ट करने वाले पदार्थों की बहुतायत से। इनमें मुख्य रूप से ग्रोथ हारमोन, एड्रीनलीन, थायरॉयड हारमोन, एड्रीनोकर्टिमल हारमोन इत्यादि की मात्रा बढ़ जाने से, जैसे कुशिंग सिंड्रोम।

गर्भावस्था के दौरान – इस प्रकार की मधुमेह में गर्भावस्था के दौरान उन महिलाओं में, जिनमें आनुवांशिक रूप से इस बीमारी की संभावना होती है, इंसुलिन के विपरीत काम करने वाले स्रावों की मात्रा बढ़ जाती है। परंतु इस प्रकार में गर्भावस्था के उपरांत बीमारी ठीक होने की स्थिति सामान्य है। कुछ अन्य अनिश्चित कारण भी हैं जिनमें स्टेरायॅड थिरेपी, थायजॉयड थिरेपी आदि शामिल हैं।

लीवर की समस्याएं – जैसे सीटोसिस, हिपेवाइटिस आदि जिनकी वजह से शरीर की ग्लूकोस को समावेशित करने की क्षमता कम हो जाती है।

लक्षण

अब तक मधुमेह के बारे में काफी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। अब आते हैं वो लक्षण या परेशानियां जिनसे आपको लगता है कि मधुमेह तो नहीं।

यह प्रायः बिना बताए ही आ जाता है। सबसे पहले व्यक्ति को बार–बार पेशाब आता है। लगभग चौबीस घंटों में डेढ़ से तीन लीटर तक पेशाब आ सकता है। पोलीयूरिया अथवा पॉलीडेप्सिया या अधिक पेशाब की वजह से प्यास भी अधिक लगती है। पॉलीफेगिया या अधिक भूख लगना, क्योंकि शरीर से शर्करा की मात्रा फिसलती जाती है और शरीर को पुनः शर्करा चाहिए।

- लगभग पचास प्रतिशत मरीज शारीरिक कमजोरी, वजन कम होने की परेशानियों से ग्रसित होते हैं क्योंकि शरीर की कार्यशक्ति के लिए आवश्यक शर्करा तो मिलती ही नहीं।
- अधिक जल निकल जाने से डिहाइड्रेशन या शरीर में पानी की कमी हो सकती है।
- पेट या आंतों की झिल्ली सूख जाने से कांस्टिपेशन हो सकता है।
- शरीर की त्वचा सूखी और खुरदरी पड़ने लगती है।
- मसूड़े फूल जाते हैं और उनसे रक्त आ सकता है।
- पेशाब के स्थान पर इन्फेक्शन, खुजली, दाने निकलना।
- त्वचा पर फुंसियां, फोड़े निकलना जो ठीक नहीं होते।
- किसी भी चोट या घाव का शीघ्रता से ठीक न होना।
- त्वचा के अन्य रोग, फेफड़े के रोग बार–बार होना।
- इसका प्रभाव पुरुष की प्रजनन तथा कामक्षमता तथा स्त्री में मासिक धर्म पर पड़ता है।

मेरा सुझाव है कि आप तुरंत अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएं और जांच कराएं।

प्रश्न : मैं बीस वर्ष का युवक हूं। मेरी एक सर्जरी होने की तैयारी के दौरान सर्जन ने ब्लडशुगर की जांच कराने को कहा है। मैंने तो सुना है मधुमेह तो वृद्ध लोगों में होती है। वैसे इसमें क्या–क्या परीक्षण कराते हैं?

उत्तर : आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मधुमेह के बारे में बहुत–सी भ्रांतियां प्रचलित हैं जैसे मैं तो मिठाई ज्यादा नहीं खाता, मुझे मधुमेह नहीं होगा; मेरे परिवार में किसी को भी मधुमेह नहीं था तब फिर मुझे क्यों होगा; मेरी तो अभी उम्र खेलने–खाने की है, मैं छोटा हूं आदि, परंतु मधुमेह के उपर्युक्त वर्णित कारणों को पढ़कर आपको लगा होगा कि मधुमेह की जड़ें कहां–कहां तक फैली हैं। आज हम इक्कीसवीं सदी में सांस ले रहे हैं, वैज्ञानिक प्रगति के इस युग में अंधविश्वास की मनगढ़ंत बातें न केवल आपके लिए परंतु पूरे समाज के लिए घातक हैं। किसी भी शल्यक्रिया के लिए रक्त, मूत्र तथा हृदय, फेफड़े की जांच अत्यंत आवश्यक है। खासकर उन शल्यक्रियाओं से जिनमें व्यक्ति को बेहोश किया जाता है क्योंकि कुछ बेहोशी की दवाएं हमारे शरीर में मेटाबॉलिक परिवर्तन लाती हैं जो मधुमेह के रोगियों में सामान्य व्यक्तियों से अधिक होते हैं तथा जो किसी भी शारीरिक दुर्घटना का कारण हो सकते हैं। अतः शल्यक्रिया से पहले शर्करा की जांच आवश्यक है।

सामान्यतः यदि जांच सामान्य है तो ठीक, वरना फिर रोग के अनुसार मरीज को भर्ती करके उसकी शर्करा को नियंत्रित किया जाता है। मरीज के गहन परीक्षण के द्वारा इंसुलिन की मात्रा निर्धारित करते हैं– शल्यक्रिया और बेहोशी के समय कोशिश होती है कि मरीज हाइपोग्लाइसीमिया में न चला जाए।

यदि मरीज मधुमेह से पीड़ित है तो कोशिश करते हैं कि शल्यक्रिया सुबह–सुबह ही हो, सुबह शर्करा की रक्त में मात्रा के अनुसार उसे इंसुलिन पर रखते हैं।

जहां तक आपकी बात है कि मैं तो बीस साल का हूं, मुझे मधुमेह नहीं हो सकता तो यह भी गलत है। यह बच्चों में भी मिल सकती है और युवाओं में भी। इस उम्र में होने वाली मधुमेह में नियंत्रण करने के लिए इंसुलिन की ही आवश्यकता होती है अतः यह घातक भी है। अच्छा यही है कि आपकी सारी जांच हो जाए।

अब आपने जो पूछा है कि कौन–कौन सी जांच कराई जाए तो यह आपके चिकित्सक निर्धारित करेंगे। फिर भी सामान्य रूप में रक्त और पेशाब में शर्करा की मात्रा देखी जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में खाली पेट कराने पर 100–120 मि.ग्रा./100 मिलि. होनी चाहिए तथा खाना खाने के दो घंटे के बाद जांच में 120–180 मि.ग्रा./100 मी.लि. होनी चाहिए। इन दोनों स्थितियों में यदि शर्करा की मात्रा अधिक है तो कहा जा सकता है कि संभवतः मधुमेह है।

रेंडम ब्लडशुगर – किसी भी समय लिए गए रक्त में शर्करा की मात्रा की जांच एक आवश्यक जांच है। इस समय यह मात्रा 250 मि.ग्रा./100 मि.लि. होनी चाहिए। आजकल बाजार में 'डायस्टिकस' उपलब्ध हैं, जो एक आसान तरीका है।

ओरल ग्लूकोस टॉलरेंस टेस्ट – इसमें मरीज के 75 ग्रा. ग्लूकोस खाने के बाद हर आधे घंटे पर चार बार यह जांच होती है यानी पूरे दो घंटे तक।

पेशाब की जांच – आजकल पेशाब की जांच के लिए मिलने वाली यूरीस्टिक्स से पेशाब की शर्करा की जांच उस पर लिखी विधि द्वारा करके चार्ट से यदि मिलाया जाए तो सही मात्रा पता चल सकती है। यह मात्रा यदि टेस्ट पोजिटिव है तो 10–20 मि.ग्रा./100 मि.लि. होगी।

इसी प्रकार जांच कराएं तथा सर्जरी से न घबराएं।

प्रश्न : क्या मधुमेह जैसे लक्षण अन्य किसी बीमारी में मिलते हैं?

उत्तर : हां, ऐसे अन्य कई कारण हैं जैसे– रनिल ग्लाइकोसूरिया इसमें किडनी द्वारा शर्करा को छानने की क्षमता कम हो जाती है जिससे शर्करा पेशाब में आने लगती है। यह प्रायः युवाओं मुख्यतः बीस से तीस वर्ष के लोगों में मिलने वाली मधुमेह में मुख्य कारण है। यह गर्भावस्था के दौरान भी मिल सकता है। इसमें तथा मधुमेह में अंतर इतना है कि इसमें मधुमेह के लक्षण नहीं मिलते।

लैगस्टोरेज – पेट की बीमारी, शल्यक्रिया में पेट का कुछ हिस्सा निकाल लेने के बाद, खाना खाने या अधिक मीठी चीज खाने के तुरंत बाद शर्करा की मात्रा बढ़ सकती है। कार्बोहाइड्रेट की कम मात्रा या कार्बोहाइड्रेट पचाने की कम क्षमता के दौरान भी शर्करा की मात्रा बढ़ने की संभावना होती है।

इस तरह के कारणों में शर्करा की मात्रा तो बढ़ सकती है, मगर मधुमेह के लक्षण वहीं मिलेंगे। ऐसी स्थिति में अन्य बहुत–सी जांच

कराई जाती हैं क्योंकि यह निर्धारित करना मुश्किल होता है कि क्या कारण है।

प्रश्न : मेरी सास को कुछ माह पूर्व ही मधुमेह की शिकायत हुई है। कृपया बताएं कि उनके रक्त में शर्करा के अनुसार इलाज क्या हो सकता है और उनका खानपान कैसा होना चाहिए?

उत्तर : मधुमेह का इलाज आपके निकटतम चिकित्सक द्वारा होना चाहिए परंतु सामान्यतः जो इलाज प्रणाली है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें इलाज करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि मरीज अपनी पूरी जिंदगी एक सामान्य व्यक्ति की तरह जी सके, अच्छी सेहत बनी रहे और मधुमेह के तमाम विकारों से भी मुक्त रहे। अतः मुख्य उद्देश्य तो यही है कि मरीज शर्करा की अत्यंत कमी से हाइपोग्लाइसीमिया के कारण अचानक बेहोश न हो जाए या फिर अन्य कारणों से किडनी, आंखों की परेशानियां न हों।

मरीज को स्वयं ही निर्धारित कर लेना चाहिए कि उसे मधुमेह है और अब उसका आगे का जीवन चिकित्सक द्वारा सुझाई गई दवाओं, खानपान निषेध तथा रहन–सहन के तरीके से ही बिताना पड़ेगा। इसमें स्वःअनुशासन बहुत आवश्यक है। शरीर का वजन न बढ़े, इस ओर ध्यान देना भी आवश्यक है।

इलाज के तरीकों में तीन तरह की प्रणाली का उपयोग करते हैं– एक, केवल खानपान निषेध से जैसे कि आपकी उम्र, वजन तथा रोज के कामकाज के स्तर पर एक निश्चित समूह के लिए आवश्यक कैलोरी की जरूरत पड़ती है, अतः आपके चिकित्सक उसका निर्धारण कर देंगे। खाने में प्रोटीन 12 प्रतिशत, वसा 42 प्रतिशत तथा कार्बोहाइड्रेट 46 प्रतिशत होने चाहिए तथा कैलोरी के अनुसार कैलोरी का प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट से 50 प्रतिशत, प्रोटीन से 15 प्रतिशत तथा वसा से 30–35 प्रतिशत कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है।

कार्बोहाइड्रेट की प्रतिदिन की खपत 240–260 ग्राम अर्थात लगभग 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रति तीन बड़े भोजन, 20 ग्राम प्रति चाय नाश्ते और 30 ग्राम एक गिलास दूध से।

कार्बोहाइड्रेट में सुक्रोस प्रकार उत्तम है। यह रेशेदार फल–सब्जी में मिलता है, इससे पेट भरा भी रहता है और भूख भी कम लगती है।

प्रोटीन हमें दालों, अंकुरित चने और दूध में मिलेगा, तथा मांसाहारी भोजन में भी प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। मरीज की प्रतिदिन की आवश्यकता लगभग 60–110 ग्राम है।

वसा की मात्रा लगभग 50–150 ग्राम प्रतिदिन नियत है क्योंकि मधुमेह में रक्त धमनियों में जमा वसा, रक्तप्रवाह को प्रभावित करता है अतः वसा का नियंत्रण आवश्यक है। बीच–बीच में कोलेस्ट्राल और लिपिड की जांच कराते रहना चाहिए।

वैसे आजकल डाइट चार्ट के द्वारा आपको डाइटिशियन से निश्चित अनुपात, खाने की चीजें, न खाने के पदार्थ आदि की पूर्ण जानकारी मिल सकती है।

मधुमेह के रोगियों को अधिक देर खाली पेट नहीं रहना चाहिए। व्रत–उपवास, अधिक व्यायाम, दौड़–धूप से बचना चाहिए। सामान्य तौर पर सभी प्रकार के शर्करायुक्त भोज्य पदार्थ ग्लूकोस, जैम, शहद, खांसी, टॉनिक के मीठे सीरप, डिब्बाबंद फल, मिठाइयां, चॉकलेट, मीठे पेय पदार्थ, केक, मीठे बिस्कुट, चाकलेट, बिस्कुट, नशे के पदार्थों का सेवन न करें। आलू, मटर, दूध, ब्रेड, मीठे बिस्कुट की मात्रा कम खाएं।

मछली, मीट, अंडे, पनीर, चाय, कॉफी, सब्जी में गोभी, पत्ता गोभी, प्याज, नींबू, खीरा, टमाटर, मसाले आदि का सेवन आवश्यकतानुसार कर सकते हैं। फिर दवाओं द्वारा और इंसुलिन से इलाज करते हैं परंतु इसके लिए आप योग्य चिकित्सक को अवश्य दिखाएं और अपनी समस्त जांच कराएं।

प्रश्न : मधुमेह में लंबे अंतराल के बाद सुनने में आता है कि अन्य परेशानियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। वो कौन–कौन सी हैं और उनसे कैसे बचें?

उत्तर : लंबे समय तक मधुमेह रहने के कारण रक्तधमनियों में वसा का जमाव हो जाता है। धमनियां पतली और सिकुड़ जाती हैं। आंखों की धमनियां, हृदय, किडनी की धमनियां पतली हो जाती हैं। आंखों की रोशनी, मूल विकार, सांस की परेशानी तथा कई स्थितियों में रक्तचाप, हार्टअटैक तक हो सकता है। घाव न भरे, पेर की उंगलियां खराब होना, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, कीटोसिस (किडनी की समस्या) आदि भी अन्य घातक दुष्परिणाम हैं।

इनसे बचाव का एक ही उपाय है, अपने मधुमेह पर नियंत्रण रखें। इलाज नियमित रूप से अनुशासनपूर्ण तरीके से ही करें। यह कोई असाध्य रोग नहीं है। व्यायाम करें और शर्करा को शरीर में उपयोग होने दें। ❑

खूब ऐयाशी करो, हकीम तुम्हारा ही रास्ता देख रहा है। *– अरस्तू*

घाव भरने की तकनीक का विकास

भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र ने विभिन्न उपयोगों के लिए **मॉइस्ट वाउंड हीलिंग** नामक एक नई तकनीक का विकास किया है। घाव पर पट्टी करने का नया हाइड्रोजैल जले हुए, कुष्ठग्रस्त अल्सर, मधुमेह से ग्रस्त पांव के फफोले, पशु के काटने और प्लास्टिक शल्य चिकित्सा में बहुत उपयोगी है। इस पद्धति पर आधारित उपचार यूरोप, अमरीका और अन्य विकसित देशों में अत्याधिक लोकप्रिय है।

घाव पर पट्टी करने का इस प्रकार का तरीका अभी हाल तक भारत में विकसित नहीं हुआ था और इसका ऊंची कीमतों पर आयात किया जाता था। विकसित देशों में भी घाव भरने वाली भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित यह प्रणाली काफी किफायती है और घाव जल्दी भरने में सहायक है। इस अनुसंधान केंद्र ने यह तकनीक उद्योग को स्थानांतरित कर दी है और यह उत्पाद अब व्यावसायिक स्तर पर उपलब्ध है। बारक विकिरण प्रक्रिया द्वारा खाद्य, औषधि और कृषि क्षेत्रों में कई प्रयोगों के लिए तकनीकों और पद्धतियों का विकास कर रहा है।

भोजन से पीलिया का इलाज

☞ इरा सिंह

कैसे होता है पीलिया

सर्वप्रथम यह समझें कि पीलिया होता कैसे है। हमारे रक्त में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। रक्त में लाल कणों की आयु 120 दिन होती है। किसी कारण से यदि इनकी आयु कम हो जाए और जल्दी ही अधिक मात्रा में नष्ट होने लगें तो पीलिया होने लगता है। रक्त में 'बाइलीरूबिन' नाम का एक पीला पदार्थ होता है। यह बाइलीरूबिन लाल कणों के नष्ट होने पर निकलता है। इससे शरीर में पीलापन आने लगता है। यकृत के पूरी तरह से कार्य न करने से भी पीलिया होता है।

पित्त यकृत में पैदा होता है। यकृत से आंतों तक पित्त पहुंचाने वाली नालियों में पथरी, या रासायनिक पदार्थों से यकृत के सैल्स में दोष होने से पित्त आ जाता है तो त्वचा पीली हो जाती है। त्वचा का पीलापन ही पीलिया कहलाता है।

नवजात शिशुओं में पीलिया– नवजात शिशुओं में पीलिया बहुत सामान्य है और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अक्सर शिशुओं में धीरे–धीरे पीलिया होता है जिसका कारण है, शिशुओं में लाल रक्त कणिकाओं का अधिक होना। अतः जब प्राकृतिक रूप से ये रक्त कणिकाएं विघटित होती हैं तो 'बाइलीरूबिन' बनता है जिसकी वजह से त्वचा पीली नजर आती है। क्योंकि नवजात शिशु का यकृत अभी अधिक विकसित नहीं है इसलिए बाइलीरूबिन को दूर करने का कार्य धीरे होता है। इसकी वजह से दस में से नौ शिशुओं को जन्म के बाद पीलिया हो जाता है।

कारण

यकृत को दूषित या विकृत करने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन, दूषित जल पीना, अधिक श्रम करना, अम्ल लवणयुक्त चटपटे तले हुए पदार्थों का अधिक सेवन, समय पर भोजन न करना, एक ही रस वाले पदार्थों का निरंतर सेवन तथा मिट्टी खाने से भी पांडु या पीलिया रोग होता है। इस रोग में रक्त में पाया जाने वाला बाइलीरूबिन नामक पदार्थ सामान्य से अधिक हो जाता है जिसके फलस्वरूप त्वचा, नाखून, मूत्र और मुंह पर पीलापन दिखाई देता है।

लक्षण

पीलिया के मुख्य लक्षण हैं : वमन, भूख न लगना, पेट में गैस बनना, मुंह का स्वाद कड़वा होना, अतिसार (पतले दस्त), कमजोरी, आंखें, त्वचा, नाखून और जीभ का रंग पीला पड़ना। मूत्र पीला दिखता है, पीलिया में नाड़ी की गति कम लगभग 45 प्रति मिनट हो जाती है। इसके अतिरिक्त यकृत में कड़ापन, घी, तेल आदि चिकने पदार्थ नहीं पचते, शरीर में खुजली–सी होने लगती है, शरीर में कहीं चोट लगने की स्थिति में रक्त बहुत अधिक मात्रा में बहता है, नेत्रों का सूखना। रात्रि में कम दिखना व बुखार होना भी पीलिया के लक्षण हैं।

भोजन से इलाज

पहले रोगी को जुलाब दें, फिर औषधि सेवन कराएं। सामान्यतया जुलाब से ही बीमार ठीक हो जाते हैं। इसके रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए। भोजन में तरल पदार्थ–दलिया, खिचड़ी, पुराने चावल का भात, हरी पत्तियों की सब्जी, छाछ पीनी चाहिए। खाने में सुपाच्य भोजन ही अच्छा रहेगा। मांस, मछली, घी, तेल, तले हुए पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। आवश्यकता हो तो एनिमा लगाना चाहिए। निम्न भोज्य पदार्थों द्वारा भी पीलिया शीघ्र ठीक हो जाता है:

1. आलूबुखारा, पपीता, टमाटर, खरबूजा, नारंगी खाना पीलिया में लाभदायक है।
2. फल का जूस, नारियल पानी, नींबू, सफेद मूली का जूस और चुकंदर के रस का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें।
3. इमली को पानी में भिगोकर, मथकर पानी पीना उपयोगी है।
4. लौकी को धीमी आग में दबाकर भुर्ता–सा बना लें, फिर इसका रस निचोड़कर तनिक मिश्री मिलाकर पिएं। यह पीलिया में लाभकारी है।
5. एक करेला पीसकर पानी मिलाकर सुबह–शाम नित्य पिलाएं।
6. साठ ग्राम ताजे आंवले के रस में 20 ग्राम शहद मिलाकर पीने से पीलिया में आराम मिलता है।
7. प्याज काटकर नींबू के रस में डाल दें। ऊपर से नमक, काली मिर्च डाल दें। इस प्रकार सुबह–शाम एक प्याज खाने से पीलिया दूर होगा।
8. चार कली लहसुन को पीसकर आधा कप गर्म दूध में मिलाकर पिएं। ऊपर से और दूध लें। ऐसा प्रयोग चार दिन करने से पीलिया ठीक हो जाता है।
9. गाजर पीलिया की प्राकृतिक औषधि है। यूरोप में पीलिया के रोगियों को गाजर का रस, गाजर का सूप या गाजर का गर्म काढ़ा देने का रिवाज है।
10. आधा कप गेहूं धोकर किसी बर्तन में डालकर उसमें दो कप पानी भरकर रख दें। 12 घंटे बाद पानी निकालकर सवेरे–शाम पिएं। भीगे हुए गेहूं, नमक–मिर्च डालकर वैसे भी खा सकते हैं।
11. जौ का सत्तू खाकर गन्ने का रस पिएं। एक सप्ताह में पीलिया ठीक हो जाएगा। गन्ने का रस दिन में कई बार लें। तरल पदार्थ अधिक लें।
12. नित्य तीन बार एक–एक चम्मच शहद पानी के गिलास में मिलाकर पीने से लाभ होता है। ❑

E-65, वूडलैंड, परांजपे स्कीम,
कोथरूड, पुणे–411029

सफरनामा केसर का

हिंदू मंदिरों में प्राचीनकाल से ही देवताओं की पूजा–अर्चना में केसर का इस्तेमाल होता रहा है। ऐसा नहीं है कि केसर की खासियत सिर्फ खुशबू ही है बल्कि केसर अपने औषधीय गुणों के कारण भी बहुत उपयोगी है। आयुर्वेद में औषधि के रूप में केसर को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में प्रायः सभी शक्तिवर्द्धक औषधियों में केसर का इस्तेमाल होता है।

'केसर' का नाम सुनते ही जेहन में एक तस्वीर उभरती है और बेहद उम्दा व बेशकीमती–सी खुशबू फिजां में घुलती–सी महसूस होती है। हिंदुस्तानी कल्चर में अर्से–दराज केसर को एक अहम व मुकद्दस मुकाम हासिल है। पूजा में पवित्रता की परिभाषा 'केसर' के निहायत खुशबूदार रंगों से लिखी जाती है।

दरअसल वानस्पतिक नजरिए से केसर महज एक फूल है। इसे उर्दू में जाफरान नाम से जाना जाता है। संस्कृत में इसे 'कुंकुम' कहा जाता है तथा चीनी में 'कोगयोग', तिब्बती में 'कुमग्राम', अंग्रेजी में 'सेफ्रान', कश्मीरी में काम्मीराज' कहा जाता है। केसर का पुष्प अपनी सुवासित तासीर के चलते सदियों से शहंशाह से लेकर आम जनता तक के बीच आकर्षण का केंद्र रहा है। हिंदू मंदिरों में प्राचीनकाल से ही देवताओं की पूजा–अर्चना में केसर का इस्तेमाल होता रहा है। ऐसा नहीं है कि केसर की खासियत सिर्फ खुशबू ही है बल्कि केसर अपने औषधीय गुणों के कारण भी बहुत उपयोगी है। आयुर्वेद में औषधि के रूप में केसर को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में प्रायः सभी शक्तिवर्द्धक औषधियों में केसर का इस्तेमाल होता है। न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी शुरू से केसर को बड़े कौतूहल व सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है। आयरलैंड के सम्राट अपने लिबास को केसर से रंगवाते थे। इसके अतिरिक्त उस जमाने के सामंत और जागीरदार आदि केसर से रंगी कमीजें पहनने में गर्व अनुभव करते थे। एक तरह से केसर के रंगों से रंगे वस्त्र उस युग में स्टेटस सिंबल माने जाते थे। इटली और यूनान के राजदरबारों में सभासदों और आमंत्रित अतिथियों का स्वागत केसर के छिड़काव द्वारा किया जाता था। सम्राट नीरो के रोम आगमन के मौके पर बाजारों में खुशबूदार केसर का छिड़काव किया गया था। प्राचीनकाल में चीन व अरब देशों में प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत केसर द्वारा निर्मित औषधियां उपचार हेतु काम में लाई जाती थीं। मनमोहक सुगंध और मनोहारी रंग के कारण केसर का इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में भी निरंतर होता रहा है। इंग्लैंड में पेस्ट्री और अन्य मिष्ठानों में केसर मिलाया जाता है। कई देशों में पके हुए चावलों में केसर डाला जाता है।

केसर की उत्पत्ति के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। जिसके अनुसार नेत्र रोग से पीड़ित नागराज तक्षक का सफल उपचार करने की एवज में आयुर्वेदाचार्य बाणभट्ट को उन्होंने केसर के बीज उपहारस्वरूप दिए, जिन्हें बाणभट्ट ने पामपुर (काश्मीर) में बो दिया और इस प्रकार केसर की खेती की शुरुआत हुई।

वैसे विद्वान केसर के मूल जन्मस्थान के संबंध में एक मत नहीं हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि केसर एक विदेशी पुष्प है तथा उसके बीज अन्य देशों से भारत पहुंचे। जबकि अधिकांश व्यक्तियों का मानना है कि केसर मूलतः भारतीय पुष्प है। सुप्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी भारत यात्रा के संस्मरणों में लिखा था कि कश्मीर में केसर की खेती करने का श्रेय बौद्ध भिक्षुक अरहट महमांतक को जाता है। वह मदान से अपने साथ केसर के बीज लाए थे। कई ऐतिहासिक प्रमाणों से यह तथ्य सिद्ध होता है कि कश्मीर में लगभग दो हजार सालों से भी अधिक समय से केसर की खेती होती रही है। महाकवि कालिदास ने अपनी काव्य रचनाओं में केसर का विशद रूप से वर्णन किया है।

चीन में केसर का प्रवेश मंगोल आक्रमण–कारियों के माध्यम से हुआ, जबकि आज दुनिया के दूसरे केसर उत्पादक राष्ट्र स्पेन में केसर पहुंचाने का श्रेय अरब आक्रमणकारियों को जाता है। इंग्लैंड तक केसर को पहुंचाने का काम त्रिपोली के एक यात्री ने किया, जो एक खोखली घड़ी में छुपाकर केसर वहां ले गया। यूरोप में सर्वप्रथम सिलीशिया में केसर की खेती प्रारंभ हुई। वहां केसर को 'कोकस' के नाम से जाना जाता था। पश्चिमी यूरोप में केसर का प्रचार–प्रसार धर्म योद्धाओं द्वारा किया गया। प्राचीन मिस्र में इसे एक सुरक्षित जड़ी–बूटी के रूप में काम में लाया जाता था। यूनानी लेखकों होमर व हिप्पोक्रेटीज ने अपने–अपने लेखों में केसर के गुणों का वर्णन किया है।

राजसी स्वभाव के शान–औ–शौकत पसंद मुगल बादशाहों ने केसर को बहुत इज्जत बख्शी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा *तुजुके–जहांगीर* में केसर की मोहक खुशबू और खूबसूरती की दिल खोलकर तारीफ की है। इसी तरह *आईने अकबरी* में अबुल फज़ल ने लिखा है – 'केसर के खिले खूबसूरत फूलों का नजारा इतना दिलकश होता है कि मनहूस मिजाज के लोग भी एक बार खुश हो उठते हैं।' अबुल फज़ल आगे लिखते हैं– 'कश्मीर में केसर की पैदावार के वक्त एक मेला लगता है, सुगंध से भरे इस मेले के नायाब मंज़र को देखने दूर–दूर से लोग आते हैं।'

दुनिया में इस वक्त सिर्फ दो मुल्कों स्पेन और भारत में ही केसर की खेती होती है। भारत में भी कश्मीर के पामपुर के पठारों और जम्मू के किश्तवाड़ में पर्वतीय क्षेत्र के मादा नामक गांव में मुख्य रूप से केसर की पैदावार होती है। मुगलकाल में पामपुर के लगभग दस हजार एकड़ क्षेत्र में केसर की खेती होती थी। लेकिन वर्तमान में पांच हजार एकड़ क्षेत्र में ही केसर की खेती की जा रही है।

केसर की खेती एक बहुत ही नाजुक कला है। इसके लिए एक खास किस्म की पठारी भूमि चाहिए, जिसमें पानी नहीं ठहरता हो। उपयुक्त जमीन के चयन के पश्चात उसकी भली प्रकार जुताई कर आठ फुट लंबी और आठ फुट चौड़ी वर्गाकार क्यारियां तैयार की जाती हैं। केसर की जड़ों की बुवाई के लिए मार्च–अप्रैल का समय उपयुक्त माना जाता है। बुआई के कुछ समय पश्चात जड़ों से 6 से 9 इंच ऊंचाई के पौधे निकल आते हैं। इन सुंदर पौधों में गुलाबी रंगत लिए बैंगनी रंग के फूल खिलते हैं। गर्मी के मौसम की समाप्ति के बाद केसर के फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। इन फूलों के बीच में लहसुन की गांठ के आकार की केसर की बौड़ी निकलती है। कार्तिक पूर्णिमा अर्थात सितंबर–अक्तूबर तक केसर के फूल पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। केसर के मुकुलित होते ही चारों तरफ खुशबू और महक का माहौल बन जाता है। दूर–दूर तक खेतों में पीतारूण व लालिमा–युक्त नीले फूल एक सुंदर गलीचे के समान नजर आते हैं। आमतौर पर एक बौड़ी से दो से चार ग्राम तक केसर प्राप्त हो जाती है। केसर की एक क्यारी से पहले वर्ष 60 ग्राम, दूसरे वर्ष 100 ग्राम तथा तीसरे वर्ष 180 ग्राम के लगभग केसर प्राप्त होती है। केसर एक बेशकीमती फूल है। इसका मूल्य 15 हजार से 20 हजार रुपये प्रति किलोग्राम तक है।

केसर के फूल चुनने में काफी सावधानी व सतर्कता से काम लेना पड़ता है। फूल चुनने के बाद उसे सुखाया जाता है। बाद में इसकी पंखुड़ियों को अलग किया जाता है। पंखुड़ियों का अगला हिस्सा लाल रंग का होता है, यही असली केसर है। पिछला हिस्सा संफेद होता है। इसे दोयम दर्जे की केसर समझा जाता है। विश्व में केसर के सर्वाधिक उत्पादन के साथ सर्वाधिक खपत भी भारत में ही होती है। यहां स्पेन से केसर का आयात किया जाता है किंतु स्पेन की केसर गुणवत्ता में भारतीय केसर का मुकाबला नहीं कर सकती।

चूंकि केसर एक मूल्यवान वस्तु है, अतः इसमें मिलावट की जाने की प्रवृत्ति प्रारंभ से ही रही है। प्राचीनकाल में केसर में मिलावट करने वालों के प्रति शासन द्वारा कठोर रूख अख्तियार किया जाता था तथा उनके लिए सख्त सजाओं का प्रावधान था। न्यूरेम्बर्ग में केसर का मिलावट का अपराध करने वालों को मिलावटी केसर के साथ जिंदा जला दिया जाता था। जहां तक असली केसर की पहचान का प्रश्न है, यह एक कठिन बात है किंतु फिर भी असली केसर की नोक दो भागों में विभक्त होती है। असली केसर को चूने के साथ मसला जाए तो चूने का रंग केसरिया हो जाता है। इसके अतिरिक्त असली केसर पानी में घुल जाता है।

वर्तमान में शासकीय स्तर पर केसर की खेती को प्रोत्साहन व संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिसके चलते निकट भविष्य में केसर का उत्पादन बढ़ने की अच्छी संभावनाएं हैं। ❑

(के.जै.)

तुम क्या आगे बढ़ पाओगे सुबह देर तक तो सोते रहते हो।

जार्ज बर्नार्ड शॉ

खारे पानी की लवणता दूर करने का संयंत्र

खारे पानी के परिशोधन के लिए भावनगर स्थित केंद्रीय लवण और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान ने **रिवर्स ओसमोसिस मेम्ब्रेन प्रौद्योगिकी** पर आधारित एक अत्याधुनिक संयंत्र का निर्माण किया है। इस **मेम्ब्रेन** को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र ने विकसित किया है, जिसे **थिन फिल्म कम्पोजिट** के नाम से जाना जाता है और यह काफी बेहतर है तथा जैव प्रक्रिया से नष्ट नहीं होता। इसकी सघनता दर भी कम है और यह काफी कम दबाव से लेकर काफी उच्च दबाव में भी काम कर सकता है, जिसकी वजह से यह सस्ता और टिकाऊ है तथा लंबे समय तक काम कर सकता है।

फिलहाल परीक्षण के दौरान पाया गया कि यह **मेम्ब्रेन** पानी से 95 प्रतिशत तक नमक हटा सकता है और प्रतिदिन 35 से 40 गैलन प्रतिवर्ग फुट तक जल प्रयोग में लाया जा सकता है। यह खारे पानी के संदर्भ में बहुत उपयुक्त है।

चेन्नई पैट्रोलियम निगम लिमिटेड ने तीन चरणों वाली परिशोधन प्रक्रिया द्वारा गंदे पानी के परिशोधन के लिए **रिवर्स ओसमोसिस** संयंत्र शुरू किया है, इसकी क्षमता 10 लाख लीटर प्रतिदिन है। औद्योगिक संयंत्र के बारे में प्राप्त आंकड़ों से पता चला है कि यह संयंत्र काफी अच्छा काम कर रहा है और इससे 75 प्रतिशत तक स्वच्छ जल प्राप्त हुआ है। 60 लाख रुपये की लागत वाले इस संयंत्र में पूर्व परिशोधन व्यवस्था नहीं है, जो रिवर्स ऑसमोसिस के लिए आवश्यक है क्योंकि कारखाने में पूर्व परिशोधित जल उपलब्ध है। यह देश का ऐसा विशाल संयंत्र है जिसकी तुलना अमरीका के विश्वस्तरीय **हाईड्रोनॉटिक्स** से की जा सकती है। इसकी क्षमता 17.5 लाख लीटर प्रतिदिन करने का प्रयास किया जा रहा है। इन परिणामों से उत्साहित होकर संस्थान शहरों के गंदले जल को परिशोधित करने के लिए भी योजना बना रहा है।

विविधताओं और संभावनाओं से भरपूर उत्तरांचल

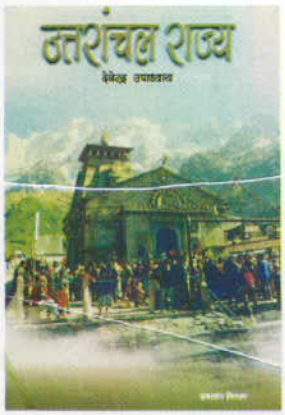

पुस्तक का नाम : उत्तरांचल राज्य; लेखक : देवेंद्र उपाध्याय; प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली; पृष्ठ सं.140; मूल्य : 65 रुपये।

उत्तरांचल देश के तीन नवगठित राज्यों में से एक है। यह राज्य नवंबर 2000 में अस्तित्व में आया। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को मिलाकर इस नए राज्य का गठन किया गया है। इस राज्य को पूर्ववर्ती राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों को मिलाकर बनाया गया है। प्राचीनकाल से ही धार्मिक पर्यटन के लिए देश–विदेश में प्रसिद्ध यह राज्य तीर्थाटन एवं पर्यटन के नक्शे पर प्रमुखता से उभरा है। विविधताओं और संभावनाओं से भरे इस राज्य की संपूर्ण विशेषताओं को लेखक देवेंद्र उपाध्याय ने केवल 140 पृष्ठों में समेटने का भरपूर प्रयत्न किया है और वह इसमें सफल भी रहे हैं।

इस पुस्तक में परिशिष्ट और कुल 15 अध्याय हैं। पहले अध्याय में राज्य की भूमि और निवासियों की जानकारी है। दूसरे अध्याय में राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी गई है। तीसरे अध्याय में यहां की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का समावेश है जबकि चौथे अध्याय में यहां की संस्कृति की प्रागैतिहासिकता की पड़ताल की गई है। इस राज्य में पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं जिनमें कुछ दस लाख वर्ष पुराने माने जाते हैं। पुरातात्विक वैभव की समृद्धिशाली विरासत आज भी पूरे उत्तरांचल में सैकड़ों मंदिरों के रूप में मौजूद है।

पांचवा अध्याय राज्य की अर्थव्यवस्था पर और छठा यहां की खनिज संपदा पर आधारित है। राज्य में खनिज के विपुल भंडार हैं। यहां के पर्वतीय क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की परंपरा सदियों से रही है। राज्य में धार्मिक पर्यटन के साथ–साथ हर तरह का पर्यटन उपलब्ध है। सैंकड़ों की संख्या में ऐसे पर्यटक स्थल और धार्मिक स्थल हैं जिनको विकसित कर अर्थव्यवस्था सुदृढ़ की जा सकती है। राज्य में आयुर्वेदिक दवाइयों के निर्माण के लिए भी पर्याप्त मात्रा में औषधीय वनस्पतियां उपलब्ध हैं। सातवें अध्याय में राज्य की वन संपदा एवं वनस्पति की चर्चा है।

उत्तरांचल राज्य की सैन्य परंपरा का आविर्भाव 326 ई.पूर्व से माना जाता है। अल उतवी नामक इतिहासकार ने अपने *तारीख यामिनी* नामक ग्रंथ में जिस जयपाल नरेश और उनके उत्तराधिकारी आनंद पाल का उल्लेख किया है, वे यहीं के थे। शिवालिक श्रेणी के पास मोहम्मद गौरी तथा तैमूर के खिलाफ भी उत्तरांचल के वीरों ने लड़ाई लड़ी। यहां की गढ़वाल रेजीमेंट के गठन का प्रस्ताव 1880 में रखा गया था; 5 मई 1887 को बटालियन का गठन हुआ। गढ़वालियों की बटालियन ने प्रथम विश्व युद्ध में भी भाग लिया है। फ्रांस में जर्मनी को पराजित करने वाली गढ़वाल की दोनों बटालियनों को एक कर गढ़वाल राइफल्स का नाम दिया गया। कुमाऊं रेजिमेंट, गोरखा बटालियन ने भी समय–समय पर अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। इन्हीं वीरों के पराक्रम और शौर्य का संक्षिप्त विवरण सेन्य पंरपरा अध्याय में दिया गया है। जैसाकि नाम से स्पष्ट है 'स्वतंत्रता संग्राम में योगदान' अध्याय में उत्तरांचल राज्य के वीरों का भारत की स्वाधीनता की लड़ाई में योगदान का जिक्र है। यहां की महिलाओं ने जबर्दस्त आंदोलन चलाए हैं। विश्वप्रसिद्ध 'चिपको आंदोलन' उत्तरांचल की ही एक जनजातीय महिला गौरा देवी ने 1974 में शुरू किया था। 'महिलाओं की भूमिका' अध्याय में उत्तरांचल राज्य की महिलाओं की घरेलू मोर्चे के साथ–साथ समाजसेवा और राजनीतिक सक्रियता की चर्चा है।

'प्रमुख तीर्थस्थल' अध्याय में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गौरीकुंड, जोशीमठ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड, पंच केदार सहित कितने ही मंदिरों का उल्लेख किया गया है जोकि तीर्थस्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। बारहवें अध्याय में राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों देहरादून, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, औली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, कौसानी, टिहरी, नैनीताल, रानीखेत, कैलाश मानसरोवर सहित कई अन्य पर्यटन स्थलों का संक्षिप्त विवेचन किया गया है।

राज्य के प्रमुख मेले एवं त्योहारों का वर्णन है दसवें अध्याय में। श्रावण मेला, दूनागिरी मेला, गणनाथ मेला, उत्तरायणी मेला, सोमनाथ मेला जैसे जाने कितने ही मेले यहां लगते हैं जिनमें से कई मेलों का उल्लेख किया गया है। राज्य के त्योहारों का जिक्र तो है ही।

'राज्य चिन्ह' अध्याय में राज्य के चार राज्य चिन्हों – पुष्प–ब्रह्म कमल, राज्य वन्यपशु – कस्तूरी मृग, राज्य वृक्ष – बुरांश और राज्य पक्षी – मोनाल का वर्णन है। उत्तरांचल की जनजातियों की अलग पहचान है, इसी की जानकारी दी गई है 15वें और अंतिम अध्याय में।

बाद में परिशिष्ट आरंभ हो जाता है जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 से आरंभ होता है जिसे लोकसभा द्वारा एक अगस्त 2000 को पारित किया गया। इसमें राज्य संबंधी संपूर्ण उपबंध दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश परिशिष्ट–1 में राज्य की प्रमुख नदियों, हिमशिखर, ग्लेशियर, झीलों, दर्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन अभ्यारण्यों के नाम हैं।

संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि लेखक ने इस पुस्तक में उत्तरांचल राज्य की संपूर्ण जानकारी को थोड़े में ही समेटने का सुंदर प्रयास किया है। उत्तरांचल राज्य के बारे में सामान्य जानकारी के इच्छुक विद्यार्थियों के साथ–साथ आम जन के लिए भी यह पुस्तक अच्छी मार्गदर्शिका साबित हो सकती है। पुस्तक में जितनी जानकारी समेटी गई है, उसे देखते हुए 65 रुपये मूल्य भी आम पाठक की पहुंच के भीतर है। ❑

उत्तरांचल में महिलाओं के लिए उद्यम परियोजनाएं

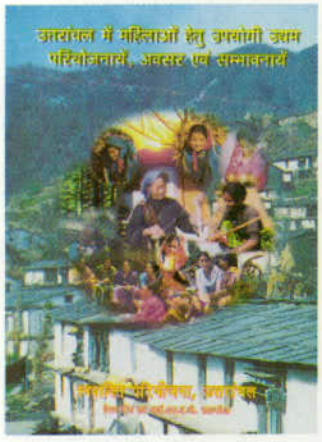

पुस्तक : उत्तरांचल में महिलाओं हेतु उपयोगी उद्यम परियोजनायें, अवसर एवं संभावनाएं; संपादक : डा. अरुण कुकसाल; प्रकाशक : स्वशक्ति परियोजना, उत्तरांचल, लेन नं. 3, शास्त्री नगर, नेहरुग्राम, देहरादून; पृष्ठ संख्या : 125

उत्तरांचल में विश्व बैंक एवं आई.एफ.ए.डी. की सहायता से स्वशक्ति परियोजना संचालित की जा रही है। यह परियोजना वर्ष 2002 से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और टिहरी गढ़वाल में चलाई जा रही है। इन जनपदों में 14 स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से 14 विकासखंडों में यह योजना लागू है। वर्तमान में उत्तरांचल के 398 गांवों में स्वशक्ति परियोजना द्वारा गठित 560 स्वयंसहायता समूह स्थानीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है। यह पुस्तक महिलाओं को स्वरोजगार की जानकारी उपलब्ध कराती है।

आमतौर से देखा गया है कि स्वरोजगार के प्रति जानकारी के अभाव के कारण महिलाएं इस ओर आकृष्ट नहीं हो पाती हैं। यदि उनको स्थानीय वातावरण में उपलब्ध तथा संभावित उद्यमी अवसरों का परिचय यथासमय करा दिया जाए तो सार्थक परिणाम मिल सकते हैं। इन्हीं तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है।

प्रस्तुत पुस्तक तीन भागों में बंटी है। प्रथम भाग में उत्तरांचल का परिचय और उद्यमिता विकास से जुड़ी जानकारियां हैं। द्वितीय भाग में उत्तरांचल की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल उद्यम परियोजनाएं शामिल हैं जोकि 'अल्पआय वर्ग की महिलाओं से संबंधित हैं। कुछ उद्यमों जैसे रस्सियों से कलात्मक वस्तुएं, शोकेश मूर्तियां, मोमबत्ती निर्माण, सजावटी गुड़िया सहित करीब 58 उद्यमों का विवरण पुस्तक में दिया गया है। इन उद्यमों की मशीनरी एवं उपकरण पर कितना खर्च आता है, प्रतिमाह कितना खर्च आता है और प्रतिमाह कितनी आय होती है, जैसी जानकारी पुस्तक में दी गई है।

उद्यम लगाने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की संपूर्ण जानकारी पुस्तक के प्रथम भाग में दी गई है जैसे पंजीकरण, लाइसेंस एवं अनुमति, अनापत्ति प्रमाणपत्र, वित्तीय सहायता प्राप्त करने के दिशा–निर्देश आदि।

इस परियोजना रिपोर्ट को बैंक को देने पर बैंक छोटी–छोटी पूंजी ऋण के रूप में दे सकता है। उद्यम परियोजनाओं को तीन भागों में बांटा गया है– 50,000 रुपये तक, 50,000 रुपये से एक लाख रुपये तक और एक लाख रुपये से अधिक।

कुछ विशिष्ट उद्यमीय कार्यों जैसे मंडुवा: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान, जड़ीबूटी की खेती, फूलों का व्यापार, मशरूम, लैंटाना, रामबांस, वर्मी कम्पोस्ट आदि तैयार करने का भी पूरा ब्यौरा दिया गया है।

पुस्तक के तीसरे भाग में उत्तरांचल में उद्यम स्थापना में सहायक इकाइयों, संस्थाओं और विभागों का वर्णन है जिसे चार चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में कच्चा माल, मशीन उपकरण उपलब्ध कराने वाली तथा प्रशिक्षण, विपणन में सहायक उद्यम इकाइयों के पते दिए गए हैं। दूसरे चरण में उद्यम स्थापना में सहायक संस्थाओं तथा विभागों के पते तथा फोन नं. एसटीडी कोड सहित दिए गए हैं। उसके बाद सरकारी विभागों, संस्थाओं और उद्यमी संगठनों के पते और फोन नंबर एसटीडी कोड सहित दिए गए हैं।

यह पुस्तक उत्तरांचल में स्वरोजगार की इच्छुक महिलाओं के साथ–साथ नवयुवकों के लिए भी मार्गदर्शिका साबित हो सकती है और अपना उद्यम लगाने संबंधी तकरीबन सभी जिज्ञासाओं को शांत करने में सक्षम है। ❑

प्रस्तुति : संपादकीय टीम

"चलते–चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। वह भूख–प्यास के मारे भी व्याकुल था, पर चलता चला जा रहा था। सफलता उस पार थी और मार्ग में था दूर तक फैला हुआ विशाल पर्वत। उसने चट्टान का एक छोटा–सा टुकड़ा उठाया और पहाड़ को तोड़कर मार्ग बनाने का प्रयत्न करने लगा। न तो क्षणभर को रुकता और न आहें भरता, और न किसी के नाम गालियां ही निकालता; तभी पर्वत गूंज उठा, 'मूर्ख, यह मार्ग सरल नहीं है।'

यात्री ने बिना एकक्षण रूके कहा, 'कर्महीन! मैं मार्ग नहीं, मैं तो मंजिल देखता हूं।' और, दूसरे ही क्षण पर्वत दो हिस्सों में बंटकर बोला, 'ले, सफलता तेरे जैसे ही लोगों का वरण करती है।"

हिमांशु श्रीवास्तव : आत्मबल से जो चाहो बनो

रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन

वित्तवर्ष 2003–04 में 25,253 परियोजनाओं को धन उपलब्ध कराने और 4,71,523 रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया। अतिरिक्त रोजगार अवसर पैदा करने की जरूरत और अब तक जारी कार्यक्रम की सफलता को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को दसवीं योजना के दौरान भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय द्वारा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) के अंतर्गत 31 मार्च, 2003 तक 1,61,505 परियोजनाओं को धन उपलब्ध कराया गया और साथ ही 18,03,752 रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। वर्ष 2003–04 के दौरान (सितंबर, 2003 तक) कुल मिलाकर 5,564 परियोजनाओं को धन उपलब्ध कराया गया, जिससे देश में 87,060 रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए। कम से कम प्रति व्यक्ति निवेश से 20 लाख लोगों के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की एक विशेषता यह है कि इसके तहत वर्ष 2002–03 के दौरान 3,61,006 रोजगार के अवसर उत्पन्न किए गए और सरकार ने आगामी चार वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के द्वारा देश में 20 लाख से भी अधिक रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने का निर्णय लिया है।

दस्तकारों के लिए सामूहिक बीमा योजना

सरकार ने खादी दस्तकारों को बीमा के दायरे में लाने के उद्देश्य से 15 अगस्त, 2003 को **जनश्री बीमा योजना** नामक एक सामूहिक बीमा योजना शुरू की। दसवीं योजनावधि के दौरान 13 लाख, 90 हजार दस्तकारों को इसके दायरे में लाया जाएगा जबकि इनमें से 3 लाख दस्तकारों को वित्तवर्ष 2003–04 में ही इसके दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया।

जीवन बीमा निगम द्वारा तैयार इस योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी 200 रुपये का वार्षिक प्रीमियम लिया जाएगा। इसमें से जीवन बीमा निगम द्वारा केंद्र सरकार सुरक्षा कोष से 100 रुपये, खादी संस्थान द्वारा 50 रुपये और प्रत्येक खादी दस्तकार और खादी ग्रामोद्योग आयोग/भारत सरकार द्वारा 25–25 रुपये दिए जाएंगे। इस बीमा योजना के अंतर्गत स्वाभाविक मृत्यु के दौरान 20,000 रुपये और दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 50,000 रुपये नामित व्यक्ति को दिए जाएंगे। दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से विकलांग (दोनों आंखें/उपयोगी अंगों को गंवा चुके) होने वाले लाभार्थी को 50,000 रुपये और आंशिक रूप से विकलांग हो चुके लाभार्थी को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के अधीन **जनश्री बीमा योजना** के द्वारा बीमाधारकों को बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के ही जीवन बीमा निगम की **शिक्षा सहयोग योजना** का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। इसके अंतर्गत खादी दस्तकारों को दो बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1200 रुपये दिए जाएंगे। अब तक लगभग एक लाख 16 हजार खादी दस्तकारों को इस योजना के दायरे में लाया जा चुका है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सफलता के कीर्तिमान

खादी ग्रामोद्योग आयोग ग्रामीण उद्योगों की केंद्रीय एजेंसी है। वित्तवर्ष 2002–03 के दौरान 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की रिकार्ड बिक्री की गई। आयोग की 2002–03 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 10,193 करोड़ 34 लाख रुपये की बिक्री हुई जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.39 प्रतिशत अधिक थी। रिपोर्ट के अनुसार आयोग नेटवर्क से कुल 66 लाख, 45 हजार लोगों को रोजगार मिला जो पिछले वर्ष की तुलना में छह प्रतिशत से भी अधिक है। आयोग द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान 18 लाख से भी अधिक रोजगार के नए अवसर जुटाए गए और दसवीं योजनावधि के दौरान 25 लाख रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने खादी ग्रामोद्योग आयोग की प्रमुख योजना **ग्रामोद्योग रोजगार योजना** को देश में नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिहाज से शीर्ष स्थान पर रखा है। पांच मिशन परियोजनाओं का चयन किया गया है। यह भी फैसला किया गया है कि अगले चार वर्षों में प्रसंस्करण उद्योगों से जुड़े जैव प्रौद्योगिकी के चुनिंदा उत्पादों पर 2,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाए। दसवीं योजनावधि के दौरान आयोग द्वारा लगभग 7,500 करोड़ रुपये का निवेश संभावित है जिससे खादी ग्रामोद्योग आयोग प्रगति पथ पर तेजी से अग्रसर होगा।

नारियल रेशे के उत्पादों के निर्यात में निरंतर वृद्धि

मात्रा और मूल्य दोनों ही दृष्टिकोणों से नारियल रेशे और उसके उत्पादों के निर्यात में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। भारत ने वर्ष 2002–03 के दौरान 345 करोड़ 12 लाख रुपये मूल्य के 82,634 मीटरी टन नारियल रेशा उत्पादों का निर्यात किया। जबकि वर्ष 2001–02 के दौरान 320 करोड़ 58 लाख रुपये मूल्य के 71,335 मीटरी टन नारियल रेशा उत्पादों का निर्यात किया गया था। एग्रो और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के कॉयर बोर्ड द्वारा नारियल रेशे और उसके उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। प्रदर्शनियों/कैटलॉग प्रदर्शन में भागीदारी, विदेशों में उत्पाद संवर्द्धन कार्यक्रम, आई.एस.ओ. 9000 प्रमाणन आदि प्राप्त करने में निर्यातकों की सहायता करने जैसे कदम, उनमें प्रमुख हैं। कायर क्षेत्र में छोटे निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2000–01 से **बाह्य बाजार विकास सहायता** नामक एक नई योजना भी शुरू की गई।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

दसवीं योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना को जारी रखा गया है। इसमें 11 लाख लघु उद्यमियों को शामिल करने का लक्ष्य है। वार्षिक लक्ष्य 2.20 लाख लघु उद्यमियों का है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अधीन बैंकों द्वारा 5,02,302 परियोजनाओं को ऋण दिए गए हैं और अनुमान है कि इस अवधि के दौरान 7 लाख 55 हजार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए।

आर. एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. 12057/2003-05
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.) -55/2003-5

R.N./708/5
P&T Regd. No. DL 12057/2003-0
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2003-0
to Post without pre -payment at R.M.S. Delh

श्री उमाकांत मिश्र, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और मुद्रित।
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया-II, नई दिल्ली-20 : सहायक संपादक : ललिता खुराना